

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई-5-416-आयएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 द्वारा श्री के. सुरेश, आयएस., सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, कुल ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक कुमार शाह, आयएस, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक उन्नचालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक कुमार शाह की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से,

आगामी आदेश तक, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अवनि वैश्य**, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई-5-873-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएस, सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक छः दिन का कार्योंत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**व्ही. एस. तोमर**, अवर सचिव।

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. एफ-10-29-2010-तेईस-योआसां.—जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 10 (i) (iii) के तहत राज्य शासन एतद्वारा निर्मांकित विभागों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी उनके क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं के लिये सूचनादाता के रूप में घोषित करता है। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अथवा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से प्रस्तुत/सूचित करेंगे।

| क्रमांक<br>(1) | विभाग<br>(2)                           | कार्यकर्ता<br>(3)                  |
|----------------|--|------------------------------------|
| 1              | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. | आशा कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित दाई. |
| 2              | स्कूल शिक्षा विभाग                     | प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला.     |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जी. पी. कबीरपंथी**, उपसचिव।

## गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ-03-01-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

### निम्नस्तर इन्दौर संभाग

| अनु.<br>(1) | परीक्षार्थी का नाम<br>(2) | पदनाम<br>(3) |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 1           | श्री प्रदीप बांगड़े       | शिक्षक       |

| (1)  | (2)                      | (3)                             | (1) | (2)                         | (3)                   |
|------|--------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------|
|      | <b>रीवा संभाग</b>        |                                 |     | <b>इन्दौर संभाग</b>         |                       |
| 2    | ओंकारनाथ त्रिपाठी        | मैट्रन                          | 4   | श्रीमती चित्रा भोंसले       | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
|      | <b>भोपाल संभाग</b>       |                                 | 5   | श्री विजय सिंह चौहान        | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 3    | ऋषि दुबे                 | मैट्रन                          | 6   | श्री अभिषेक कौशल            | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 4    | एजाज अहमद सिद्दकी        | मैट्रन (कार्यपालिक)             | 7   | श्री नाथूलाल राठौर          | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
|      | <b>सागर संभाग</b>        |                                 | 8   | श्री मंगलम सिंह             | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 5    | नजीर अली                 | हाउस मास्टर                     | 9   | श्री सुरेन्द्र सिंह चण्डावत | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 6    | कुवल भूषण बिलवाल         | मैट्रन                          | 10  | श्री मुकेश पंचौलियां        | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
|      | <b>उच्चस्तर</b>          |                                 | 11  | श्री योगेश राठौर            | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
|      | <b>जबलपुर संभाग</b>      |                                 | 12  | श्री जयंत गुप्ता            | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| अनु. | परीक्षार्थी का नाम       | पदनाम                           | 13  | श्री बालचन्द्र कारपेन्टर    | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| (1)  | (2)                      | (3)                             | 14  | श्री तरण सिंह               | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 1    | श्री राजकुमार चौबे       | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           | 15  | श्री जॉनी तोतलानी           | कराधान सहायक          |
|      | <b>इन्दौर संभाग</b>      |                                 | 16  | श्री संजय विजयवर्गीय        | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 2    | श्री एच. सी. गेहलोत      | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           | 17  | श्री विश्वास रावत           | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 3    | श्री राजकुमार पाण्डेय    | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           | 18  | श्री हरसुखलाल पटेल          | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 4    | श्रीमती किरण वर्मा       | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           | 19  | श्री जगदीश चन्द्र राठौर     | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 5    | श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           | 20  | श्री सुभाष चन्द्र परिहार    | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 6    | श्रीमती पूजा धार्गे      | वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय). | 21  | श्री विजय कुमार जयसवाल      | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 7    | श्री एन. आर. गेठियां     | वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय). | 22  | श्री क्रितेश कुमार शर्मा    | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| 8    | मो. जहीर कुरेशी          | कराधान सहायक                    |     |                             |                       |
|      | <b>निम्नस्तर</b>         |                                 |     |                             |                       |
|      | <b>जबलपुर संभाग</b>      |                                 |     |                             |                       |
| 1    | श्री विजय कुमार पाण्डेय  | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           |     |                             |                       |
| 2    | श्री अनुपम शर्मा         | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           |     |                             |                       |
| 3    | कुमारी पूनम श्रीवास्तव   | वाणिज्यिक कर निरीक्षक           |     |                             |                       |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 28) राज्य शासन, श्री अभिषेक सोनी, पुत्र श्री फूलचंद सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1979 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 35) राज्य शासन, श्री गिरजेश कुमार सनाडेयिया पुत्र श्री भगवान दास

सनोडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 09 सितम्बर 1975 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 38) राज्य शासन, श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1978 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 42) राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 29 दिसम्बर 1978 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 48) राज्य शासन, श्री प्रकाश कुमार उइके पुत्र श्री भैयालाल उइके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1974 है।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 11) राज्य शासन, सुश्री तबस्सुम खान, पुत्री श्री जकी अनवर खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1984 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 15) राज्य शासन, श्री पंकज शर्मा, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 27 मई 1977 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 18) राज्य शासन, श्री मयंक कुमार शुक्ला, पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 है।

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम

3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:—

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा.

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना   | कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय                                |
|------|--|---|
| (1)  | (2)  | (3)   |
| 1    | श्री अनिल कुमार ठाकरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नरसिंहपुर.             | द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर. |
| 2    | श्री विमल कुमार जैन सिंघई, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.             | प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.   |
| 3    | श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (जू.) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी. | अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.       |

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, सिविल जिला इन्दौर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, धार, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, राजगढ़, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, मण्डलेश्वर, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, श्योपुर तथा हरदा की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा

संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है.

F. N. 1-5-96-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Indore for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Indore, Bhopal, Raisen, Sehore, Dewas, Shajapur, Dhar, East Nimar Khandwa, Rajgarh, Jhabua, Mandsaur, Neemach, Ratlam, Ujjain, Mandleshwar, Gwalior, Bhind, Datia, Guna, Morena, Shivpuri, Vidisha, Barwani, Burhanpur, Ashoknagar, Alirazpur, Sheopur and Harda.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, सिविल जिला जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डौरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है.

F. N. 1-5-96-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Jabalpur for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Jabalpur, Katni, Balaghat, Betul, Chhindwara, Tikamgarh, Damoh, Hoshangabad, Chhatarpur, Narsingpur, Rewa, Seoni, Mandla, Shahdol, Sidhi, Sagar, Satna, Panna, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्रमांक 17 (ई) 4-2001-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 खण्डवा की सेवाएं, उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 1 (बी)-1-05-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री बलवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ-3-01-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-01-2011-बत्तीस, दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

### उपांतरण विवरण

विकास योजना की कण्डिका 6.7.2 में निर्दिष्ट प्रावधान

(1)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान

(2)

#### 6.7.2—आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड:

सुनियोजित शहरी विकास हेतु भूखण्डीय विकास एवं भूखण्डों पर निर्मित आवासीय विकास हेतु अभिन्यासों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8.00 हेक्टर निर्धारित किया गया है तथा ग्रुप हाउसिंग हेतु न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर रहेगा तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे.

#### 6.7.2—आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड:

भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/आपर्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-23-35/32-1, दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23-12-2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे.

2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

## भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ-3-95-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-95-2009-बत्तीस, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित दमोह विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

## उपांतरण विवरण

| क्र. | ग्राम    | खसरा क्रमांक  | क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | विकास योजना में<br>निर्दिष्ट भू-उपयोग  | उपांतरण पश्चात् उपांतरित<br>भू-उपयोग   |
|------|----------|---|-----------------------------|--|--|
| (1)  | (2)      | (3)   | (4)                         | (5)  | (6)  |
| 1    | दमोह खास | 1157/1, 1157/2,<br>1145/1ख/1, 1145/1ख/2.<br><br>1145/1क/2, 1145/1क/1<br><br>1145/1ड/2<br><br>1145/1ड/1<br><br>1145/1घ, 1155/1<br><br>1155/2 | 14.767                      | आमोद-प्रमोद पुंजक<br>एवं मेला मैदान.<br><br>यातायात पुंजक एवं<br>मेला मैदान.<br><br>कृषि, मार्ग एवं मेला<br>मैदान.<br><br>मेला मैदान, यातायात<br>पुंजक, मार्ग एवं कृषि.<br><br>कृषि एवं मार्ग<br><br>कृषि मार्ग एवं आमोद-<br>प्रमोद पुंजक. | आवासीय<br><br>आवासीय<br>(यातायात पुंजक को यथावत<br>रखते हुए).<br><br>आवासीय<br>(मार्ग को यथावत रखते हुये)<br><br>आवासीय<br>(यातायात पुंजक एवं मार्ग को<br>छोड़कर).<br><br>आवासीय<br>(मार्ग को छोड़कर)<br><br>आवासीय<br>(मार्ग को छोड़कर) |

योग . . . 14.767 हेक्टेयर

2. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 26 फरवरी 2011

### कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ग्वालियर

क्र. 527-सड़क-सुरक्षा-2011.—मैं, एस. बी. सिंह, आयुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 की नियम 204 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संलग्न परिशिष्ट में अंकित पोहरी रोड बस स्टेण्ड शिवपुरी, जिला शिवपुरी को यात्री बसों के लिए बस स्टेण्ड की घोषणा करता हूँ.

ग्राम मनियर सर्वे नं.—169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

क्षेत्रफल—2.787 हेक्टेयर

चतुर्सीमा—

1. उत्तर—पोहरी रोड
2. दक्षिण—शासकीय भूमि (तालाब)
3. पूर्व—आम रास्ता मनियर को (बाद में भूमि प्रायवेट)
4. पश्चिम—कृषि भूमि प्रायवेट
5. स्वामित्व—नगरपालिका परिषद् शिवपुरी
6. बस स्टेण्ड हेतु सुविधायें—

1. शासकीय बस स्टेण्ड—

- (अ) कवर्ड वेटिंग प्लेटफार्म—636 वर्गमीटर
- (ब) वेटिंग हॉल—12×28 वर्गमीटर
- (स) क्लर्क रूम—10×8 वर्गमीटर
- (द) बुकिंग ऑफिस—3.5×7.5 वर्गमीटर
- (ई) मैनेजर रूम—3.5×4 वर्गमीटर
- (फ) पोर्च—7×6.50 वर्गमीटर
- (ग) रेस्टोरेंट—100 वर्गमीटर
- (ह) 84 दुकानें—विभिन्न आकार की

2. प्रायवेट बस स्टेण्ड—

- (अ) वेटिंग हॉल—336 वर्गमीटर
- (ब) कवर्ड प्लेटफार्म—566 वर्गमीटर
- (स) बुकिंग ऑफिस—168 वर्गमीटर

3. बस खड़ी होने हेतु स्थल 7990 वर्गमीटर सीमेंट कांक्रीट (मोटेरेबिल)
4. पार्किंग—3000 वर्गमीटर सी.सी. कृत (मोटेरेबिल)
5. सी.सी. रोड—2957 वर्गमीटर (मोटेरेबिल)
6. पेयजल हेतु पृथक से स्थल
7. सुलभ कॉम्प्लेक्स—12.50×8.90 वर्गमीटर

1. शौचालय—11 सीट
2. बाथरूम—03
3. यूरिन पॉट—06 पुरुष, 01 महिला



8. प्रायवेट एवं शासकीय बस स्टेण्ड पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है.
9. वाहन को आने एवं जाने हेतु सीमेंट कांक्रीट की सड़क.
10. पार्क 30×20 वर्गमीटर के दो पार्क.
11. लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति—संलग्न है.
12. पुलिस विभाग की अनापत्ति—संलग्न है.
13. पोहरी रोड बस स्टेण्ड का ले-आउट प्लान—संलग्न है.

इस संबंध में किसी व्यक्ति विभाग या संस्था को कोई आपत्ति हो तो आप अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, शिवपुरी के कक्ष में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं.

एस. बी. सिंह,

आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर.

## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10-तीन-320.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री कमला बाई, महापौर पद की अभ्यर्थी थी. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क-754-स्था.निर्वा.-10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कमला बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कमला बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कमला बाई को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि

“सुश्री कमला बाई को दिए गए नोटिस की तामिली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है.” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कमला बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( रजनी उड़के )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### आदेश

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10-तीन-321.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में श्रीमती अनिता शाक्य, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क-754-स्था.निर्वा.-10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनिता शाक्य द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती अनिता शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामिल कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती अनिता शाक्य को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामिल कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि “श्रीमती अनिता शाक्य को दिए गए नोटिस की तामिली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है.” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनिता शाक्य को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( रजनी उड़के )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 5-अ-82-10-11

क्र. 207-भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा, प.ह.नं. 34, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 40 कुल क्षेत्रफल 12.633 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक

W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम अमलाथा

| अनु.क्र. | नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति  | खसरा नंबर                      | अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में) | सम्पत्ति का विवरण            |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (1)      | (2)   | (3)                            | (4)                         | (5)                          |
| 1        | मंगत, रमेश, भूरेसिंह, बलीराम, सलीताबाई, कुसुमबाई, चंपाबाई, ग्यारसबाई पिता गोपाल नावड़ा सा.लेपा.   | 4/2                            | 0.991                       | नीम-6                        |
| 2        | बाबू पिता भगवान जाति कहार निवासी लेपा   | 13/1/1/क                       | 0.230                       | बबूल-11, नीम-5, बैर-2        |
| 3        | सुरेशचन्द्र पिता श्रीपतराव जाति ब्राम्हण, नि. मण्डलेश्वर  | 13/2/1 पैकी }<br>13/2/2 पैकी } | 0.324 }<br>0.105 }          | नीम-21, बबूल-20,             |
| 4        | कमलाबाई बेवा मकुंद, कैलाश, जगदीश, सालकराम, सुखदेव, श्यामा, रूखमणी, इंदिरा, कुंती, दुर्गा पिता मकुंद कहार सा. लेपा.  | 13/3 पैकी                      | 0.121                       | बबूल-4                       |
| 5        | नरेंद्रसिंह पिता राजेसिंह, राजपूत सा. देह   | 18/1 पैकी                      | 0.064                       | नर्मदा पाईप लाईन-1 800 मीटर. |
| 6        | इंदरसिंह पिता भूरेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम  | 27/4 पैकी                      | 0.200                       | नीम-4, बबूल-4                |
| 7        | बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम, बलीराम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगूबाई, प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू, ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी. | 44                             | 1.093                       | बबूल-5, नीम-3, बैर-1         |
| 8        | भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम   | 89/1/1 पैकी }<br>90/1/1 }      | 0.004                       | पाईप लाईन 980 मीटर           |
| 9        | भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम   | 89/2/1 पैकी }<br>90/2/1 }      | 0.008                       | पाईप लाईन से सिंचाई          |
| 10       | जसवंतसिंह, विक्रमसिंह, टीमकसिंह पिता रघुनाथसिंह, धनसिंह, सौभागसिंह पिता खुश्यालसिंह, गणपतसिंह पिता दुलेसिंह, राजेसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत सा.देह.   | 173 पैकी                       | 0.041                       | —                            |

| (1) | (2)  | (3)        | (4)   | (5)                                    |
|-----|--|------------|-------|--|
| 11  | तुलसीराम, कन्हैया, दशरथ पिता नरसिंह, अजय, विजय पिता राघोराम, शांताबाई, सुशीलाबाई पिता भगवान, रामसिंह, सरदारसिंह, देवीसिंह, मानसिंह पिता दातारसिंह, मानकुंवरबाई बेवा उमरावसिंह, मुन्नीबाई, लखु, सुभान, सरला पिता उमरावसिंह, सेवंतीबाई बेवा सुरेंद्रसिंह राजपूत नि. ग्रा.  | 204 पैकी   | 0.120 | बैर-3, नीम-3<br>आंवला-1                |
| 12  | कमलसिंह, ईश्वरसिंह, बलरामसिंह, श्यामसिंह पिता रामसिंह, बसुबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.  | 208/3 पैकी | 0.007 | —                                      |
| 13  | रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई, मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.   | 253        | 0.809 | नीम-2                                  |
| 14  | बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम, बलीराम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगुबाई, प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी.   | 257        | 3.205 | नीम-3                                  |
| 15  | रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.  | 264        | 2.974 | महुआ-1                                 |
| 16  | नानूराम, आशाबाई, जमुनाबाई, गंगाबाई पिता रामा बलाई सा. देह.   | 266/2 पैकी | 1.174 | नीम-3, कुँआ पक्का-1                    |
| 17  | कड़वा, बिंदुबाई, अनारबाई, जीवनबाई, राधाबाई पिता मनोहरसिंह, राजपूत सा. देह.   | 267/3 पैकी | 0.016 | —                                      |
| 18  | मयाबाई बेवा बापू, औंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथीबाई, दुर्गाबाई पिता बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, अम्बूबाई पिता विट्ठल सुतार नि. ग्राम.   | 275        | 0.210 | नीम-5                                  |
| 19  | अम्बूबाई पिता विट्ठल, दुलीचंद पिता गोपाल, दौलतबाई बेवा गोपाल, एडू, कैलाश, ग्यारस्या, मुन्ना रमाबाई पिता मदन, बिनाबाई, अन्नपूर्णाबाई पिता सखाराम, ऊंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथ पिता बापू, मयाबाई बेवा बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, प्रभु पिता मांगीलाल, सेवंतीबाई बेवा बाबू, गेंदालाल, मन्नालाल पिता तुकाराम, सुकईबाई बेवा तुकाराम जाति सुतार सा. देह. | 276 पैकी   | 0.445 | आम-1, नीम-2, बड़-1,<br>पीपल-1, बाबूल-2 |

| (1) | (2)   | (3)        | (4)   | (5)                    |
|-----|---|------------|-------|------------------------|
| 20  | बाबू पिता नत्थू, प्रभु पिता मांगीलाल, दुलीचंद पिता गोपाल, ऐडू कैलाश, ग्यारस्या, मुन्ना, रमाबाई पिता मदन सुतार नि. ग्रा.   | 279        | 0.044 | नीम-1                  |
| 21  | नीलाबाई पिता तुकाराम, अ.पा.क. मां. सुकईबाई बेवा तुकाराम कलाबाई, बेवा तुकाराम सुतार सा. देह.   | 280        | 0.004 | —                      |
| 22  | रुखडिया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाडकीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह. | 289 पैकी   | 0.037 | —                      |
| 23  | कुंवरबाई बेवा हीरा, बसंत, लोभीराम, गट्या, ताराचंद, कलाबाई पिता हीरा, गोपाल, हुकुम, रमेश, बिनाबाई, बुदीबाई, जीवनबाई पिता कालू बलाई सा. देह   | 290 पैकी   | 0.100 | नीम-1                  |
| 24  | सुक्या पिता गंजी बलाई सा. देह   | 293 पैकी   | 0.008 | नीम-1                  |
| 25  | रुखडिया पिता मांग्या, मंगत पिता शेरू, लाडकीबाई पिता शेरू, सजनबाई गोगलबाई कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू बलाई नि.ग्रा.  | 295/1 पैकी | 0.007 | —                      |
| 26  | प्यारीबाई, लाडकीबाई, नत्थीबाई पिता अर्जुन, उमराव पिता अर्जुन, हरचंद, किशन, लक्ष्मण, सोब्या, प्रभु, कमल पिता ऐडिया, अमरीबाई बेवा ऐडिया, पदम पिता बाउ बलाई सा. देह.   | 296 पैकी   | 0.008 | —                      |
| 27  | रणजीतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत सा. देह  | 397/2 पैकी | 0.004 | —                      |
| 28  | भारतसिंह, जितेंद्रसिंह, तारूबाई, कमलाबाई, उमाबाई, बसंतीबाई पिता धनसिंह, देवकुंवरबाई बेवा धनसिंह राजपूत सा. देह.   | 414 पैकी   | 0.004 | गोबरगैस-1, इमली-1      |
| 29  | चंद्रसिंह पिता दौला राजपूत सा. देह  | 426 पैकी   | 0.004 | —                      |
| 30  | हबीब, बाबू, छोट्टू, साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.  | 440        | 0.020 | खजूर-1, बैर-4, जामुन-1 |
| 31  | हबीब, बाबू, छोट्टू, साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.  | 441        | 0.041 | —                      |
| 32  | बदामसिंह पिता रतनसिंह, राजपूत, नि.ग्रा.   | 451/2 पैकी | 0.004 | —                      |
| 33  | जगदीश, मोहन, नारायण, कमलाबाई पिता गेंदिया, कमलाबाई अ.पा.क.मां. सीताबाई, सीताबाई बेवा गेंदिया भारुड़ सा. देह.  | 453/1 पैकी | 0.010 | सागवान-1               |

| (1)   | (2)  | (3)        | (4)    | (5)                           |
|-------|--|------------|--------|-------------------------------|
| 34    | गुलाबबाई बेवा मौजा किशोर पिता मौजा उषाबाई निशाबाई मंजुबाई पिता मौजा भारुड़ सा. देह.  | 453/2 पैकी | 0.030  | —                             |
| 35    | सतीश, सुधीर, सुनिल, निलीमा, सुलभा पिता शंकरराव ब्राम्हण सा. मह.  | 454        | 0.093  | —                             |
| 36    | मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन, कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन, रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह. | 455 पैकी   | 0.008  | मकान-1                        |
| 37    | दुले खां, हीरे खां, फकिरा, याकुब पिता नबी खां, लतीफ, युनुस पिता इलाही खां, कुसुमबाई, रसिदाबाई, अनिसाबाई पिता इलाही खां, अनुबाई बेवा इलाही खां जाति पिंजारा सा. देह.  | 458 पैकी   | 0.040  | मकान-1, पीपल-1, नीम-1, बबूल-1 |
| 38    | रामराव, जगन्नाथ पिता श्रीधरराव, सुशीलाबाई, इंदुबाई, उषाबाई, आशाबाई पिता श्रीधरराव ब्राम्हण सा. देह.  | 460 पैकी   | 0.006  | नीम-1, फिफर-1                 |
| 39    | मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन, कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन, रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह. | 464        | 0.020  | नीम-1, बबूल-1                 |
| योग : |  | 40         | 12.633 |                               |

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.633 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
  2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
  3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
  4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
  5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
  6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
  7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
  8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
  9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
  10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
  11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
  12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
  13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
  14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
  15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.



16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
  - (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
  - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
  - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
  - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

#### साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

#### साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

#### साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

#### पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हस्ता./-

#### ( केदार शर्मा )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन (म. प्र.).

#### पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

#### ( असद जाफर )

महाप्रबंधक,  
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,  
मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

**भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र**

राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-10-11

क्र. 208-भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम भट्याण बुजूर्ग, प.ह.नं. 36, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 226 कुल क्षेत्रफल 64.648 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

**परिशिष्ट-1**

**निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग तहसील कसरावद**

| अनु.क्र. | नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति  | खसरा नंबर | अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में) | सम्पत्ति का विवरण   |
|----------|---|-----------|-----------------------------|---|
| (1)      | (2)   | (3)       | (4)                         | (5)   |
| 1        | मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह  | 7 पैकी    | 1.303                       | —   |
| 2        | मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह  | 8/1 पैकी  | 0.591                       | —   |
| 3        | बनस्या पिता नत्थू बलाई सा. देह  | 8/2       | 2.023                       | —   |
| 4        | कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह, सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा. | 10        | 1.457                       | आम-2, नीम-10<br>बबूल-4, पियत नर्मदा<br>नदी पाईपलाईन-1 द्वारा. |
| 5        | दगडू पिता देवराम, गुजर सा. देह  | 15/2 पैकी | 0.473                       | नीम-5, बबूल-1   |
| 6        | मिश्रीलाल, जानकीबाई, सीताबाई, भुवानीबाई पिता हिरालाल जाति सुतार नि. ग्रा.             | 19/2      | 0.809                       | —   |
| 7        | अमरसिंह पिता नराण, जाति मोरी नि.ग्रा.   | 23        | 0.340                       | नीम-7   |

| (1) | (2)   | (3)         | (4)   | (5)   |
|-----|---|-------------|-------|---|
| 8   | आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.  | 28 पैकी     | 1.100 | —   |
| 9   | शेरू पिता राजला, जगदीश, आत्माराम, जानकीबाई, सीताबाई पिता शेरू, जाति बलाई नि.ग्रा.   | 33 पैकी     | 0.020 | सिंचाई सर्वे नं. 37 के कुंए से.               |
| 10  | शिवशंकर पिता गणपत, तेली नि.ग्रा.  | 34 पैकी     | 0.170 | —   |
| 11  | अंतरसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. ससाबरड़  | 36 पैकी     | 0.364 | नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से पाईप लाईन-1       |
| 12  | गफुर पिता छित्तू पिंजारा सा.देह   | 38/2/1 पैकी | 0.101 | —   |
| 13  | कालू पिता हुरमत पिंजारा सा. देह   | 38/2/2 पैकी | 0.223 | —   |
| 14  | आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.  | 41/1 पैकी   | 0.267 | —   |
| 15  | केशरबाई पिता घिस्या गुजर नि.ग्रा.   | 41/2 पैकी   | 0.231 | नीम-1   |
| 16  | तुलस्या पिता नाना मोरी नि.ग्रा.   | 44/1 पैकी   | 0.186 | —   |
| 17  | राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.   | 57/1 पैकी   | 0.307 | नीम-10, कबीट-1, सिंचाई नर्मदा से पाईप लाईन-1. |
| 18  | अंकित पिता नवनीतदास महाजन नि. महेश्वर   | 58/1 पैकी   | 0.008 | नीम-1, पाईप लाईन-1                            |
| 19  | अमरा पिता टिकाराम गुजर नि.ग्रा.   | 58/2 पैकी   | 0.150 | सिंचाई नं. 58/1                               |
| 20  | विद्याबाई बेवा रमेशसिंह, योगेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रमेशसिंह ठाकुर नि.ग्रा.  | 61 पैकी     | 0.145 | सिंचित नर्मदा पाईप लाईन-1 से.                 |
| 21  | बाबू मंसाराम पिता आपा मोरी नि.ग्रा.   | 69 पैकी     | 0.028 | —   |
| 22  | आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.  | 70          | 0.032 | मकान-2 नं. 702, 711, गोबर गैस-1               |
| 23  | दिनेश, राजेश, हेमलता, छगन, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम, भुवानीराम पिता रामचंद्र द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.  | 71          | 0.036 | नीम-2   |
| 24  | रूपचंद्र, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोगया, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजराम गुजर नि.ग्रा.  | 72          | 0.101 | —   |
| 25  | राधेश्याम, श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद्र, अशोक, यशवंत, कैलाश, कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव, ज्ञानेंद्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण सा. देह | 73          | 0.081 | —   |

| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
|-----|--|------|-------|--|
| 26  | दिनानाथ पिता देवाराम तेली नि. ग्रा.  | 75   | 0.036 | —  |
| 27  | सुमनबाई बेवा जगदीश, जोगेन्द्र, अनुबाई पिता जगदीश गुजर नि.ग्रा.   | 77   | 0.032 | झोपड़ी-1<br>नंबर प्लेट नहीं है.                          |
| 28  | रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर पदम पिता फत्तू, पुन्या, भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजाराम गुजर नि.ग्रा. | 78   | 0.036 | मकान-1<br>प्लेट नं. 715                                  |
| 29  | गेंदाबाई पति औंकार सुतार नि.ग्रा.  | 79   | 0.036 | —  |
| 30  | दुर्गाबाई पिता शंकर, पार्वतीबाई पति बाबुलाल, दौलतबाई पति लक्ष्मण सुतार नि.ग्रा.  | 80   | 0.036 | —  |
| 31  | रेवाशंकर, रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 84   | 0.093 | मकान-1, प्लेट नं. 718<br>गौबर गैस-1                      |
| 32  | शोभाराम पिता नाना गुजर नि.ग्रा.  | 85   | 0.057 | मकान-1, प्लेट नं. 718<br>टीनशेड-1 मकान के<br>संलग्न हैं. |
| 33  | शान्ताबाई बेवा मयाराम, चिंताराम, ममता पिता मयाराम, मंगतीबाई पिता रामलाल गुजर नि.ग्रा.  | 86/1 | 0.044 | —  |
| 34  | दयाराम पिता पुन्या गुजर नि.ग्रा.   | 86/2 | 0.049 | नीम-1, टीनशेड-1<br>नंबर प्लेट नहीं है.                   |
| 35  | राधेश्याम, किशोर, मिश्रीलाल, गुलाबचंद पिता नाना, रामकुवरबाई बेवा नाना, भंवरलाल, राधेश्याम, भागवतबाई पिता देवराम गुजर सा. देह.  | 87   | 0.121 | मकान-1—716   |
| 36  | नंदकिशोर, कृष्णराव, कैलाश पिता मोजीलाल ब्रा. नि.ग्रा.  | 89/1 | 0.048 | —  |
| 37  | भोलेनाथ, पंडरीनाथ पिता बाबूलाल, गेंदालाल, बालकृष्ण पिता सदाशिव, विश्वनाथ पिता गजानंद ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 89/2 | 0.053 | —  |
| 38  | राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.  | 90/1 | 0.049 | इमली-1, नीम-1,<br>पशुशेड-1, प्लेट नं. 720                |
| 39  | लखन, अशोक, जमना, तुलसाबाई पिता फत्तू धनयबाई बेवा फत्तू गुजर नि.ग्रा.   | 90/2 | 0.028 | पशुशेड-1, प्लेट नं. 721                                  |
| 40  | कड़वा पिता टीकाराम गुजर नि.ग्रा.   | 91/1 | 0.028 | —  |
| 41  | मांगीबाई पति दगडू गुजर, कैलाश पिता सडू भारूड नि.ग्रा.  | 92/1 | 0.021 | प्लेट नं. 727, 728,<br>मकान-2                            |
| 42  | अहिल्याबाई बेवा एडू, नर्मदाशंकर पिता एडू, गुजर नि.ग्रा.  | 92/2 | 0.024 | प्लेट नं. 729, मकान-1,<br>गौबर गैस-1                     |

| (1) | (2)   | (3)    | (4)   | (5)  |
|-----|---|--------|-------|--|
| 43  | अहिल्याबाई बेवा एडू, अनोकचंद पिता एडू, गुजर नि.ग्रा.  | 92/3   | 0.024 | प्लेट नं. 730, मकान-1,                                     |
| 44  | पुनीबाई बेवा नत्थू गुजर नि.ग्रा.  | 93     | 0.044 | प्लेट नं. 731, मकान-1,<br>टीनशेड-1                         |
| 45  | गुलाबबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.   | 94     | 0.049 | प्लेट नं. 732, मकान-1,<br>टीनशेड-1, नंबर प्लेट<br>नहीं है. |
| 46  | हुकुमचंद पिता आपाजी गुजर नि.ग्रा.   | 96/1/2 | 0.024 | टीनशेड-2, नंबर प्लेट<br>नहीं है.                           |
| 47  | हिरालाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.  | 96/2   | 0.028 | अरीठा-1  |
| 48  | गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.  | 96/3   | 0.028 | —  |
| 49  | सीताराम पिता देवचंद, हिरालाल पिता मयाराम, भूरीबाई<br>बेवा राजाराम गुजर नि.ग्रा.   | 97     | 0.049 | नीम-1, प्लेट नं. 433,<br>434, 435, 436,<br>मकान-2.         |
| 50  | धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.   | 98     | 0.049 | प्लेट नं. 437, 438, 439<br>मकान-3.                         |
| 51  | लोभीराम पिता फत्तू, शिवनारायण पिता तापीराम<br>गुजर नि.ग्रा.   | 100    | 0.061 | प्लेट नं. 440, 441,<br>मकान-1, टीनशेड-1                    |
| 52  | धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.   | 101/1  | 0.036 | प्लेट नं. 742, 743,<br>मकान-2                              |
| 53  | राजाराम पिता नत्थू गुजर नि.ग्रा.  | 101/2  | 0.036 | मकान-1, प्लेट नं. 744                                      |
| 54  | अमराजी पिता भाऊ गुजर नि.ग्रा.   | 101/3  | 0.037 | पशुशेड-1, प्लेट नं. 745                                    |
| 55  | पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता<br>लखनलाला ब्राम्हण नि.ग्रा.  | 102    | 0.057 | टीन शेड-1, प्लेट नंबर<br>नहीं है.                          |
| 56  | कड़वीबाई बेवा नानकदास, सेवकराम पिता नानकदास,<br>अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. माँ कड़वीबाई<br>बेवा नानकदास, भागवतबाई, रुकमणीबाई पिता नानकदास,<br>केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई गेंदाबाई पिता गणपत,<br>नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता<br>नत्थू नावड़ा नि.ग्रा. | 103    | 0.053 | पशुबाड़ा-1, नींबू-1,<br>प्लेट नंबर नहीं है.                |
| 57  | शेरू, भगवान, संतोषबाई, पूर्वाबाई, गिरजाबाई पिता<br>आनंदराम मोरी नि. ग्रा.   | 104    | 0.097 | —  |
| 58  | देवराम, रेवाराम, भाईराम, गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या,<br>कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेताराम,<br>दिनेश, महेश, राजेश, सुधीर पिता चेताराम नावड़ा नि.ग्रा.   | 107    | 0.093 | —  |
| 59  | भगवान, भेरू, भावल्या पिता शंकरगीर बाबाजी नि.ग्रा.   | 108    | 0.032 | —  |
| 60  | शिवनारायण, रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.  | 109    | 0.045 | मकान-1, नंबर प्लेट<br>नहीं है.                             |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   |
|-----|--|-------|-------|---|
| 61  | राधेश्याम, श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद्र, अशोक, यशवंत, कैलाश, कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मंजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव, ज्ञानेन्द्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि.ग्रा. | 110   | 0.081 | —   |
| 62  | रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 116   | 0.036 | —   |
| 63  | रेवाशंकर, रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 117   | 0.040 | टापरी-1, नीम-1 नंबर प्लेट नहीं है.                    |
| 64  | मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी, जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया, नाई सा.देह   | 119   | 0.057 | नीम-2   |
| 65  | शेरू, गुलाबचंद्र, पुनमचंद्र, रेशमबाई, सकुबाई पिता धुलिया कुसुमबाई बेवा धुलीया गुजर नि.ग्रा.  | 121   | 0.161 | नीम-1, मकान-2 प्लेट नं. 751, 752                      |
| 66  | रेवाजी, बाबूलाल जैराम, तोताराम पिता नत्थू, अजोध्याबाई बेवा नत्थू, भगवान पिता जोग्या गुजर नि.ग्रा.  | 122   | 0.085 | बैर-2, बड़-1, नीम-1, मकान-3, प्लेट नं. 748, 749, 750. |
| 67  | इब्राहीम पिता अभिमन्यु पिंजारा नि.ग्रा.  | 123/1 | 0.040 | मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.                           |
| 68  | बक्श्या पिता नत्थू पिंजारा नि.ग्रा.  | 123/2 | 0.053 | नीम-1, टापरी-2, प्लेट नंबर नहीं है.                   |
| 69  | मुनीर पिता अनवर पिंजारा नि.ग्रा.   | 123/3 | 0.040 | बोर-2, गोंदी-1  |
| 70  | झबरलाल पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.   | 124/1 | 0.021 | टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.                         |
| 71  | राधेश्याम पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.  | 124/2 | 0.024 | मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.                           |
| 72  | कड़वा, महेश, जमना, गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल, आकाश, गोपाल, अन्नु, अराधना पिता खुश्याल, लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.  | 126/1 | 0.073 | —   |
| 73  | बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप, गिरीराम, संतोषबाई, रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.   | 126/2 | 0.069 | —   |
| 74  | गोविन्द सिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि.ग्रा.   | 127   | 0.101 | मकान-1, प्लेट नं. 781, टापरी-1, प्लेट नंबर नहीं है.   |
| 75  | गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.   | 129   | 0.073 | —   |
| 76  | मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी, जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया, नाई सा.देह   | 130   | 0.040 | —   |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  |
|-----|--|-------|-------|--|
| 77  | अमुबी पिता इमाम पिंजारा नि.ग्रा.   | 131   | 0.081 | कबीट-1, नीम-1,<br>मकान-1, प्लेट नं. 875      |
| 78  | गंगाराम, गप्पू पिता मोहन, पुनी बाई पति मोहन कुम्हार नि.ग्रा.   | 133   | 0.041 | नींबू-2, बैर-1,<br>नीम पौधे-2                |
| 79  | गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.   | 135/1 | 0.020 | —  |
| 80  | कैलाश पिता रतन गुजर नि.ग्रा.   | 135/2 | 0.020 | —  |
| 81  | चेतराम पिता फत्तू गुजर नि.ग्रा.  | 136   | 0.081 | —  |
| 82  | रुपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.  | 137   | 0.036 | मकान-1, प्लेट नंबर<br>नहीं है.               |
| 83  | नत्थू पिता भीका बलाई नि.ग्रा.  | 138   | 0.004 | —  |
| 84  | कड़वा, महेश, जमना गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल, आकाश, गोपाल, अन्नु, अराधना पिता खुश्याल, लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.               | 139   | 0.020 | —  |
| 85  | पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 140   | 0.016 | प्लेट नं. 474, मकान-1,<br>सेवा सह संस्था.    |
| 86  | शेरखॉ पिता कालूखॉ पिंजारा नि.ग्रा.   | 141   | 0.045 | मकान-1, गौबर गैस-1,<br>प्लेट नं. 770         |
| 87  | रूपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.  | 142   | 0.053 | मकान-4, प्लेट नं. 479,<br>480, 481           |
| 88  | गोपाल, कमला बाई, हरूबाई, नर्मदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.   | 143   | 0.049 | गौबर गैस-1, टीनशेड-1,<br>प्लेट नंबर नहीं है. |
| 89  | बंसीधर पिता गणपतराव ब्राम्हण नि.ग्रा.  | 144/1 | 0.109 | नीम-1, मकान-1,<br>प्लेट नंबर नहीं है.        |
| 90  | पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.   | 144/2 | 0.057 | मकान-1, प्लेट नंबर<br>नहीं है.               |
| 91  | राजाराम, भीलू पिता लक्ष्मण, रामेश्वर पिता भाईराम गुजर नि.ग्रा.   | 145   | 0.045 | मकान-5, प्लेट नं. 465,<br>466, 467, 468, 469 |
| 92  | मकुन्द, मोतीराम पिता नत्थू, रमेश, गबरू, ओमप्रकाश, भुवानीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसंतीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.  | 147   | 0.057 | मकान-1, प्लेट नं. 681<br>682, 683            |
| 93  | देवराम, रेवाराम, भाईराम, गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेताराम, दिनेश, महेश, राजेश, सुधीर पिता चेताराम नावड़ा नि.ग्रा. | 148   | 0.052 | —  |
| 94  | बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप, गिरीराम, संतोषबाई, रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि. ग्रा.                                    | 149   | 0.036 | मकान-1, प्लेट नं. 684                        |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
|-----|---|-------|-------|---|
| 95  | भगवान, शिवराम, बलीराम, भागवतबाई, सुशीला पिता मंगत्या, लक्ष्मीबाई बेवा मंगत्या गुजर नि.ग्रा.                     | 150   | 0.044 | मकान-5, प्लेट नं. 421, 422, 423, 424, 425             |
| 96  | सुजानबाई बेवा भुवानीराम, जगन्नाथ, चेताराम, भगवान पिता भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.                                   | 151   | 0.024 | मकान-1, प्लेट नं. 441                                 |
| 97  | सीताराम पिता दवला गुजर नि.ग्रा.   | 152   | 0.016 | मकान-1, प्लेट नं. 442                                 |
| 98  | दिनेश, राजेश, हेमलताबाई, छायाबाई, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम, द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.     | 153/1 | 0.024 | मकान-1, प्लेट नं. 440                                 |
| 99  | ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.   | 153/2 | 0.012 | मकान-1, प्लेट नं. 435                                 |
| 100 | ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.   | 153/3 | 0.017 | पशुबाड़ा-1 प्लेट नं. 429                              |
| 101 | पारूबाई पति सीताराम, राधेश्याम पिता नाना गुजर नि. ग्रा.   | 154   | 0.016 | मकान-2 प्लेट नं. 427, 428.                            |
| 102 | संतोष पिता नारायण तेली, राम पिता शिवराम गुजर नि. ग्रा.  | 155   | 0.016 | मकान-1, प्लेट नं. 426                                 |
| 103 | मंगत्या पिता टीकाराम, रेवाराम पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.   | 156   | 0.045 | मकान-1  |
| 104 | तोताराम पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.   | 157/1 | 0.024 | मकान-1, टीनशेड-1 प्लेट नं. 685.                       |
| 105 | रामेश्वर, अनोकचंद, नर्मदाबाई, मायाबाई पिता आनंदराम, धनयबाई बेवा आनंदराम गुजर नि. ग्रा.                          | 157/2 | 0.029 | मकान-2 प्लेट नं. 686, 687.                            |
| 106 | मंगत्या पिता पुनाजी कुम्हार नि. ग्रा.   | 158   | 0.032 | टापरी-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.                          |
| 107 | हुसैना खॉं, मंगतु फकीर मोहम्मद, इसाक पिता रमजान, बानुबाई बेवा रमजान पिंजारा नि. ग्रा.                           | 159/1 | 0.021 | मकान-3 प्लेट नं. 689, 690, 691.                       |
| 108 | ईल्यास पिता कालू पिंजारा नि. ग्रा.  | 159/2 | 0.016 | टप्पर-2 प्लेट नंबर नहीं है.                           |
| 109 | जैतुनबाई बेवा, बसुखॉं रहमान, लतिफ, सलमा, रहीसा पिता बसुखॉं पिंजारा नि. ग्रा.                                    | 159/3 | 0.016 | नींबू-1, मकान-1 प्लेट नं. 688.                        |
| 110 | छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.   | 160   | 0.073 | बेर-1, टीन शेड-1 टप्पर-1, मकान-1 प्लेट नंबर नहीं हैं. |
| 111 | लक्ष्मण पिता रूपा, इदरसिंह, सजनसिंह, कमलसिंह, संतोषबाई, दुर्गाबाई पिता छितर, कमलाबाई बेवा छितर राजपूत नि. ग्रा. | 163   | 0.024 | मकान-1, पशुशेड-1 प्लेट नं. 413.                       |
| 112 | कनकसिंह पिता नत्थूसिंह राजपूत नि. ग्रा.   | 164   | 0.020 | निंबू-1, मकान-1, गोबरगैस-1 प्लेट नं. 412.             |



| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  |
|-----|--|-------|-------|--|
| 113 | प्यारसिंह, चंदरसिंह, चैनसिंह, कुसुमबाई पिता धनसिंह, प्रेमबाई बेवा नारायण, रेखाबाई, शेराबाई, द्रोपदीबाई पिता नारायण अज्ञान मधुबाई, वर्षाबाई, भावनाबाई, भीमसिंह पिता नारायण पालनकर्ता माँ प्रेमबाई राजपूत नि. ग्रा.  | 165   | 0.020 | मकान-2 प्लेट नं. 410, 411.                   |
| 114 | मिश्रीलाल पिता भाईराम गुजर नि. ग्रा.   | 166/1 | 0.016 | मकान-1, प्लेट नं. 409                        |
| 115 | आनंदराम, आत्माराम, रमेश, कपुरचंद, राधाबाई पिता चंपालाल गुजर नि. ग्रा.  | 166/2 | 0.008 | मकान-1, प्लेट नं. 408                        |
| 116 | जमनाबाई पिता जैराम गुजर नि. ग्रा.  | 166/3 | 0.008 | मकान-1, प्लेट नं. 430                        |
| 117 | नत्थू पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.   | 167/1 | 0.012 | मकान-4, प्लेट नं. 432, 436, 437, 438.        |
| 118 | दुलीचंद पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.   | 167/2 | 0.012 | मकान-3, प्लेट नं. 433, 434, 435.             |
| 119 | रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर, पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम, एडू देवराम पिता राजाराम गुजर नि. ग्रा.   | 170   | 0.012 | मकान-3, प्लेट नं. 348, 349, 380.             |
| 120 | गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.  | 171   | 0.036 | टीनशेड-1, गोबरगैस-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.     |
| 121 | सडू पिता लक्ष्मण तेली नि. ग्रा.  | 172   | 0.053 | मकान-2, नीम-1, टीन शेड-1 प्लेट नं. 692, 460. |
| 122 | महेश कुमार पिता मिश्रीलाल सुतार नि. ग्रा.  | 173/1 | 0.021 | मकान-1, प्लेट नं. 693.                       |
| 123 | भगवान पिता हिरालाल गुजर नि. ग्रा.  | 173/2 | 0.020 | मकान-1, गोबरगैस-1 प्लेट नं. 694.             |
| 124 | शिवशंकर पिता गणपत तेली नि. ग्राम.  | 173/3 | 0.020 | मकान-1, प्लेट नं. 695                        |
| 125 | भीमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 174   | 0.024 | बैर-1, टापरी-1, प्लेट नं. नहीं है.           |
| 126 | राधेश्याम, श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद, अशोक, यशवंत, कैलाश, कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव, ज्ञानेन्द्र, महेन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि. ग्रा. | 175   | 0.089 | पिपल-1                                       |
| 127 | राधेश्याम, बलीराम, देवराम, गीताबाई, भागवतीबाई पिता मांग्या, राजाराम, सीताराम, पिता पोंमड़ीया, शोभाराम, सुन्दरबाई, लक्ष्मीबाई पिता गंगाराम, तेली नि. ग्रा.  | 176   | 0.057 | नींबू-1, टीन शेड 2 प्लेट नंबर नहीं हैं.      |

| (1) | (2)  | (3)        | (4)   | (5)  |
|-----|--|------------|-------|--|
| 128 | दिनानाथ पिता देवराम तेली नि. ग्रा.   | 177/1/2    | 0.016 | —  |
| 129 | एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.   | 177/2      | 0.033 | इमली-1, पिपल-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.  |
| 130 | देवराम, नानूराम, रेवाराम पिता गणपत राजाराम, भाईराम, भीलू पिता लक्ष्मण, दयाबाई बेवा लक्ष्मण रतन पिता दयाराम, रेवाराम, अमराजी, बाबूलाल, रामलाल, भुवानीराम, कुवरबाई, धनीबाई, झुमकाबाई पिता भाऊ, जातीबाई बेवा भाउ गुजर नि. ग्रा. | 179 पैकी   | 0.081 | मकान-2 प्लेट नं. 414, 415.   |
| 131 | बाबु ओंकार, राधेश्याम, भगवान पिता रेवाराम गुजर नि. ग्रा.   | 180/1 पैकी | 0.004 | नीम-1, मकान-3, प्लेट नं. 696, 697, 698, टीनशेड-1.  |
| 132 | पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.   | 180/2      | 0.052 | अनार-1, आंवला-1, सिताफल-1, जामफल-1, मकान-2 प्लेट नं. 416, 417, 418.  |
| 133 | राघोराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.  | 182/1      | 0.021 | मकान-1 प्लेट नं. 699   |
| 134 | रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.   | 182/2      | 0.024 | मकान-1 प्लेट नं. 700   |
| 135 | लेखराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.   | 182/3      | 0.024 | गोरबरगैस-1, मकान-1 प्लेट नं. 701.  |
| 136 | सेवकराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.  | 182/4      | 0.024 | मकान-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.  |
| 137 | आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि. ग्रा.  | 183 पैकी   | 0.032 | मकान-1 प्लेट नं. 702.  |
| 138 | सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 185/1 पैकी | 0.024 | मकान-1, प्लेट नं. 703  |
| 139 | नर्मदाबाई पति हुकुमचंद गुजर नि. ग्रा.  | 185/2 पैकी | 0.024 | मोसंबी-1, सिताफल-5, जामुन-3, अनार-2, संतरा-1, आम पौधे-5, बांसजाली-1, नीम बड़ पिपल (त्रीवेणी)-1 मकान-2, गोबरगैस-1 प्लेट नं. 712, 713. |
| 140 | गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 187 पैकी   | 0.040 | नीम-1, टपरी-1 प्लेट नंबर नहीं है.  |
| 141 | कैलाश पिता रतन गुजर नि. ग्रा.  | 188 पैकी   | 0.004 | नीम-1  |
| 142 | शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 189 पैकी   | 0.008 | नीम-1  |
| 143 | राधाबाई बेवा दुलीचंद, महेश, ओमप्रकाश पिता दुलीचंद अ.पा.क. मा. राधाबाई बेवा दुलीचंद, रेखाबाई पिता दुलीचंद गुजर नि. ग्रा.  | 191 पैकी   | 0.004 | आम पौधा-1, सिताफल 2, जामुन-1, अनार-1, निंबू-2, नीम-1, मकान-1, प्लेट नं. 704.   |

| (1) | (2)   | (3)        | (4)   | (5)   |
|-----|---|------------|-------|---|
| 144 | लखन पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.  | 204/1 पैकी | 1.562 | —   |
| 145 | शेरू पिता राजला बलाई नि. ग्रा.  | 204/2 पैकी | 1.416 | —   |
| 146 | सुन्दरलाल पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.  | 204/3 पैकी | 1.044 | —   |
| 147 | रेखाबाई बेवा दिलीप, अंजली, रोहित पिता दिलीप अ.पा.कर्ता रेखाबाई बेवा दिलीप, संगीता, सोनु पिता शिवराम, ज्योति, प्रतिभा पिता शिवराम, अ.पा.कर्ता बहन संगीताबाई बलाई नि. ग्रा.   | 204/4 पैकी | 1.416 | —   |
| 148 | बसन्तीबाई बेवा छगन, सियाराम, मोहन, जीवनबाई, सुमनबाई पिता छगन नहाल नि. ग्रा.   | 205 पैकी   | 0.028 | —   |
| 149 | प्यारसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.  | 206/1      | 0.021 | निंबू-1, मकान-1 प्लेट नं. 754.                            |
| 150 | चंदरसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.   | 206/2      | 0.020 | मकान-1 प्लेट नं. 755                                      |
| 151 | गोविन्दसिंह, नारायण, इन्दर, मुकेश, अनिता पिता भग्गुसिंह, शान्ताबाई बेवा भग्गुसिंह, कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह, सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 207 पैकी   | 0.040 | नीम-2, बबूल-1, मकान-5, प्लेट नं. 761, 762, 763, 764, 765. |
| 152 | शंकर, मंगत्या पिता उंकार बलाई नि. ग्रा.   | 211        | 0.037 | मकान-1, प्लेट नं. 609, 610.                               |
| 153 | शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्राम.  | 213        | 0.271 | नीम-3   |
| 154 | नारायण, बांगा, सावित्रीबाई, भुवानीबाई पिता हिरीया, दगड़या पिता दसरिया, राजला पिता हरजा, शंकर, करसन, भिल्या पिता मांग्या बलाई नि. ग्रा.  | 214        | 0.081 | मकान-2 प्लेट नंबर नहीं हैं.                               |
| 155 | राधोराम, मंगतीबाई पिता फत्तू गयणाबाई बेवा फत्तू गीताबाई, ग्यारसीबाई, भागवत पिता भिल्या, करसन धवलईबाई पिता नत्थू, छित्तू, मांगी, काली पिता करसन, सुन्दरबाई बेवा करसन, नानकिया, गेंदिया, गुलाब, काली पिता कान्या, बन्स्या, मन्स्या, घनश्याम, कड़वीबाई पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा. | 216        | 0.061 | त्रीवेणी-1, मकान-3 प्लेट नं. 613, 614, 615, 616.          |
| 156 | बाल्या, भिल्या, प्यारा, जानकी सीता, गेंदा पिता घिस्या, रेवाराम, सदाशिव, जमनाबाई, रूसीबाई पिता एडू बलाई नि. ग्रा.  | 217        | 0.057 | मकान-1, प्लेट नं. 618                                     |
| 157 | कुन्दन, चंदन पिता भिका बलाई नि. खामखेड़ा  | 218        | 0.040 | नीम-1, मकान-1 प्लेट नं. 649.                              |
| 158 | नत्थू पिता मंगत्या, मरूबाई बेवा मंगत्या, बोखार, रामा पिता कन्हैया बलाई नि. ग्रा.  | 219        | 0.073 | मकान-3 प्लेट नंबर नहीं हैं.                               |
| 159 | सायबा पिता कालू बलाई नि. ग्रा.  | 220        | 0.016 | मकान-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.                               |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   |
|-----|--|-------|-------|---|
| 160 | शंकर, देवराम पिता सोम्मरिया, मैनाबाई बेवा सोम्मरिया, मिश्रीलाल, केशरिया, पुनीबाई, सरसतबाई पिता गणपत, नबीबाई बेवा गणपत बलाई नि. ग्रा.   | 221   | 0.032 | मकान-2, प्लेट नंबर नहीं है.                         |
| 161 | मनोहर पिता धन्नालाल, बलाई नि. ग्रा.  | 224/1 | 0.024 | बादाम-1, जामुन-1 मकान-2, प्लेट नं. 275, 276.        |
| 162 | शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 224/2 | 0.045 |   |
| 163 | शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 225   | 0.012 | बड़-1, बबूल-1                                       |
| 164 | शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 227   | 0.170 | नीम-1, बड़-1 मकान-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.  |
| 165 | मंगत पिता अर्जुन बलाई नि. ग्रा.  | 229   | 0.036 | नीम-1, पीपल-1, बांस जाली-1, मकान-1, प्लेट नं. 271.  |
| 166 | गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 232   | 0.040 | मकान-1, गोंदी-1 प्लेट नं. 020.                      |
| 167 | मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरालाल, बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान, कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैदाबाई, बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा. | 233   | 0.020 | नीम-2, पीपल-1, मकान-2, प्लेट नं. 231, 232.          |
| 168 | बंसीधर पिता गणपतराव ब्रा. नि. ग्रा.  | 234   | 0.032 | —   |
| 169 | रामेश्वर, राधेश्याम, संतोष, उमा, कंचन, गुलाब, किरण पिता नराण तेली नि. ग्रा.  | 235   | 0.032 | स्कूल भवन-1 प्लेट नंबर नहीं है.                     |
| 170 | एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.   | 237   | 0.040 | बोर-1   |
| 171 | अमरा पिता टिकाराम गुजर नि. ग्रा.   | 239/2 | 0.020 | पशुबाड़ा-1 प्लेट नंबर नहीं है.                      |
| 172 | सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 242/1 | 0.206 | नीम-1, पीपल-1, बबूल-1, टप्पर-1, प्लेट नंबर नहीं है. |
| 173 | गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.   | 242/2 | 0.211 | मकान-1, नीम-1, प्लेट नं. 676.                       |
| 174 | मंगत्या पिता भील्या बलाई नि. ग्रा.   | 243   | 0.008 | मकान-1  |
| 175 | ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.   | 245/1 | 1.214 | नीम-1, टीनशेड-1 प्लेट नंबर नहीं है.                 |

| (1) | (2)  | (3)        | (4)   | (5)           |
|-----|--|------------|-------|---------------|
| 176 | रेशमबाई बेवा सुक्या, सुरज पिता सुक्या, संगीता, नंदिनी, अभिषेक पिता सुक्या, अ.पा.क. मां. रेशमबाई बलाई, सा. देह धन्या, शिवराम, दुर्गा पिता गणपत बलाई सा. देह                       | 246        | 2.023 | —             |
| 177 | गेंदुया पिता कान्या हरिजन नि. ग्रा.  | 247        | 1.780 | —             |
| 178 | रमेश, ओमप्रकाश, गबरू, झुमकीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.  | 249/1      | 1.214 | —             |
| 179 | रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.  | 249/2      | 2.023 | —             |
| 180 | मदन, सुकईबाई, ग्यारसीबाई नर्मदा, सोना पिता शोभाराम बलाई नि. ग्रा.  | 249/3 पैकी | 1.521 | नीम-1         |
| 181 | शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजु, ममता, कुसुम, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, नीलाबाई बेवा श्यामलाल, कमलेश, रमेश, दिनेश पिता श्यामलाल, बलाई नि. ग्रा.                     | 249/4 पैकी | 0.607 | —             |
| 182 | सुन्दरबाई बेवा करसन, छित्तू पिता करसन बलाई नि. ग्रा.   | 249/5 पैकी | 0.385 | —             |
| 183 | ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.   | 249/6      | 0.809 | —             |
| 184 | पदम पिता बुटिया बलाई नि. ग्रा.   | 250/1      | 2.023 | —             |
| 185 | रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.  | 250/2      | 2.023 | नीम-1         |
| 186 | ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा, नि. ग्रा.  | 251/1      | 2.023 | —             |
| 187 | तुकाराम पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.   | 251/2      | 0.993 | नीम-4, बबूल-1 |
| 188 | रमेश, ओमप्रकाश, गबरू, झुमकीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.  | 252/1      | 2.023 | —             |
| 189 | घिसीबाई बेवा मांगीलाल, किशोर, नमीचंद, दुलीचंद कड़वी, मुन्नी पिता मांगीलाल, नर्मदा बेवा सुरेश, पंकज पिता सुरेश, संतोष पिता सुरेश अ.पा.क. माता नर्मदाबाई बेवा सुरेश सोनी नि. ग्रा. | 253/1      | 1.619 | —             |
| 190 | शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 253/2      | 0.809 | —             |
| 191 | शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 253/3      | 0.809 | —             |
| 192 | शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.  | 253/4      | 0.809 | —             |
| 193 | धन्या पिता छित्तू, सावत्रीबाई पिता नांग्या, जतनबाई बेवा नांग्या बलाई नि. ग्रा.   | 255/1      | 2.023 | —             |
| 194 | कालीबाई पिता निल्या बलाई नि. ग्रा.   | 255/2      | 2.023 | —             |
| 195 | कैलाश, गुलाबचंद, ताराचंद, मोहन पिता निल्या निवासी झापड़ी तह. महेश्वर सुमनबाई पिता निल्या निवासी रतनपुर तह. बड़वाह, कमलाबाई पिता न्यादर निवासी महु बलाई.                          | 255/3 पैकी | 1.813 | —             |

| (1) | (2)  | (3)        | (4)   | (5)                          |
|-----|--|------------|-------|------------------------------|
| 196 | बाल्या पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.  | 256/1 पैकी | 0.089 | नीम-20                       |
| 197 | घनश्याम पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा.  | 258 पैकी   | 0.040 | —                            |
| 198 | बसुबाई बेवा सायबाब बलाई नि. ग्रा.  | 259/1 पैकी | 1.375 | —                            |
| 199 | धन्या पिता नांग्या बलाई नि. ग्रा.  | 259/2 पैकी | 1.060 | —                            |
| 200 | कड़वीबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि. ग्रा.   | 266 पैकी   | 0.227 | —                            |
| 201 | कमलाबाई बेवा भील्या, शान्तिलाल, कन्हैया, सेवकराम पिता भिल्या, अ.पा.क. माँ कमलाबाई, मीराबाई बेवा बलीराम, सुरेश, विजय पिता बलीराम, पुनीबाई पिता भिल्या बलाई नि.ग्रा. | 267 पैकी   | 0.073 | —                            |
| 202 | शिवनारायण, रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.   | 270/2      | 0.535 | —                            |
| 203 | दगडू, कालू, दुलीचंद, बालाजी, प्रेमलाल, चंपाबाई, शारदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.   | 280 पैकी   | 0.340 | —                            |
| 204 | सीताबाई बेवा शंकर, भूरया, सखाराम, सुन्दरलाल, आनंदराम, लखन अमरया, लाड़कीबाई, द्वारकीबाई पिता शंकर बलाई नि.ग्रा.   | 281/1 पैकी | 1.375 | नीम-3                        |
| 205 | शेरू, नहारसिंग, अमरया, रमेश, कमलाबाई, नानाबाई पिता राजला, कौशल्याबाई बेवा राजला बलाई नि.ग्रा.  | 281/2 पैकी | 1.643 | —                            |
| 206 | जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां  | 282/1 पैकी | 0.085 | —                            |
| 207 | जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां  | 282/3      | 0.486 | —                            |
| 208 | सतेन्द्र पिता सुभाषचन्द्र पाटीदार नि. कसरावद   | 284 पैकी   | 0.729 | नीम-1                        |
| 209 | जगदीश पिता टिकाराम गुजर नि. नगावां   | 285/1 पैकी | 0.056 | पिवत नर्मदा से               |
| 210 | रेवाराम पिता टीकाराम गुजर नि. ग्रा.  | 285/6 पैकी | 0.298 | नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से. |
| 211 | छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.  | 288 पैकी   | 0.081 | —                            |
| 212 | भुवानीराम पिता नाना मोरी नि. ग्रा.   | 289/2 पैकी | 0.162 | नीम-2                        |
| 213 | रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.  | 292 पैकी   | 0.809 | नीम-1                        |
| 214 | रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.  | 293        | 0.016 | —                            |
| 215 | रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.  | 295        | 0.202 | —                            |
| 216 | कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा  | 301 पैकी   | 0.056 | —                            |
| 217 | मंसाराम पिता गप्पू तेली नि. ग्रा.  | 305 पैकी   | 0.293 | —                            |
| 218 | पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.   | 306/1 पैकी | 0.044 | —                            |

| (1)        | (2)   | (3)          | (4)    | (5)                           |
|------------|---|--------------|--------|-------------------------------|
| 219        | कड़वीबाई बेवा नानकदास, सेवकराम, पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. माँ कड़वीबाई बेवा नानकदास, भागवतबाई, रूकमणीबाई पिता नानकदास, केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई, गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एड्डू, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता नत्थू नावड़ा नि. ग्रा. | 320 पैकी     | 0.040  | —                             |
| 220        | नथीबाई बेवा छित्तू, वजीर, बसीर, गफुर, हजराबाई, आमनाबाई सकीनाबाई पिता छित्तू प्यारा पिता रोशन पिंजारा नि. ससाबरड़.   | 468          | 0.235  | नीम-2                         |
| 221        | भगवान पिता रूघनाथ, जीवन्तीबाई पिता रूगनाथ भारूड़ नि. ससाबरड़.   | 471          | 0.008  | —                             |
| 222        | मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरालाल, बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान, कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गेंदाबाई, बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.   | 477 पैकी     | 0.073  | सिंचित नर्मदा पाईप लाईन-1 से. |
| 223        | शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजू, ममताबाई, कुसुमबाई, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, बलाई नि. ग्रा.   | 478/1 पैकी   | 0.809  | नीम-3                         |
| 224        | नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.   | 478/2 पैकी   | 0.251  | नीम-9                         |
| 225        | नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.   | 478/3 पैकी   | 0.121  | नीम-3                         |
| 226        | कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोर  | 299/616 पैकी | 0.073  | —                             |
| महायोग . . |   | 226          | 64.648 |                               |

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8/2010/सात-2ए, भोपाल दिनांक 10-5-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

**कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—**

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अर्वाड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 64.648 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. कंपनी (इस आशय के कारणनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
  2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
  3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
  4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
  5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
  6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
  7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
  8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
  9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
  10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
  11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
  12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
  13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
  14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
  15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.



16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
  - (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
  - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
  - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
  - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

#### साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

#### साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

#### साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

#### पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हस्ता./-

#### ( केदार शर्मा )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन (म. प्र.).

#### पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

#### ( असद जाफर )

महाप्रबंधक,  
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,  
मण्डलेश्वर.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्र. 20-अ-82-08-09-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |  |   | धारा 4 की उपधारा (2)  | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|---------|--|---|---|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम                                    | लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन                              |
| (1)           | (2)     | (3)                                      | (4)                                       | (5)   | (6)                                   |
| जबलपुर        | शाहपुरा | मगरमुंहा<br>प. ह. नं. 58,<br>नं. ब. 339. | बोरवेल एक                                 | कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. बांयी तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर. | मगरमुंहा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 4062-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                               | धारा 4 (2) के अन्तर्गत                     | सार्वजनिक प्रयोजन                                       |
|---------------|----------|----------------------|-------------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन  |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4)                           | (5)  | (6)   |
| राजगढ़        | सारंगपुर | मुंडला लोधा<br>घोसला | 10.506<br>5.903               | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | मुंडलालोधा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन. |
|               |          | योग :                | 16.409                        |  |   |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 4058-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |             |                                  | धारा 4 (2) के अन्तर्गत                       | सार्वजनिक प्रयोजन                              |
|---------------|----------|-------------|----------------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                            | का वर्णन                                       |
| (1)           | (2)      | (3)         | (4)                              | (5)  | (6)  |
| राजगढ़        | सारंगपुर | मुंडला लोधा | 1.475                            | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन<br>संभाग, राजगढ़ | मुंडला लोधा नहर निर्माण हेतु<br>भूमि का अर्जन. |
| योग :         |          |             | 1.475                            |  |  |

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2011

प्र. क्र. 2-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                  | सार्वजनिक प्रयोजन                        |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| जिला          | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के अन्तर्गत<br>प्राधिकृत अधिकारी      | का वर्णन                                 |
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)                              | (5)                                   | (6)                                      |
| टीकमगढ़       | जतारा | जरूआ  | 9.000                            | अनुविभागीय अधिकारी<br>(राजस्व) जतारा. | जरूआ तालाब योजना के नहर<br>निर्माण हेतु. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 415-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)  | सार्वजनिक प्रयोजन                            |
|---------------|---------|-------|----------------------------------|---|--|
| जिला          | तहसील   | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन                                     |
| (1)           | (2)     | (3)   | (4)                              | (5)   | (6)  |
| झाबुआ         | पेटलावद | मोर   | 2.52                             | कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.) | माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु. |

क्र. 417-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |            |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)   | सार्वजनिक प्रयोजन                            |
|---------------|---------|------------|----------------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील   | ग्राम      | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन                                     |
| (1)           | (2)     | (3)        | (4)                              | (5)  | (6)  |
| झाबुआ         | पेटलावद | खाखरापाड़ा | 1.41                             | कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.). | माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु. |

क्र. 419-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |             |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)   | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|---------|-------------|----------------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील   | ग्राम       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन   |
| (1)           | (2)     | (3)         | (4)                              | (5)  | (6)  |
| झाबुआ         | पेटलावद | टाण्डापड़ाव | 1.98                             | कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.). | माही परियोजना की कचनारिया एवं टाण्डापड़ाव नहर के निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 421-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |         |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)   | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |
|---------------|---------|---------|----------------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील   | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन   |
| (1)           | (2)     | (3)     | (4)                              | (5)  | (6)  |
| झाबुआ         | पेटलावद | सजेलिया | 3.29                             | कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना<br>मुख्य बांध संभाग, पेटलावद,<br>जिला झाबुआ (म. प्र.). | माही परियोजना की बरबेट माईनर<br>नहर के निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . 10 पत्र क्र. 762-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |        |                              | धारा 4 की उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|---------------|-------|--------|------------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील | ग्राम  | अर्जनीय रकबा<br>(हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)   | (3)    | (4)                          | (5)   | (6)   |
| सतना          | मैहर  | सुहौला | 0.020                        | कार्यपालन यंत्री,<br>न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9<br>मैहर. | दार्यी तट की सतना रीवा मुख्य<br>नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.. . . 10 पत्र क्र. 763-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |                                   | धारा 4 की उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन                                  |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------------|---|--|
| जिला          | तहसील | ग्राम     | अर्जनीय रकबा<br>लगभग (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन   |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)                               | (5)   | (6)  |
| सतना          | मैहर  | यदुबीरनगर | 0.080                             | कार्यपालन यंत्री,<br>न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9<br>मैहर. | दांर्यी तट की सतना रीवा मुख्य<br>नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . .10 पत्र क्र. 764-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |        |                                   | धारा 4 की उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन                                   |
|---------------|-------|--------|-----------------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील | ग्राम  | अर्जनीय रकबा<br>लगभग (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)   | (3)    | (4)                               | (5)   | (6)   |
| सतना          | मैहर  | पथरहटा | 0.352                             | कार्यपालन यंत्री,<br>न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9<br>मैहर. | दांर्यी तट की सतना, रीवा मुख्य<br>नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . .08 पत्र क्र. 773-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |       |                                   | धारा 4 की उपधारा (2)                                      | सार्वजनिक प्रयोजन                                   |
|---------------|-------|-------|-----------------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा<br>लगभग (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)                               | (5)   | (6)   |
| सतना          | मैहर  | पाला  | 0.183                             | कार्यपालन यंत्री,<br>न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9<br>सतना. | दांर्यी तट की सतना, रीवा मुख्य<br>नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 203-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |             |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत  | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)         | (4)                         | (5)   | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | देवरा कोठार | 20.955                      | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.) | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की बेलरी माइनर<br>एवं सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 205-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |           |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन   |
| (1)           | (2)            | (3)       | (4)                         | (5)  | (6)  |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | अबेर      | 0.858                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की कोटर माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 207-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |           |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)       | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | किचवरिया  | 3.828                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की केमली सबमाइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 209-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |           |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन   |
| (1)           | (2)            | (3)       | (4)                         | (5)  | (6)  |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | रजरवार    | 8.118                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.), | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की केमली सबमाइनर<br>एवं कोटर माइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 211-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |           |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)       | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | ढोढ़ी     | 3.234                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की केमली माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 213-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |           |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)       | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | भटिगवां   | 3.696                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा सबमाइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 215-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |             |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)         | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | थथौरा कोठार | 6.798                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर<br>एवं सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 217-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                  |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम        | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)              | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | पिपराछा<br>कोठार | 14.256                      | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं<br>नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 219-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम      | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)            | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | लौलाछ<br>कोठार | 13.299                      | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं<br>नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 221-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                 |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)             | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | मगरवार<br>कोठार | 4.686                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं<br>नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 223-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                   |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत  | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी   | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)               | (4)                         | (5)   | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | टिकुरी<br>पैपरखार | 2.673                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.) | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 225-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम      | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)            | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | बिहरा<br>कोठार | 20.625                      | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं<br>नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 227-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                     |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)                 | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | बरा कोठार<br>पैपखार | 3.564                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की बेलरी सबमाइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 229-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |             |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)         | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | देवरी वृत्त | 3.993                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की बेलरी माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 231-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                 |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन   |
| (1)           | (2)            | (3)             | (4)                         | (5)  | (6)  |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | गोलहटा<br>वृत्त | 10.692                      | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.), | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं<br>सबमाइनर तथा नवलछा माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 233-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                |                   |                             | धारा 4 (2) के अन्तर्गत   | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)            | (3)               | (4)                         | (5)  | (6)   |
| सतना          | रामपुर बाघेलान | महदेवा<br>पैपरखार | 5.676                       | कार्यपालन यंत्री,<br>बाणसागर वितरिका नहर<br>संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत<br>पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं<br>सबमाइनर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1899-10-11-प्रकरण क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |               |                | धारा 4 की उपधारा (2)     |                               | सार्वजनिक प्रयोजन                                |                   |
|---------------|--------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी |                               | का वर्णन   |                   |
| (1)           | (2)    | (3)           | ख. नं          | कुल रकबा<br>(हैक्टर में) | अर्जित<br>किया<br>गया<br>रकबा | (5)  | (6)               |
| रायसेन        | रायसेन | संग्रामपुर    | 161/1          | 0.607                    | 0.132                         | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>रायसेन. | नहर निर्माण कार्य |
|               |        | सिंचाई योजना. | 149            | 1.623                    | 0.080                         |  |                   |
|               |        |               | 285            | 0.457                    | 0.060                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 2.687                    | 0.272                         |  |                   |
|               |        |               | 160            | 1.214                    | 0.128                         |  |                   |
|               |        |               | 122/5          | 0.263                    | 0.160                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 1.477                    | 0.288                         |  |                   |
|               |        |               | 164/2          | 0.631                    | 0.280                         |  |                   |
|               |        |               | 163/1/2        | 0.819                    | 0.120                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 1.450                    | 0.400                         |  |                   |
|               |        |               | 167            | 1.505                    | 0.080                         |  |                   |
|               |        |               | 163/2/1        | 0.607                    | 0.228                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 2.112                    | 0.308                         |  |                   |
|               |        |               | 166/1          | 0.311                    | 0.048                         |  |                   |
|               |        |               | 165/2          | 0.972                    | 0.190                         |  |                   |
|               |        |               | 151/2/1        | 2.452                    | 0.090                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 3.735                    | 0.328                         |  |                   |
|               |        |               | 122/4          | 0.263                    | 0.040                         |  |                   |
|               |        |               | 148/2          | 0.837                    | 0.080                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 1.100                    | 0.120                         |  |                   |
|               |        |               | 128            | 0.486                    | 0.016                         |  |                   |
|               |        |               | 77/1           | 0.558                    | 0.096                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 1.044                    | 0.112                         |  |                   |
|               |        |               | 129            | 0.421                    | 0.124                         |  |                   |
|               |        |               | 131            | 0.547                    | 0.112                         |  |                   |
|               |        |               | 139            | 0.995                    | 0.168                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 1.963                    | 0.404                         |  |                   |
|               |        |               | 151/2/2        | 1.801                    | 0.096                         |  |                   |
|               |        |               | 152/1          | 0.647                    | 0.106                         |  |                   |
|               |        |               | योग . .        | 2.448                    | 0.202                         |  |                   |

| (1) | (2) | (3) | (4)       | (5)   | (6)   |
|-----|-----|-----|-----------|-------|-------|
|     |     |     | 114/2     | 0.551 | 0.090 |
|     |     |     | 116       | 0.117 | 0.018 |
|     |     |     | योग . .   | 0.668 | 0.108 |
|     |     |     | 118       | 2.250 | 0.036 |
|     |     |     | 53        | 0.210 | 0.066 |
|     |     |     | योग . .   | 2.460 | 0.102 |
|     |     |     | 61/2/1    | 0.097 | 0.015 |
|     |     |     | 68/1      | 0.125 | 0.060 |
|     |     |     | 66/1      | 0.101 | 0.048 |
|     |     |     | 63/2      | 0.109 | 0.048 |
|     |     |     | योग . .   | 0.432 | 0.171 |
|     |     |     | 65/2/2    | 0.097 | 0.015 |
|     |     |     | 68/2      | 0.126 | 0.018 |
|     |     |     | योग . .   | 0.223 | 0.033 |
|     |     |     | 46        | 0.162 | 0.030 |
|     |     |     | 47        | 0.166 | 0.030 |
|     |     |     | योग . .   | 0.328 | 0.060 |
|     |     |     | 142/2     | 1.203 | 0.096 |
|     |     |     | 127       | 0.146 | 0.036 |
|     |     |     | योग . .   | 1.349 | 0.132 |
|     |     |     | 162/2     | 1.894 | 0.144 |
|     |     |     | 310       | 0.902 | 0.300 |
|     |     |     | योग . .   | 2.796 | 0.444 |
|     |     |     | 311/3     | 0.705 | 0.705 |
|     |     |     | 311/1     | 0.708 | 0.160 |
|     |     |     | 161/318/1 | 1.214 | 0.280 |
|     |     |     | 164/1     | 1.392 | 0.096 |
|     |     |     | 165/1     | 2.023 | 0.304 |
|     |     |     | 311/2     | 0.708 | 0.708 |
|     |     |     | 148/1     | 2.688 | 0.280 |
|     |     |     | 121/1     | 1.388 | 0.200 |
|     |     |     | 142/1     | 2.023 | 0.204 |
|     |     |     | 126       | 1.461 | 0.080 |
|     |     |     | 312       | 2.428 | 0.203 |
|     |     |     | 313       | 6.070 | 0.927 |
|     |     |     | 121/2     | 1.384 | 0.080 |
|     |     |     | 162/1     | 1.894 | 0.144 |
|     |     |     | 151/1     | 1.619 | 0.120 |
|     |     |     | 152/2     | 3.803 | 0.192 |
|     |     |     | 152/3     | 5.015 | 0.090 |
|     |     |     | 309       | 4.338 | 0.140 |
|     |     |     | 299       | 4.856 | 0.172 |
|     |     |     | 269/1/10  | 1.006 | 0.060 |
|     |     |     | 269/1/9   | 1.006 | 0.064 |
|     |     |     | 269/1/8   | 1.006 | 0.100 |
|     |     |     | 269/1/7   | 1.006 | 0.020 |
|     |     |     | 271/1     | 1.214 | 0.024 |



| (1)    | (2)    | (3)       | (4)     | (5)    | (6)    |
|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|
|        |        |           | 270     | 5.261  | 0.220  |
|        |        |           | 289/1/1 | 1.640  | 0.064  |
|        |        |           | 289/2   | 1.226  | 0.120  |
|        |        |           | 290/1   | 0.778  | 0.060  |
|        |        |           | 291     | 0.599  | 0.064  |
|        |        |           | 287     | 0.603  | 0.064  |
|        |        |           | 163/2/2 | 1.571  | 0.020  |
|        |        |           | 168/1   | 1.012  | 0.120  |
|        |        |           | 114/3   | 0.595  | 0.090  |
|        |        |           | 114/1   | 0.647  | 0.084  |
|        |        |           | 71      | 1.129  | 0.114  |
|        |        |           | 74/2    | 0.182  | 0.072  |
|        |        |           | 63/1    | 0.061  | 0.042  |
|        |        |           | 63/3    | 0.109  | 0.048  |
|        |        |           | 54      | 0.263  | 0.030  |
|        |        |           | 50      | 0.198  | 0.048  |
|        |        |           | 45/1    | 0.669  | 0.192  |
|        |        |           | 36      | 3.189  | 0.348  |
|        |        |           | योग . . | 96.959 | 10.637 |
| रायसेन | रायसेन | अंडोल     | 59/1    | 0.405  | 0.054  |
|        |        |           | 61/1    | 0.809  | 0.042  |
|        |        |           | योग . . | 1.214  | 0.096  |
|        |        |           | 52/2    | 1.719  | 0.240  |
|        |        |           | 64/1/1  | 0.809  | 0.120  |
|        |        |           | योग . . | 2.528  | 0.360  |
|        |        |           | 185/2/1 | 2.124  | 0.018  |
|        |        |           | 185/1   | 3.237  | 0.150  |
|        |        |           | 184/3   | 1.418  | 0.072  |
|        |        |           | 183/1   | 2.104  | 0.168  |
|        |        |           | 183/2/1 | 1.052  | 0.088  |
|        |        |           | 183/2/2 | 1.402  | 0.088  |
|        |        |           | 57/2/2  | 0.425  | 0.045  |
|        |        |           | 57/3    | 1.481  | 0.042  |
|        |        |           | 57/2/1  | 0.430  | 0.045  |
|        |        |           | 58      | 1.668  | 0.120  |
|        |        |           | 64/1/2  | 0.405  | 0.170  |
|        |        |           | 37      | 1.243  | 0.210  |
|        |        |           | 36      | 2.440  | 0.120  |
|        |        |           | 30/1    | 1.003  | 0.030  |
|        |        |           | 30/2    | 0.923  | 0.120  |
|        |        |           | 31      | 4.148  | 0.350  |
|        |        |           | 32      | 5.160  | 0.240  |
|        |        |           | योग . . | 34.405 | 2.532  |
| रायसेन | रायसेन | मिर्जापुर | 258     | 0.712  | 0.090  |
|        |        | पाली.     | 256     | 0.372  | 0.042  |
|        |        |           | योग . . | 1.084  | 0.132  |
|        |        |           | 274     | 1.311  | 0.130  |
|        |        |           | 266/3   | 1.987  | 0.156  |

| (1)    | (2)    | (3)   | (4)        |         | (5)    | (6) |
|--------|--------|-------|------------|---------|--------|-----|
|        |        |       | 266/2      | 1.987   | 0.136  |     |
|        |        |       | 266/1      | 2.258   | 0.174  |     |
|        |        |       | 262        | 1.728   | 0.210  |     |
|        |        |       | 254/1      | 0.263   | 0.036  |     |
|        |        |       | 257        | 0.506   | 0.066  |     |
|        |        |       | 259        | 0.907   | 0.048  |     |
|        |        |       | योग . .    | 12.031  | 1.088  |     |
| रायसेन | रायसेन | मुरैल | 316        | 0.194   | 0.024  |     |
|        |        | कलां  | 311        | 1.141   | 0.090  |     |
|        |        |       | 306        | 0.956   | 0.060  |     |
|        |        |       | योग . .    | 2.291   | 0.174  |     |
|        |        |       | 315        | 3.237   | 0.360  |     |
|        |        |       | 310/2      | 0.623   | 0.018  |     |
|        |        |       | 310/1      | 0.624   | 0.108  |     |
|        |        |       | 298/2/2    | 1.214   | 0.096  |     |
|        |        |       | 298/3      | 2.428   | 0.180  |     |
|        |        |       | योग . .    | 10.417  | 0.936  |     |
|        |        |       | महायोग . . | 153.812 | 15.193 |     |

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष-2010-11-78.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       | धारा 4 की उपधारा (2) |                                | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|-------|----------------------|--------------------------------|---|
| जिला          | तहसील | ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                            | (5)   |
| गुना          | गुना  | गोलाखेड़ी            | सर्वे<br>नम्बर                 | उप मुख्य अभियंता (निर्माण)<br>प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे<br>कोटा (राजस्थान). |
|               |       |                      | रकबा<br>(हेक्टर में)           | चौराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग<br>स्टेशन निर्माण योजना.                         |
|               |       |                      | 360 में से                     |   |
|               |       |                      | 0.021                          |   |
|               |       |                      | 362 में से                     |   |
|               |       |                      | 0.021                          |   |
|               |       |                      | कुल . .                        | 0.042   |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष-2010-11-80.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |          |                                | धारा 4 की उपधारा (2)  | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|---------------|---------|----------|--------------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील   | ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)     | (3)      | (4)                            | (5)   | (6)   |
| गुना          | राघौगढ़ | दावतपुरा | सर्वे<br>नम्बर                 | उप मुख्य अभियंता (निर्माण)<br>प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे<br>कोटा (राजस्थान). | चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग<br>स्टेशन निर्माण योजना. |
|               |         |          | 01 में से                      |   |   |
|               |         |          | 11 में से                      |   |   |
|               |         |          | 12 में से                      |   |   |
|               |         |          | 19/1/2 में से                  |   |   |
|               |         |          | 20/1/1 में से                  |   |   |
|               |         |          | कुल किता-5                     |   |   |
|               |         |          |                                |   | 0.484   |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष-2010-11-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |          |                                | धारा 4 की उपधारा (2)  | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|---------------|---------|----------|--------------------------------|---|---|
| जिला          | तहसील   | ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी  | का वर्णन  |
| (1)           | (2)     | (3)      | (4)                            | (5)   | (6)   |
| गुना          | राघौगढ़ | बालाभेंट | सर्वे<br>नम्बर                 | उप मुख्य अभियंता (निर्माण)<br>प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे<br>कोटा (राजस्थान). | चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग<br>स्टेशन निर्माण योजना. |
|               |         |          | 289/3/1                        |   |   |
|               |         |          | में से                         |   |   |
|               |         |          | कुल किता-1                     |   |   |
|               |         |          |                                |   | 0.014   |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |       |  | धारा 4 (2) के अन्तर्गत           | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |
|---------------|--------|-------|--|----------------------------------|--|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हैक्टर में निजी भूमि) | प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन   |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                                      | (5)                              | (6)  |
| छतरपुर        | घुवारा | भेलदा | 5.500                                    | अनु. अधिकारी (राजस्व)<br>विजावर. | भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |        |  | धारा 4 (2) के अन्तर्गत           | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|--------|--|----------------------------------|---|
| जिला          | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हैक्टर में निजी भूमि) | प्राधिकृत अधिकारी                | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)    | (4)                                      | (5)                              | (6)   |
| छतरपुर        | घुवारा | देवपुर | 35.00                                    | अनु. अधिकारी (राजस्व)<br>विजावर. | भेलदा तालाब योजना निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | सुडौर     | निजी भूमि 7.30 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.60<br>कुल रकबा 8.90 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र,<br>वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच<br>चैनल एवं नहर निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | पडेरी     | निजी भूमि 6.25 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.25<br>कुल रकबा 7.50 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र,<br>वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच<br>चैनल एवं नहर निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 065-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                   |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|--------|-------------------|---|---|--|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                      | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन   |
| (1)           | (2)    | (3)               | (4)   | (5)   | (6)  |
| पन्ना         | शाहनगर | मेहगवां<br>तिलिया | निजी भूमि 13.65 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 2.45<br>कुल रकबा 16.10 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|--------|-----------|---|---|--|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन   |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)  |
| पन्ना         | शाहनगर | महिलवारा  | निजी भूमि 3.20 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 0.35<br>कुल रकबा 3.55 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 067-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | पुरैना    | निजी भूमि 7.80 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.80<br>कुल रकबा 9.60 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 068-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | बराहो     | निजी भूमि 5.75 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.10<br>कुल रकबा 6.85 हे. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला  | भूमि का वर्णन |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)<br>द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन   |
|-------|---------------|-----------|---|--|---|
|       | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    |  |   |
| (1)   | (2)           | (3)       | (4)   | (5)  | (6)   |
| पन्ना | शाहनगर        | डुगरगवां  | निजी भूमि 6.20 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.25<br>कुल रकबा 7.45 है. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना.  | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 070-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला  | भूमि का वर्णन |                        |   | धारा 4 की उपधारा (2)<br>द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन   |
|-------|---------------|------------------------|---|--|---|
|       | तहसील         | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    |  |   |
| (1)   | (2)           | (3)                    | (4)   | (5)  | (6)   |
| पन्ना | शाहनगर        | पिपिरिया<br>(ज्योतिषी) | निजी भूमि 5.40 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 1.10<br>कुल रकबा 6.50 है. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना.  | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 071-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला  | भूमि का वर्णन |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)<br>द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन   |
|-------|---------------|-----------|---|--|---|
|       | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    |  |   |
| (1)   | (2)           | (3)       | (4)   | (5)  | (6)   |
| पन्ना | शाहनगर        | शाहनगर    | निजी भूमि 2.90 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 0.50<br>कुल रकबा 3.40 है. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना.  | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 072-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | कचौरी     | निजी भूमि 4.10 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 0.80<br>कुल रकबा 4.90 है. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |   | धारा 4 की उपधारा (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|--------|-----------|---|---|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)                                    | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)   | (5)   | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | देवरी     | निजी भूमि 2.40 एवं<br>शासकीय भूमि<br>रकबा 0.40<br>कुल रकबा 2.80 है. | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग,<br>पन्ना. | लिपरी बांध निर्माण<br>डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल<br>वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण<br>कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली/सीधी, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. 37-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन           |            |                          | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                       |
|------|-------------------------|------------|--------------------------|--|--|
|      | तहसील                   | नगर/ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) |  |  |
| (1)  | (2)                     | (3)        | (4)                      | (5)  | (6)  |
| सीधी | मझौली उप तहसील<br>मडवास | 1-निधिपुरी | 11.51                    | भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.                  | ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 39-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन |           |                          | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                       |
|------|---------------|-----------|--------------------------|--|--|
|      | तहसील         | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) |  |  |
| (1)  | (2)           | (3)       | (4)                      | (5)  | (6)  |
| सीधी | कुसमी         | 1-भदौरा   | 1.29 हे.                 | भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.                  | ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—मझौली  
(ग) ग्राम—दिवरीकला, प. ह. नं. 46/13, नं. बं.329/331  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|-----------|----------------|
| (1)       | (2)            |
| 310/1     | 0.02           |
| 311/3     | 0.05           |
| योग :     | 0.07           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टेल वितरक के अंतर्गत नहर निर्माण के कारण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर

- (ख) तहसील—मझौली  
(ग) ग्राम—मनसकरा, प. ह. नं. 46/16, नं. बं. 604  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.24 हेक्टेयर में निर्मित)  
1 कुंआ एवं बोर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|-----------|----------------|
| (1)       | (2)            |
| 58        | 0.24           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुसमी वितरक नहर की महगंवा नहर निर्माण के कारण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—जबलपुर  
(ग) ग्राम—बिलगंवा, प. ह. नं. 06, नं. बं. 333  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.02 हेक्टेयर में निर्मित)  
कुंआ एवं बोर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|-----------|----------------|
| (1)       | (2)            |
| 19        | 0.02           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मदना वितरण शाखा की उपशाखा क्र. 1 नहर निर्माण के कारण.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

|  |      |          |                | (1) | (2) | (3)      | (4) |
|--|------|----------|----------------|-----|-----|----------|-----|
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं                |      |          |                |     |     |          |     |
| पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग                   |      |          |                | 1   | 354 | 169 पैकी | 146 |
|  |      |          |                | 1   | 354 | 134 पैकी | 20  |
| खरगोन, दिनांक 21 फरवरी 2011                                  |      |          |                | 1   | 354 | 141 पैकी | 37  |
|  |      |          |                | 1   | 354 | 173      | 41  |
| क्र. 225-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात            |      |          |                | 1   | 354 | 144 पैकी | 80  |
| का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)          |      |          |                | 1   | 354 | 163 पैकी | 16  |
| में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक |      |          |                | 1   | 354 | 136 पैकी | 80  |
| प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,           |      |          |                | 1   | 354 | 148 पैकी | 135 |
| 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके       |      |          |                | 1   | 354 | 140 पैकी | 57  |
| द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन    |      |          |                | 1   | 354 | 178      | 31  |
| के लिये आवश्यकता है:—  |      |          |                | 1   | 358 | 360      | 41  |
| अनुसूची  |      |          |                | 1   | 358 | 348      | 21  |
| (1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं       |      |          |                | 1   | 358 | 359      | 50  |
| तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित                           |      |          |                | 1   | 358 | 339      | 86  |
| संरचनाएं.  |      |          |                | 1   | 358 | 346      | 26  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 361      | 41  |
| (क) जिला—खरगोन   |      |          |                | 1   | 358 | 368      | 12  |
| (ख) तहसील—कसरावद   |      |          |                | 1   | 358 | 351      | 56  |
| (ग) ग्राम—अमलाथा   |      |          |                | 1   | 358 | 356      | 91  |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—5594 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं              |      |          |                | 1   | 358 | 340      | 106 |
| उस पर स्थित संरचनाएं तथा                                     |      |          |                | 1   | 358 | 358      | 78  |
| शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित                               |      |          |                | 1   | 358 | 394      | 3   |
| संरचनाएं.  |      |          |                | 1   | 358 | 343      | 48  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 366      | 261 |
| शीट  | खसरा | भू-खण्ड  | डूब का रकबा    |     |     |          |     |
| क्रमांक  | नंबर | क्रमांक  | (वर्गमीटर में) |     |     |          |     |
| (1)  | (2)  | (3)      | (4)            |     |     |          |     |
| 1  | 354  | 135 पैकी | 50             | 1   | 358 | 345      | 44  |
| 1  | 354  | 148 पैकी | 379            | 1   | 358 | 349      | 38  |
| 1  | 354  | 176      | 59             | 1   | 358 | 349      | 38  |
| 1  | 354  | 162 पैकी | 7              | 1   | 358 | 355      | 36  |
| 1  | 354  | 174      | 98             | 1   | 358 | 364      | 57  |
| 1  | 354  | 147      | 51             | 1   | 358 | 338      | 75  |
| 1  | 354  | 145 पैकी | 100            | 1   | 358 | 342      | 48  |
| 1  | 354  | 171 पैकी | 100            | 1   | 358 | 342      | 48  |
| 1  | 354  | 170 पैकी | 66             | 1   | 358 | 337      | 146 |
| 1  | 354  | 175      | 66             | 1   | 358 | 344      | 74  |
| 1  | 354  | 143 पैकी | 134            | 1   | 358 | 365      | 141 |
| 1  | 354  | 146      | 227            | 1   | 358 | 341      | 145 |
| 1  | 354  | 166 पैकी | 200            | 1   | 358 | 350      | 41  |
| 1  | 354  | 149      | 46             | 1   | 358 | 354      | 42  |
| 1  | 354  | 142 पैकी | 95             | 1   | 358 | 357      | 78  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 362      | 80  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 363      | 56  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 393      | 93  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 347      | 33  |
|  |      |          |                | 1   | 358 | 282      | 35  |

| (1) | (2) | (3)   | (4)  | शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं |   |                     |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------|---|---------------------|
| 1   | 358 | 329   | 110  | ख. नं.                         | मद  | संपत्ति का विवरण    |
| 1   | 358 | 281   | 35   | (1)                            | (2)   | (3)                 |
| 1   | 358 | 334   | 91   | 174                            | नि. चरागाह  | मकान-4              |
| 1   | 358 | 283   | 35   | 268/1                          | नि. चरागाह  | मकान-28             |
| 1   | 358 | 332   | 81   |                                |   | नलकूप-1             |
| 1   | 358 | 280   | 48   |                                | योग :   | मकान-32 एवं नलकूप-1 |
| 1   | 358 | 279   | 50   |                                |   |                     |
| 1   | 358 | 330   | 109  | (2)                            | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.   |                     |
| 1   | 358 | 331   | 81   |                                |   |                     |
| 1   | 358 | 335   | 68   |                                |   |                     |
| 1   | 358 | 328   | 105  | (3)                            | भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. |                     |
| 1   | 358 | 284   | 87   |                                |   |                     |
| 1   | 358 | 327   | 134  |                                |   |                     |
| 1   | 358 | 278   | 57   |                                |   |                     |
|     |     | योग : | 5594 |                                |   |                     |

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं. | संपत्ति का विवरण   |
|--------|--------------------|
| (1)    | (2)                |
| 290    | मकान-7 एवं टपरी-1  |
| 296    | मकान-8             |
| 306    | मकान-1             |
| 314/1  | मकान-1             |
| 315/3  | मकान-2             |
| 315/3  | मकान-1             |
| 315/4  | मकान-1             |
| 315/4  | मकान-1             |
| 401/1  | मकान-1             |
| 411    | मकान-1             |
| 431    | मकान-5             |
| 435    | मकान-2             |
| 436    | मकान-4             |
| 437    | मकान-1             |
| 438    | मकान-4             |
| 444    | मकान-6             |
| 445    | मकान-2             |
| 453/1  | मकान-14            |
| 453/2  | मकान-9             |
| योग :  | मकान-70 एवं टपरी-1 |

क्र. 224-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—गोगावां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—170 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा (वर्गमीटर में) |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| (1)         | (2)       | (3)             | (4)                        |
| 1           | 157/3     | 65              | 27                         |
| 1           | 157/3     | 66              | 14                         |
| 1           | 157/3     | 59 पैकी         | 66                         |

| (1)   | (2)   | (3)     | (4) |
|-------|-------|---------|-----|
| 1     | 157/3 | 63      | 51  |
| 1     | 157/3 | 53 पैकी | 12  |
| योग : |       |         | 170 |

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं.<br>(1) | संपत्ति का विवरण<br>(2) |
|---------------|-------------------------|
| 191/9         | मकान-4                  |
| 199/3         |                         |
| 198           | मकान-4                  |
| 199/1         | मकान-2                  |
| 206/1         | मकान-1                  |
| 206/2         | मकान-1                  |
| 207           | मकान-1                  |
| 209           | मकान-4                  |
| 210           | मकान-1                  |
| 211           | मकान-4                  |
| 223/2         |                         |
| 212           | मकान-2                  |
| योग :         | मकान-24                 |

### शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं.<br>(1) | मद<br>(2)   | संपत्ति का विवरण<br>(3)   |
|---------------|---|---|
| 220/1         | नि. चरनोई   | आश्रम-1, सार्वजनिक मंदिर-1, पम्प हाऊस-18, पाईप लाईन-18.         |
| 223/1         | नि. चरनोई   | मकान-16, पम्प हाऊस-27, पाईप लाईन-38.                            |
| योग :         |   | मकान-16 आश्रम-1, सार्वजनिक मंदिर-1, पम्प हाऊस-45, पाईप लाईन-56. |
| (2)           | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.   |   |
| (3)           | भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. |   |

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 248-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरवाद

(ग) ग्राम का नाम—ससाबरड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7604 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

| शीट<br>क्रमांक<br>(1) | खसरा<br>नंबर<br>(2) | भू-खण्ड<br>क्रमांक<br>(3) | डूब का रकबा<br>(वर्गमीटर में)<br>(4) |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5                     | 1                   | 59                        | 400                                  |
| 37                    | 1                   | 61                        | 93                                   |
| 37                    | 1                   | 62 पै                     | 93                                   |
| 37                    | 1                   | 62                        | 84                                   |
| 37                    | 1                   | 63                        | 124                                  |
| 37                    | 1                   | 64                        | 6                                    |
| 37                    | 1                   | 65                        | 6                                    |
| 37                    | 1                   | 66                        | 133                                  |
| 37                    | 1                   | 67                        | 37                                   |
| 37                    | 1                   | 68                        | 5                                    |
| 37                    | 1                   | 69                        | 64                                   |
| 37                    | 1                   | 70                        | 27                                   |
| 37                    | 1                   | 71                        | 108                                  |
| 37                    | 1                   | 73                        | 185                                  |
| 37                    | 1                   | 74                        | 100                                  |
| 37                    | 1                   | 75                        | 83                                   |
| 37                    | 1                   | 76                        | 93                                   |
| 37                    | 1                   | 79                        | 37                                   |
| 37                    | 1                   | 80                        | 7                                    |
| 37                    | 1                   | 82                        | 22                                   |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (1)  | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 37  | 1   | 83  | 13  | 37   | 1   | 134 | 92  |
| 37  | 1   | 84  | 5   | 37   | 1   | 135 | 64  |
| 37  | 1   | 86  | 5   | 37   | 1   | 136 | 60  |
| 37  | 1   | 87  | 65  | 37   | 1   | 137 | 89  |
| 37  | 1   | 88  | 152 | 37   | 1   | 138 | 69  |
| 37  | 1   | 89  | 104 | 37   | 1   | 139 | 31  |
| 37  | 1   | 90  | 100 | 37   | 1   | 140 | 34  |
| 37  | 1   | 91  | 178 | 37   | 1   | 141 | 61  |
| 37  | 1   | 92  | 38  | 37   | 1   | 142 | 42  |
| 37  | 1   | 95  | 76  | 37   | 1   | 143 | 60  |
| 37  | 1   | 96  | 129 | 37   | 1   | 144 | 76  |
| 37  | 1   | 97  | 65  | 37   | 1   | 145 | 136 |
| 37  | 1   | 98  | 82  | 37   | 1   | 146 | 56  |
| 37  | 1   | 99  | 73  | 37   | 1   | 147 | 56  |
| 37  | 1   | 100 | 57  | 37   | 1   | 148 | 64  |
| 37  | 1   | 101 | 45  | 69/1 | 1   | 2   | 50  |
| 37  | 1   | 103 | 149 | 69/1 | 1   | 3   | 41  |
| 37  | 1   | 104 | 140 | 69/1 | 1   | 4   | 68  |
| 37  | 1   | 105 | 63  | 69/1 | 1   | 5   | 115 |
| 37  | 1   | 106 | 162 | 69/1 | 1   | 6   | 67  |
| 37  | 1   | 107 | 79  | 69/1 | 1   | 8   | 35  |
| 37  | 1   | 108 | 66  | 69/1 | 1   | 15  | 62  |
| 37  | 1   | 110 | 68  | 69/1 | 1   | 9   | 60  |
| 37  | 1   | 111 | 41  | 69/1 | 1   | 10  | 50  |
| 37  | 1   | 113 | 54  | 69/1 | 1   | 12  | 31  |
| 37  | 1   | 114 | 54  | 69/1 | 1   | 13  | 25  |
| 37  | 1   | 115 | 34  | 69/1 | 1   | 14  | 19  |
| 37  | 1   | 116 | 46  | 69/1 | 1   | 16  | 13  |
| 37  | 1   | 118 | 3   | 69/1 | 1   | 18  | 51  |
| 37  | 1   | 119 | 16  | 69/1 | 1   | 19  | 53  |
| 37  | 1   | 120 | 44  | 69/1 | 1   | 21  | 32  |
| 37  | 1   | 121 | 41  | 69/1 | 1   | 22  | 107 |
| 37  | 1   | 122 | 45  | 69/1 | 1   | 23  | 81  |
| 37  | 1   | 123 | 42  | 69/1 | 1   | 24  | 72  |
| 37  | 1   | 124 | 26  | 69/1 | 1   | 25  | 43  |
| 37  | 1   | 125 | 54  | 69/1 | 1   | 26  | 44  |
| 37  | 1   | 126 | 78  | 69/1 | 1   | 32  | 29  |
| 37  | 1   | 127 | 63  | 69/1 | 1   | 28  | 14  |
| 37  | 1   | 129 | 15  | 69/1 | 1   | 29  | 19  |
| 37  | 1   | 130 | 20  | 69/1 | 1   | 30  | 79  |
| 37  | 1   | 131 | 39  | 69/1 | 1   | 33  | 97  |
| 37  | 1   | 132 | 56  | 69/1 | 1   | 34  | 51  |
| 37  | 1   | 133 | 91  | 69/1 | 1   | 35  | 36  |

|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| (1)   | (2) | (3) | (4)  |
| 69/1  | 1   | 36  | 52   |
| 69/1  | 1   | 37  | 40   |
| 69/1  | 1   | 39  | 43   |
| 69/1  | 1   | 40  | 59   |
| 69/1  | 1   | 41  | 11   |
| 69/1  | 1   | 42  | 27   |
| 69/1  | 1   | 43  | 47   |
| 69/1  | 1   | 44  | 25   |
| 69/1  | 1   | 47  | 116  |
| 69/1  | 1   | 49  | 31   |
| 69/1  | 1   | 50  | 25   |
| 69/1  | 1   | 51  | 16   |
| 69/1  | 1   | 52  | 29   |
| 69/1  | 1   | 53  | 38   |
| 69/1  | 1   | 54  | 23   |
| 69/1  | 1   | 55  | 28   |
| 69/1  | 1   | 57  | 27   |
| 69/1  | 1   | 58  | 50   |
| योग : |     |     | 7604 |

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 249-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—नगावां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9857 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

| ख. नं.     | संपत्ति का विवरण                     |
|------------|--------------------------------------|
| (1)        | (2)                                  |
| 38         | मकान पक्का-1, मकान कच्चा-1           |
| 40         | मकान-1                               |
| 54         | मकान-1                               |
| 56         | मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1        |
| 57, 58, 59 | मकान पक्का-1                         |
| 59         | मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1        |
|            | मकान पक्का-2, मकान कच्चा डबल मंजिल-1 |
| 59, 63     | मकान पक्का-2, टीन टापरी-1            |
| 64         | मकान पक्का-4                         |
| 65         | मकान पक्का-1                         |

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा (वर्गमीटर में) |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| (1)         | (2)       | (3)             | (4)                        |
| 1           | 45        | 2               | 7                          |
|             |           | 3               | 7                          |
|             |           | 4               | 7                          |
|             |           | 5               | 8                          |
| 1           | 45        | 6               | 4                          |
| 1           | 45        | 7               | 4                          |
| 1           | 45        | 8               | 4                          |
| 1           | 45        | 9               | 3                          |
| 1           | 45        | 10              | 13                         |
| 1           | 45        | 12              | 3                          |
| 1           | 45        | 13              | 4                          |
| 1           | 45        | 14              | 4                          |
| 1           | 45        | 15              | 3                          |
| 1           | 45        | 18              | 16                         |
| 1           | 45        | 20              | 2                          |
| 1           | 45        | 21              | 2                          |

### शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं. | मद   | संपत्ति का विवरण  |
|--------|--|---|
| (1)    | (2)  | (3)   |
| 69/2   | नि. चरागाह   | मकान-25, शासकीय भवन-5, सार्वजनिक पानी का होज-1 पाईप लाईन-7. |
| (2)    | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण. |   |

| (1) | (2)  | (3)     | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 100  | 23      | 165 | 1   | 100 | 27  | 41  |
| 1   | 100  | 45      | 146 | 1   | 100 | 29  | 71  |
| 1   | 100  | 47      | 53  | 1   | 100 | 30  | 77  |
| 1   | 100  | 48      | 151 | 1   | 100 | 31  | 58  |
| 1   | 100  | 49      | 749 | 1   | 100 | 32  | 107 |
| 1   | 100  | 175     | 49  | 1   | 100 | 41  | 75  |
| 1   | 55   | 275     | 27  | 1   | 100 | 37  | 84  |
| 1   | 55   | 276     | 56  | 1   | 100 | 38  | 48  |
| 1   | 55   | 277     | 22  | 1   | 100 | 40  | 63  |
| 1   | 55   | 278     | 39  | 1   | 100 | 42  | 54  |
| 1   | 55   | 279     | 31  | 1   | 100 | 44  | 40  |
| 1   | 48/2 | 292     | 13  | 1   | 100 | 50  | 49  |
|     | 56   | 290     | 35  | 1   | 100 | 51  | 356 |
| 1   | 48/2 | 294     | 88  | 1   | 100 | 71  | 95  |
| 1   | 48/2 | 295     | 69  | 1   | 100 | 72  | 27  |
| 1   | 48/2 | 296     | 55  | 1   | 100 | 73  | 21  |
| 1   | 48/2 | 297     | 78  | 1   | 100 | 74  | 44  |
| 1   | 48/2 | 299     | 53  | 1   | 100 | 75  | 65  |
|     |      | 300     | 57  | 1   | 100 | 76  | 63  |
| 1   | 48/2 | 302     | 43  | 1   | 100 | 77  | 373 |
|     |      | 318     | 46  | 1   | 100 | 83  | 38  |
| 1   | 48/2 | 301     | 58  | 1   | 100 | 84  | 166 |
| 1   | 48/2 | 303     | 55  | 1   | 100 | 89  | 92  |
|     | 56   |         | 12  | 1   | 100 | 90  | 135 |
| 1   | 48/2 | 305     | 33  | 1   | 100 | 91  | 150 |
| 1   | 48/2 | 307/367 | 145 | 1   | 100 | 94  | 131 |
| 1   | 48/2 | 307     | 180 | 1   | 100 | 97  | 121 |
| 1   | 48/2 | 308     | 87  | 1   | 100 | 98  | 136 |
| 1   | 48/2 | 309     | 53  | 1   | 100 | 108 | 260 |
| 1   | 48/2 | 310     | 60  | 1   | 100 | 110 | 220 |
| 1   | 48/2 | 311     | 31  | 1   | 100 | 112 | 63  |
| 1   | 48/2 | 312     | 26  | 1   | 100 | 113 | 31  |
| 1   | 48/2 | 315     | 29  | 1   | 100 | 114 | 102 |
| 1   | 48/2 | 316     | 39  | 1   | 100 | 116 | 57  |
| 1   | 48/2 | 317     | 33  | 1   | 100 | 117 | 59  |
| 1   | 48/2 | 319     | 33  | 1   | 100 | 119 | 160 |
| 1   | 48/2 | 320     | 55  | 1   | 100 | 128 | 254 |
| 1   | 55   | 281     | 44  | 1   | 100 | 129 | 74  |
| 1   | 55   | 283     | 19  | 1   | 100 | 130 | 159 |
| 1   | 55   | 282     | 15  | 1   | 100 | 131 | 116 |
| 1   | 55   | 280     | 20  | 1   | 100 | 132 | 184 |
| 1   | 56   | 285     | 23  | 1   | 100 | 133 | 184 |
| 1   | 56   | 286     | 54  | 1   | 100 | 134 | 152 |
| 1   | 56   | 289     | 45  | 1   | 100 | 176 | 87  |
| 1   | 56   | 288     | 84  | 1   | 100 | 177 | 106 |
| 1   | 100  | 24      | 53  | 1   | 100 | 178 | 155 |
|     |      | 43      | 37  | 1   | 100 | 179 | 144 |
| 1   | 100  | 25      | 70  | 1   | 100 | 180 | 68  |



| (1)   | (2) | (3) | (4)  |
|-------|-----|-----|------|
| 1     | 100 | 181 | 310  |
| 1     | 100 | 187 | 97   |
| 1     | 100 | 231 | 67   |
| 1     | 100 | 232 | 90   |
| 1     | 100 | 233 | 65   |
| 1     | 100 | 234 | 9    |
| 1     | 100 | 235 | 22   |
| 1     | 100 | 236 | 15   |
| 1     | 100 | 237 | 15   |
| 1     | 100 | 86  | 122  |
|       |     | 95  | 111  |
| योग : |     |     | 9857 |

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं.     | संपत्ति का विवरण                               |
|------------|--|
| (1)        | (2)  |
| 22         | टीनशेड-1                                       |
| 24         | टीनशेड-2                                       |
| 42/1, 42/2 | मकान-1   |
| 93         | टीनशेड-2                                       |
| 94/1       | मकान-2   |
| 95/1       |  |
| 94/2       | टीनशेड-5, गोबर गैस संयंत्र,<br>एंगल टीन खुला-2 |

### शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख. नं. | मद   | संपत्ति का विवरण  |
|--------|------|---|
| (1)    | (2)  | (3)   |
| 21     | गोचर | मांगलिक भवन-1, टीनशेड-1                                 |
| 9      | गोचर | टापरी-3, टीनशेड-2, गोबर गैस<br>संयंत्र-1, पानी का होज-2 |
| 48/1   | गोचर | झुग्गी-20   |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. 2-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन— अशासकीय भूमि

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—जतारा  
(ग) ग्राम—रघुनाथपुरा, पटवारी हल्का नं. 48  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.315 हेक्टर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|-----------|----------------|
| (1)       | (2)            |
| 266       | 0.100          |
| 300/1     | 0.400          |
| 293/3     | 0.520          |
| 292/2     | 0.364          |
| 291/1     | 0.405          |
| 264       | 0.121          |
| 265       | 0.405          |

योग : 2.315

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है.

क्र. 2-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन— अशासकीय भूमि

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—जतारा

(ग) ग्राम—जरूवा, पटवारी हल्का नं. 48

टीकमगढ़ दिनांक 23 फरवरी 2011

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.445 हेक्टर.

| खसरा नंबर<br>(1) | रकबा (हे. में)<br>(2) |
|------------------|-----------------------|
| 313/2            | 0.130                 |
| 314/2            | 0.008                 |
| 334              | 0.484                 |
| 337              | 0.243                 |
| 342              | 0.121                 |
| 343/1            | 0.008                 |
| 341              | 0.142                 |
| 338              | 0.008                 |
| 340              | 0.008                 |
| 350              | 0.162                 |
| 348              | 0.280                 |
| 345              | 0.080                 |
| 343/2            | 0.008                 |
| 349              | 0.008                 |
| 344              | 0.060                 |
| 459              | 0.400                 |
| 389              | 0.020                 |
| 391              | 0.250                 |
| 392              | 0.120                 |
| 394              | 0.004                 |
| 395              | 0.160                 |
| 396              | 0.142                 |
| 466              | 0.545                 |
| 467/1            | 0.262                 |
| 467/2            | 0.324                 |
| 507              | 0.010                 |
| 508              | 0.162                 |
| 977              | 0.331                 |
| 978              | 0.081                 |
| 979/2            | 0.150                 |
| 983              | 0.464                 |
| 979/1            | 0.452                 |
| 1051             | 0.405                 |
| 1054             | 0.202                 |
| 1055             | 0.364                 |
| 1177             | 0.767                 |
| 1180/2/2         | 0.080                 |

योग : 7.445

क्र. 5-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
(ख) तहसील—पलेरा  
(ग) ग्राम—भदरई, पटवारी हल्का नं. 02  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.594 हेक्टर.

| खसरा नंबर<br>(1) | रकबा (हे. में)<br>(2) |
|------------------|-----------------------|
| 316/1            | 0.155                 |
| 317              | 0.420                 |
| 318              | 0.040                 |
| 319              | 0.437                 |
| 320              | 0.110                 |
| 317/899          | 0.040                 |
| 322              | 0.050                 |
| 477              | 0.700                 |
| 478              | 0.194                 |
| 482              | 0.105                 |
| 479              | 0.174                 |
| 481              | 0.121                 |
| 941              | 0.845                 |
| 480              | 0.020                 |
| 483              | 2.213                 |
| 484              | 0.291                 |
| 485              | 1.254                 |
| 486              | 0.061                 |
| 942              | 0.020                 |
| 943              | 0.178                 |
| 944              | 0.134                 |
| 475              | 0.110                 |
| 456              | 0.030                 |
| 449              | 0.190                 |
| 454              | 0.263                 |
| 487              | 0.486                 |
| 491              | 0.057                 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है.

| (1)     | (2)   | (1)     | (2)   |
|---------|-------|---------|-------|
| 497     | 0.785 | 546     | 0.162 |
| 488     | 0.101 | 547     | 0.024 |
| 492     | 0.113 | 548     | 0.049 |
| 493     | 0.162 | 549     | 0.324 |
| 495     | 0.065 | 550     | 1.315 |
| 483/935 | 0.664 | 541     | 0.210 |
| 936     | 0.235 | 542     | 0.077 |
| 937     | 0.081 | 544     | 0.024 |
| 938     | 0.016 | 545     | 0.073 |
| 939     | 0.129 | 535     | 0.154 |
| 940     | 0.202 | 537     | 0.178 |
| 489     | 0.073 | 538     | 0.125 |
| 490     | 0.113 | 529     | 0.583 |
| 494     | 0.150 | 536     | 0.085 |
| 496     | 0.065 | 933     | 0.340 |
| 499     | 0.214 | 934     | 0.020 |
| 501     | 1.210 | 530/1   | 1.529 |
| 502     | 0.356 | 531     | 0.725 |
| 512     | 0.028 | 532     | 0.032 |
| 513     | 0.024 | 533     | 0.344 |
| 515     | 0.413 | 534     | 0.085 |
| 516     | 0.737 | 553/928 | 0.140 |
| 517     | 0.494 | 553/929 | 0.030 |
| 518     | 0.178 | 553/930 | 0.080 |
| 519     | 0.154 | 553/5   | 0.100 |
| 503     | 0.109 | 530/2   | 0.256 |
| 508     | 0.113 | 564/7   | 0.405 |
| 509     | 0.093 | 564/5   | 0.210 |
| 514     | 0.073 | 551/924 | 0.441 |
| 504     | 0.089 | 551/925 | 0.016 |
| 506     | 0.190 | 551/926 | 0.049 |
| 510     | 0.069 | 551/927 | 0.138 |
| 505     | 0.109 | 564/1/2 | 0.300 |
| 507     | 0.089 | 875/4   | 1.012 |
| 511     | 0.085 | 875/1/1 | 0.100 |
| 526     | 0.664 | 875/5   | 0.809 |
| 527     | 0.910 |         |       |
| 552/1   | 0.202 |         |       |
| 520     | 0.502 |         |       |
| 521     | 0.295 |         |       |
| 522     | 0.303 |         |       |
| 523     | 0.016 |         |       |
| 524     | 0.380 |         |       |
| 525     | 1.040 |         |       |
| 539     | 0.028 |         |       |
| 540     | 0.170 |         |       |
| 543     | 0.061 |         |       |

योग : 31.594

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु (बांध एवं डूब क्षेत्र).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

|  |      |       |
|--|------|-------|
| क्र. 6-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | (1)  | (2)   |
|  | 26   | 0.729 |
|  | 27/1 | 1.620 |
|  | 27/2 | 0.518 |
|  | 28/1 | 0.405 |
|  | 28/2 | 0.223 |
|  | 29   | 0.955 |

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़  
 (ख) तहसील—पलेरा  
 (ग) ग्राम—खरों पटवारी हल्का नं. 04  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—92.426 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा<br>(हे. में)<br>(2) |        |       |
|-------------------|--------------------------|--------|-------|
|                   |                          | 30     | 0.101 |
|                   |                          | 31     | 0.858 |
|                   |                          | 32     | 0.733 |
|                   |                          | 33     | 0.283 |
|                   |                          | 34     | 0.474 |
|                   |                          | 35     | 0.773 |
|                   |                          | 36     | 0.186 |
|                   |                          | 37     | 0.138 |
|                   |                          | 38     | 0.308 |
|                   |                          | 39     | 0.040 |
|                   |                          | 40     | 0.097 |
| 4/1               | 0.567                    | 41     | 0.251 |
| 4/2               | 0.036                    | 42     | 0.287 |
| 7                 | 0.320                    | 43     | 0.967 |
| 6/1               | 0.105                    | 44     | 0.878 |
| 6/2               | 0.154                    | 45     | 1.206 |
| 9                 | 0.643                    | 46     | 1.817 |
| 10                | 0.809                    | 47     | 0.979 |
| 11                | 1.141                    | 48     | 0.097 |
| 12                | 1.197                    | 49     | 0.761 |
| 13                | 0.255                    | 50     | 1.056 |
| 14                | 0.445                    | 51     | 0.067 |
| 15                | 0.227                    | 52     | 0.450 |
| 16                | 0.458                    | 54     | 0.125 |
| 17                | 0.271                    | 56     | 0.045 |
| 18                | 0.688                    | 57     | 0.930 |
| 19                | 1.166                    | 58/1   | 0.550 |
| 20                | 0.121                    | 58/2/1 | 0.183 |
| 21                | 0.117                    | 58/2/2 | 0.367 |
| 22/1              | 0.898                    | 60     | 0.158 |
| 22/2              | 0.409                    | 61     | 0.138 |
| 23/1              | 0.964                    | 62     | 0.170 |
| 23/2              | 0.040                    | 63     | 0.182 |
| 24                | 0.494                    | 64/1   | 0.150 |
| 25                | 0.482                    | 64/2   | 0.620 |

| (1)    | (2)   | (1)     | (2)   |
|--------|-------|---------|-------|
| 67/2   | 0.081 | 120     | 0.340 |
| 67/3   | 0.081 | 121/2   | 0.106 |
| 67/4   | 0.081 | 121/2   | 0.106 |
| 68/1   | 0.405 | 123     | 0.162 |
| 68/2/1 | 0.719 | 124/1   | 0.344 |
| 68/2/2 | 1.438 | 124/2   | 0.150 |
| 69     | 0.534 | 124/3   | 0.344 |
| 70     | 0.455 | 126     | 0.190 |
| 71/2   | 0.100 | 128     | 0.449 |
| 74/1   | 0.550 | 130     | 0.571 |
| 74/2   | 0.300 | 131     | 0.320 |
| 75     | 0.890 | 207/2/1 | 0.600 |
| 76     | 1.371 | 208     | 0.020 |
| 77     | 0.603 | 209     | 0.231 |
| 78     | 0.781 | 210     | 0.155 |
| 79     | 0.957 | 211     | 0.462 |
| 80     | 0.129 | 212     | 0.450 |
| 81/1/1 | 0.373 | 213     | 0.100 |
| 81/1/2 | 0.315 | 216     | 0.474 |
| 81/2   | 0.097 | 217     | 0.360 |
| 88     | 0.105 | 218     | 0.219 |
| 89     | 0.097 | 219     | 0.100 |
| 90     | 0.162 | 220     | 4.200 |
| 91     | 0.210 | 226     | 0.050 |
| 92     | 0.364 | 227     | 0.539 |
| 93     | 0.239 | 228     | 0.267 |
| 94     | 0.210 | 229     | 0.194 |
| 95     | 0.594 | 230     | 1.157 |
| 97     | 1.346 | 231     | 0.271 |
| 98     | 0.158 | 232     | 0.308 |
| 99     | 0.263 | 233     | 0.295 |
| 100    | 0.200 | 234     | 0.231 |
| 101    | 0.777 | 235     | 0.345 |
| 104    | 0.367 | 236     | 0.186 |
| 109    | 0.146 | 237     | 0.109 |
| 111    | 0.328 | 238     | 0.150 |
| 112    | 0.225 | 239     | 1.792 |
| 113    | 0.036 | 303     | 0.800 |
| 152    | 1.121 | 243/1   | 0.220 |
| 118    | 0.154 | 243/2   | 0.545 |
| 119    | 0.550 | 244     | 0.113 |

| (1)     | (2)   | (1)                         | (2)  |
|---------|-------|-----------------------------|--|
| 245     | 0.061 | 287                         | 0.100  |
| 247     | 0.190 | 149                         | 0.200  |
| 248     | 0.235 | 141/1/3                     | 0.125  |
| 249     | 1.104 | 142                         | 0.505  |
| 251     | 0.227 | 3/2829                      | 0.450  |
| 252     | 0.254 | 304                         | 0.200  |
| 253/1   | 0.440 | 302                         | 0.185  |
| 253/2   | 0.367 | 308                         | 0.815  |
| 254     | 0.142 | 301                         | 0.680  |
| 255     | 0.081 | 307                         | 0.138  |
| 256     | 0.830 | 309                         | 0.255  |
| 257     | 0.384 | 155                         | 0.200  |
| 258     | 0.898 | कुल योग . . . <u>92.426</u> |  |
| 259/1   | 1.574 |                             |  |
| 259/2   | 0.008 | (2)                         | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु (बांध एवं डूब क्षेत्र)                                   |
| 260     | 0.474 |                             |  |
| 261     | 0.539 |                             |  |
| 262     | 0.227 | (3)                         | भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. |
| 263     | 0.117 |                             |  |
| 264     | 0.223 |                             |  |
| 265     | 0.478 |                             |  |
| 266     | 0.328 |                             | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,   |
| 267     | 0.267 |                             | अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.  |
| 268     | 0.364 |                             |  |
| 269     | 0.219 |                             |  |
| 270     | 0.279 |                             |  |
| 271     | 1.174 |                             |  |
| 272/2   | 2.000 |                             |  |
| 273     | 0.428 |                             |  |
| 275     | 0.030 |                             |  |
| 278/1/1 | 1.610 |                             |  |
| 278/1/2 | 0.670 |                             |  |
| 280     | 0.263 |                             |  |
| 281     | 0.190 |                             |  |
| 282/1   | 0.794 |                             |  |
| 282/1/1 | 0.129 |                             |  |
| 282/1/2 | 0.129 |                             |  |
| 283     | 0.231 |                             |  |
| 284     | 0.440 |                             |  |
| 285     | 0.356 |                             |  |
| 286     | 1.000 |                             |  |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 423.भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

- (ग) ग्राम—कोटड़ा चारण  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टेयर.

| सर्वे<br>नम्बर | रकबा<br>(हे. में) |
|----------------|-------------------|
| (1)            | (2)               |
| 472            | 0.10              |
| 474            | 0.07              |
| 477            | 0.13              |
| 478            | 0.10              |
| 480            | 0.40              |
| कुल योग . .    |                   |
| <u>0.80</u>    |                   |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के मुख्य बांध के डूब क्षेत्र के निर्माण होने से ग्राम कोटड़ा चारण का कुल रकबा निजी भूमि 0.80 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शोभित जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. एफ-765-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—पलौहा  
(घ) क्षेत्रफल—0.324 हेक्टेयर.

| खसरा नं.                    | क्षेत्रफल (हे. में.) |
|-----------------------------|----------------------|
| (1)                         | (2)                  |
| 999/1                       | 0.324                |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . |                      |
| <u>0.324</u>                |                      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-766-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—झुरूखलू  
(घ) क्षेत्रफल—0.705 हेक्टेयर.

| खसरा नं.                    | क्षेत्रफल (हे. में.) |
|-----------------------------|----------------------|
| (1)                         | (2)                  |
| 343                         | 0.230                |
| 351/1                       | 0.475                |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . |                      |
| <u>0.705</u>                |                      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-767-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ सानी  
(घ) क्षेत्रफल—1.000 हेक्टेयर.

| खसरा नं.   | क्षेत्रफल<br>(हे. मे.) | (1)      | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)  |
|--|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
| (1)  | (2)                    | 673      | 0.188 | 0.149 | 0.039 | 0.188 |  |
| 985  | 1.000                  | 679      | 0.115 | 0.011 | 0.102 | 0.113 |  |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . .  | <u>1.000</u>           | 681      | 0.345 | 0.030 | 0.040 | 0.070 |  |
|  |                        | 714/2    | 0.172 | 0.087 | 0.043 | 0.130 |  |
|  |                        | 1847/1   | 0.749 | 0     | 0.368 | 0.368 |  |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.                  |                        | 2251/839 | 0.157 | 0     | 0.100 | 0.100 |  |
|  |                        | 684      | 0.136 | 0.002 | 0.008 | 0.010 |  |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है. |                        |          |       |       |       |       | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.                   |
|  |                        |          |       |       |       |       | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है. |

क्र. एफ-768-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—पोड़ी  
(घ) क्षेत्रफल—1.940 हेक्टेयर.

### सतना-रीवा मुख्य नहर में अर्जित होने वाली अशासकीय भूमि की पूरक सूची ग्राम पोड़ी

| खसरा नं. | कुल रकबा | पूर्व में अर्जित रकबा | अतिरिक्त अर्जित रकबा | कुल अर्जित रकबा | कैफियत |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| (1)      | (2)      | (3)                   | (4)                  | (5)             | (6)    |
| 26/1     | 0.818    | 0                     | 0.495                | 0.495           |        |
| 413/1ख   | 0.052    | 0                     | 0.052                | 0.052           |        |
| 513/2    | 0.084    | 0                     | 0.084                | 0.084           |        |
| 592/2    | 0.136    | 0.100                 | 0.036                | 0.136           |        |
| 631/1ख   | 0.293    | 0                     | 0.002                | 0.002           |        |
| 631/2क   | 0.105    | 0                     | 0.083                | 0.083           |        |
| 631/2ख   | 0.105    | 0                     | 0.057                | 0.057           |        |
| 631/2ग   | 0.105    | 0                     | 0.105                | 0.105           |        |
| 631/2घ   | 0.105    | 0                     | 0.037                | 0.037           |        |
| 631/2ङ   | 0.105    | 0                     | 0.105                | 0.105           |        |
| 586      | 0.523    | 0                     | 0.006                | 0.006           |        |
| 657      | 0.178    | 0                     | 0.174                | 0.174           |        |
| 659/2    | 0.199    | 0                     | 0.004                | 0.004           |        |

क्र. एफ-769-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—पलौहा  
(घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

| खसरा नं.                    | क्षेत्रफल<br>(हे. मे.) |
|-----------------------------|------------------------|
| (1)                         | (2)                    |
| 924                         | 0.010                  |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . | <u>0.010</u>           |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-770-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,



इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—सभागंज  
(घ) क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

| खसरा नं.                                 | क्षेत्रफल<br>(हे. मे.) |
|--|------------------------|
| (1)                                      | (2)                    |
| 956/917                                  | 0.125                  |
| 957/917                                  | 0.125                  |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . <u>0.250</u> |                        |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर(भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुखबीर सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 25 फरवरी 2011

प्र. क्र. 369.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
(ख) तहसील—सिंगरौली

- (ग) ग्राम का नाम—गड़हराखुर्द, पटवारी हल्का नं.  
सासन 45, रा. नि. क्षेत्र-माड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.43 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर |     | आवेदित रकबा<br>(हे. में) |
|---------------|-----|--------------------------|
| (1)           |     | (2)                      |
| 313/1         | जुज | 0.08                     |
| 313/2         | जुज | 0.13                     |
| 313/3         | जुज | 0.16                     |
| 315/1         | जुज | 0.10                     |
| 315/2         | जुज | 0.17                     |
| 315/3         | जुज | 0.05                     |
| 316           | जुज | 0.03                     |
| 322           | जुज | 0.13                     |
| 323           | जुज | 0.14                     |
| 324           | जुज | 0.05                     |
| 326           | जुज | 0.06                     |
| 327/1         | जुज | 0.37                     |
| 327/2         | जुज | 0.17                     |
| 328           | जुज | 0.12                     |
| 330           | जुज | 0.08                     |
| 334           | जुज | 0.06                     |
| 335           |     | 0.15                     |
| 336/2         | जुज | 0.06                     |
| 337           | जुज | 0.05                     |
| 338           | जुज | 0.10                     |
| 448/2         | जुज | 0.06                     |
| 448/3ग        | जुज | 0.05                     |
| 450           | जुज | 0.13                     |
| 451           | जुज | 0.18                     |
| 452           | जुज | 0.12                     |
| 453           | जुज | 0.19                     |
| 454           | जुज | 0.20                     |
| 462           | जुज | 0.01                     |
| 464           | जुज | 0.02                     |
| 465           | जुज | 0.06                     |
| 466           | जुज | 0.16                     |
| 467           | जुज | 0.13                     |
| 468           | जुज | 0.03                     |
| 469           | जुज | 0.10                     |

| (1)    | (2) | (1)  | (2)  |
|--------|-----|------|--|
| 470    | जुज | 0.07 | 598/1 जुज 0.07   |
| 471    | जुज | 0.02 | 600/2क जुज 0.03  |
| 472    | जुज | 0.02 | 600/2ख 0.01  |
| 476/2  | जुज | 0.72 | 600/2ग जुज 0.03  |
| 482/2  | जुज | 0.02 | 600/2घ 0.01  |
| 482/3  | जुज | 0.01 | 601 जुज 0.21   |
| 482/4  | जुज | 0.02 | 614/1 जुज 0.01   |
| 482/5  | जुज | 0.01 | 615 जुज 0.06   |
| 482/6  | जुज | 0.01 | 620 0.06   |
| 482/7  | जुज | 0.01 | 621/1 जुज 0.03   |
| 483    | जुज | 0.01 | 621/2 0.03   |
| 568/1क | जुज | 0.01 | 621/3 0.01   |
| 568/3  | जुज | 0.04 | 622/1 जुज 0.07   |
| 568/5  |     | 0.06 | 622/2 जुज 0.07   |
| 568/6  | जुज | 0.03 | 622/3 जुज 0.07   |
| 571/1क | जुज | 0.10 | 622/4 जुज 0.07   |
| 571/2  | जुज | 0.02 | 622/7 जुज 0.06   |
| 571/3  | जुज | 0.03 | 622/8 जुज 0.06   |
| 571/4  | जुज | 0.03 | 622/9 जुज 0.06   |
| 571/5  | जुज | 0.03 | 624 जुज 0.03   |
| 572/1क | जुज | 0.09 | 625 जुज 0.06   |
| 572/2  | जुज | 0.02 | 568/641/1 जुज 0.18   |
| 572/3  | जुज | 0.02 | 568/641/2 जुज 0.10   |
| 572/4  | जुज | 0.02 | 568/641/3 जुज 0.07   |
| 572/5  | जुज | 0.02 | 600/648/1 0.01   |
| 573/2  | जुज | 0.02 | 600/648/2 0.01   |
| 573/3  | जुज | 0.02 | 600/648/3 0.01   |
| 573/4  | जुज | 0.02 | 600/648/4 0.01   |
| 573/5  | जुज | 0.02 | 600/648/5 0.01   |
| 573/6  | जुज | 0.04 | 600/648/6 0.01   |
| 574/2  | जुज | 0.07 | 600/648/7 0.02   |
| 591    | जुज | 0.01 | योग . . . 7.43   |
| 592    | जुज | 0.09 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला पहिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन. |
| 594/3  | जुज | 0.01 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.  |
| 595/1क | जुज | 0.11 |  |
| 595/1ख | जुज | 0.11 |  |
| 595/1ग | जुज | 0.11 |  |
| 595/2  | जुज | 0.12 |  |

प्र. क्र. 371.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम—पचौर, पटवारी हल्का नं. करकोसा  
 21, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर<br>(1) | आवेदित क्षेत्रफल<br>(हे. में)<br>(2) |
|----------------------|--------------------------------------|
| 350                  | 0.03                                 |
| 354                  | 0.03                                 |
| 355                  | 0.04                                 |
| योग . .              | <u>0.10</u>                          |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 373.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली

- (ग) ग्राम का नाम—काम, पटवारी हल्का नं. काम 46,  
 रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर<br>(1) | आवेदित क्षेत्रफल<br>(हे. में)<br>(2) |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1948/1               | जुज 0.03                             |
| 1948/2               | जुज 0.01                             |
| 1948/3               | जुज 0.02                             |
| 1948/4               | जुज 0.01                             |
| 1948/5               | जुज 0.01                             |
| 1948/6               | जुज 0.01                             |
| 1949/1               | जुज 0.02                             |
| 1950/1               | जुज 0.36                             |
| 1950/2               | जुज 0.19                             |
| 1951                 | जुज 0.24                             |
| 1952/2               | जुज 0.10                             |
| 1952/3               | जुज 0.11                             |
| 1952/4               | जुज 0.09                             |
| 2022/2क              | जुज 0.10                             |
| 2022/2ख              | जुज 0.10                             |
| 2023/1               | जुज 0.12                             |
| 2023/2क              | जुज 0.02                             |
| 2023/2ख              | जुज 0.01                             |
| 2023/2ग              | जुज 0.01                             |
| 2023/2घ              | जुज 0.04                             |
| 2023/2ङ              | जुज 0.02                             |
| 2023/2च              | जुज 0.03                             |
| 2023/3               | जुज 0.06                             |
| 2023/4               | जुज 0.02                             |
| 2023/5               | जुज 0.03                             |
| 2026/1क              | जुज 0.02                             |
| 2026/1ख              | जुज 0.01                             |
| 2026/1ग              | जुज 0.02                             |
| 2026/1घ              | जुज 0.02                             |
| 2026/2               | जुज 0.01                             |
| 2027/1क              | जुज 0.10                             |
| 2027/1ख              | जुज 0.10                             |
| 2027/1ग              | जुज 0.10                             |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1)             | (2)         |
| 2027/1घ जुज     | 0.10        |
| 2027/2 जुज      | 0.03        |
| 2028/1 जुज      | 0.01        |
| 2028/2 जुज      | 0.04        |
| 2028/3 जुज      | 0.04        |
| 2028/4 जुज      | 0.04        |
| 2028/5 जुज      | 0.04        |
| 2029 जुज        | 0.10        |
| 1950/2086/2 जुज | 0.20        |
| 1950/2086/3 जुज | 0.07        |
| 1950/2086/4 जुज | 0.06        |
| योग . .         | <u>2.87</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 378.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम—सिद्धीखुर्द, पटवारी हल्का नं. सासन 45, रा. नि. क्षेत्र—माड़ा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टर.

|         |                  |
|---------|------------------|
| खसरा    | आवेदित क्षेत्रफल |
| नम्बर   | (हे. में)        |
| (1)     | (2)              |
| 782     | 0.03             |
| 783/2   | 0.13             |
| योग . . | <u>0.16</u>      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 380.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम—नौगढ़, पटवारी हल्का नं. नौगढ़ 23, रा. नि. क्षेत्र—बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.46 हेक्टर.

|            |             |
|------------|-------------|
| खसरा       | आवेदित रकबा |
| नम्बर      | (हे. में)   |
| (1)        | (2)         |
| 1082/1 जुज | 0.01        |
| 1083/1 जुज | 0.02        |
| 1083/2 जुज | 0.02        |
| 1084 जुज   | 0.01        |
| 1085 जुज   | 0.01        |
| 1088 जुज   | 0.08        |
| 1089 जुज   | 0.01        |
| 1094 जुज   | 0.06        |
| 1095 जुज   | 0.04        |
| 1096       | 0.07        |
| 1097       | 0.08        |
| 1098       | 0.04        |
| 1099       | 0.04        |
| 1100 जुज   | 0.05        |
| 1101 जुज   | 0.01        |

| (1)    | (2) | (1)  | (2)             |
|--------|-----|------|-----------------|
| 1342   | जुज | 0.03 | 2444 जुज 0.01   |
| 1343   |     | 0.02 | 2445 जुज 0.01   |
| 1344   |     | 0.06 | 2446 0.02       |
| 1345   | जुज | 0.15 | 2447 0.02       |
| 2372   | जुज | 0.09 | 2448 0.02       |
| 2373   | जुज | 0.08 | 2449 जुज 0.02   |
| 2374   | जुज | 0.04 | 2452 जुज 0.05   |
| 2375   |     | 0.02 | 2453 जुज 0.03   |
| 2376   | जुज | 0.01 | 2455 जुज 0.04   |
| 2379   | जुज | 0.03 | 2456 जुज 0.02   |
| 2382   | जुज | 0.03 | 2458 जुज 0.01   |
| 2383   | जुज | 0.02 | 2459/2 जुज 0.01 |
| 2384   | जुज | 0.03 | 2460 जुज 0.01   |
| 2397   | जुज | 0.01 | 2469/1 जुज 0.15 |
| 2399   | जुज | 0.02 | 2469/2 जुज 0.21 |
| 2400   | जुज | 0.05 | 2469/3 जुज 0.01 |
| 2401   | जुज | 0.05 | 2469/4 जुज 0.17 |
| 2402   | जुज | 0.10 | 2469/5 जुज 0.13 |
| 2403   | जुज | 0.04 | 2470/1 0.01     |
| 2404   | जुज | 0.05 | 2470/2 0.01     |
| 2405   | जुज | 0.08 | 2471/2 जुज 0.01 |
| 2409   | जुज | 0.02 | 2553 जुज 0.03   |
| 2414   | जुज | 0.03 | 2554 जुज 0.05   |
| 2415   |     | 0.06 | 2555 जुज 0.05   |
| 2416/1 |     | 0.07 | 2556 जुज 0.05   |
| 2416/2 |     | 0.06 | 2557 जुज 0.04   |
| 2424   | जुज | 0.01 | 2558 जुज 0.03   |
| 2425   | जुज | 0.01 | 2559 जुज 0.02   |
| 2428   | जुज | 0.02 | 2560 जुज 0.01   |
| 2430   | जुज | 0.13 | 2561 जुज 0.01   |
| 2431/1 | जुज | 0.07 | 2571 जुज 0.01   |
| 2434   | जुज | 0.04 | 2572 0.01       |
| 2435   | जुज | 0.01 | 2573 0.01       |
| 2438   | जुज | 0.12 | 2574 0.02       |
| 2439/1 | जुज | 0.01 | 2575 0.03       |
| 2439/2 | जुज | 0.04 | 2576 जुज 0.03   |
| 2440   | जुज | 0.11 | 2581 जुज 0.02   |
| 2443   | जुज | 0.04 | 2585 जुज 0.05   |

| (1)    | (2) | (1)  | (2)    |      |      |
|--------|-----|------|--------|------|------|
| 2586   | जुज | 0.05 | 2639   | 0.19 |      |
| 2587   | जुज | 0.04 | 2641   | 0.14 |      |
| 2588   | जुज | 0.03 | 2643   | जुज  | 0.32 |
| 2589   | जुज | 0.04 | 2644   | जुज  | 0.41 |
| 2590   | जुज | 0.05 | 2669   |      | 0.08 |
| 2591   | जुज | 0.05 | 2670/1 |      | 0.02 |
| 2592   | जुज | 0.04 | 2670/2 |      | 0.01 |
| 2593   | जुज | 0.04 | 2670/3 |      | 0.01 |
| 2594   | जुज | 0.04 | 2670/4 | जुज  | 0.01 |
| 2595   | जुज | 0.07 | 2670/5 | जुज  | 0.01 |
| 2596   | जुज | 0.06 | 2670/6 | जुज  | 0.01 |
| 2597/1 |     | 0.03 | 2671   | जुज  | 0.01 |
| 2597/2 |     | 0.03 | 2672   | जुज  | 0.01 |
| 2598/1 | जुज | 0.03 | 2677/1 | जुज  | 0.01 |
| 2598/2 | जुज | 0.03 | 2677/2 | जुज  | 0.03 |
| 2599/1 |     | 0.03 | 2677/3 | जुज  | 0.02 |
| 2599/2 |     | 0.04 | 2677/4 | जुज  | 0.01 |
| 2600   |     | 0.04 | 2678   | जुज  | 0.14 |
| 2601   | जुज | 0.01 | 2801   | जुज  | 0.01 |
| 2602   | जुज | 0.01 | 2802/2 | जुज  | 0.02 |
| 2603   |     | 0.02 | 2803   | जुज  | 0.07 |
| 2604   |     | 0.02 | 2804   | जुज  | 0.13 |
| 2605   | जुज | 0.04 | 2805   | जुज  | 0.14 |
| 2606   | जुज | 0.05 | 2806   | जुज  | 0.07 |
| 2607   | जुज | 0.05 | 2807   | जुज  | 0.06 |
| 2609   | जुज | 0.03 | 2808   | जुज  | 0.05 |
| 2610   |     | 0.03 | 2809   | जुज  | 0.03 |
| 2611   | जुज | 0.05 | 2824   | जुज  | 0.01 |
| 2612/1 | जुज | 0.03 | 2825   | जुज  | 0.01 |
| 2612/2 | जुज | 0.03 | 2826   | जुज  | 0.01 |
| 2613   | जुज | 0.07 | 2827   | जुज  | 0.02 |
| 2614   | जुज | 0.06 | 2828   | जुज  | 0.08 |
| 2615/2 | जुज | 0.06 | 2829   | जुज  | 0.05 |
| 2616/2 | जुज | 0.03 | 2830   | जुज  | 0.04 |
| 2617   | जुज | 0.02 | 2831   | जुज  | 0.06 |
| 2618   | जुज | 0.01 | 2832   | जुज  | 0.06 |
| 2620/3 | जुज | 0.01 | 2833   | जुज  | 0.05 |
| 2621   | जुज | 0.01 | 2834   | जुज  | 0.04 |

| (1)    | (2)      | (1)    | (2)   |
|--------|----------|--------|---|
| 2835/1 | जुज 0.01 | 4168   | 0.04  |
| 2835/2 | जुज 0.02 | 4169   | जुज 0.01  |
| 2836/1 | जुज 0.02 | 4170   | 0.03  |
| 2836/2 | जुज 0.01 | 4171   | जुज 0.08  |
| 2837   | जुज 0.03 | 4172   | जुज 0.05  |
| 2838   | जुज 0.06 | 4173   | 0.03  |
| 2839/1 | जुज 0.02 | 4174/1 | 0.03  |
| 2839/2 | जुज 0.03 | 4174/2 | 0.02  |
| 2925   | जुज 0.01 | 4175   | 0.01  |
| 2953   | जुज 0.08 | 4176   | जुज 0.03  |
| 2954   | जुज 0.07 | 4183   | जुज 0.02  |
| 2955/1 | जुज 0.09 | 4191/2 | जुज 0.03  |
| 2956/2 | जुज 0.07 | 4193   | जुज 0.03  |
| 2957   | जुज 0.03 | 4194   | जुज 0.04  |
| 2958   | जुज 0.11 | 4195/2 | जुज 0.01  |
| 2960/1 | 0.01     | 4198   | जुज 0.02  |
| 2960/2 | 0.01     |        | योग . . 9.46  |
| 2960/4 | 0.01     |        |   |
| 2961   | जुज 0.05 |        | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.  |
| 2962/1 | जुज 0.01 |        | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैङ्कन) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.  |
| 2962/2 | जुज 0.01 |        |   |
| 2963   | जुज 0.06 |        |   |
| 2964   | 0.03     |        |   |
| 2965/1 | 0.03     |        |   |
| 2965/2 | 0.03     |        |   |
| 2966   | जुज 0.05 |        | प्र. क्र. 382.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— |
| 2967   | जुज 0.01 |        |   |
| 2987   | जुज 0.01 |        |   |
| 2988   | जुज 0.01 |        |   |
| 2989   | जुज 0.04 |        |   |
| 2990/2 | जुज 0.09 |        |   |
| 2991/1 | जुज 0.04 |        |   |
| 2992/1 | 0.03     |        |   |
| 2993/2 | जुज 0.01 |        |   |
| 4164   | जुज 0.02 |        |   |
| 4165   | जुज 0.03 |        |   |
| 4166   | जुज 0.03 |        |   |
| 4167   | जुज 0.02 |        |   |

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) ग्राम का नाम.—हिरवाह, पटवारी हल्का नं. हिरवाह, 20, रा. नि. क्षेत्र-अमिलिया.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.90 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर<br>(1) | आवेदित रकबा<br>(हे. में)<br>(2) | (1)        | (2)  |
|----------------------|---------------------------------|------------|------|
| 111 जु.              | 0.03                            | 2004 जु.   | 0.01 |
| 191 जु.              | 0.06                            | 2005 जु.   | 0.03 |
| 194 जु.              | 0.01                            | 2008 जु.   | 0.05 |
| 195 जु.              | 0.01                            | 2009 जु.   | 0.06 |
| 196 जु.              | 0.02                            | 2010       | 0.08 |
| 197 जु.              | 0.02                            | 2011 जु.   | 0.03 |
| 221/1 जु.            | 0.01                            | 2012 जु.   | 0.06 |
| 221/2 जु.            | 0.02                            | 2013       | 0.05 |
| 222 जु.              | 0.03                            | 2014       | 0.05 |
| 227 जु.              | 0.01                            | 2015 जु.   | 0.04 |
| 228/2 ख जु.          | 0.02                            | 2016 जु.   | 0.01 |
| 229 जु.              | 0.03                            | 2098 जु.   | 0.06 |
| 230 जु.              | 0.02                            | 2099/2 जु. | 0.01 |
| 231 जु.              | 0.01                            | 2100/2 जु. | 0.06 |
| 232 जु.              | 0.01                            | 2101 जु.   | 0.09 |
| 233 जु.              | 0.01                            | 2103/1 जु. | 0.09 |
| 255 जु.              | 0.01                            | 2103/2     | 0.03 |
| 256 जु.              | 0.02                            | 2103/3 जु. | 0.01 |
| 257 जु.              | 0.03                            | 2130 जु.   | 0.02 |
| 258 जु.              | 0.01                            | 2131 जु.   | 0.16 |
| 259 जु.              | 0.01                            | 2137 जु.   | 0.12 |
| 260 जु.              | 0.01                            | 2138 जु.   | 0.01 |
| 261 जु.              | 0.03                            | 2184/1 जु. | 0.03 |
| 263 जु.              | 0.02                            | 2184/2 जु. | 0.03 |
| 264 जु.              | 0.01                            | 2185 जु.   | 0.12 |
| 265 जु.              | 0.01                            | 2186 जु.   | 0.06 |
| 267 जु.              | 0.01                            | 2187 जु.   | 0.04 |
| 268 जु.              | 0.01                            | 2188 जु.   | 0.13 |
| 271/2 जु.            | 0.01                            | 2197 जु.   | 0.01 |
| 278 जु.              | 0.07                            | 2198 जु.   | 0.02 |
| 279 जु.              | 0.01                            | 2201/1 जु. | 0.11 |
| 280 जु.              | 0.02                            | 2202/1 जु. | 0.02 |
| 281 जु.              | 0.01                            | 2202/2 जु. | 0.02 |
| 283 जु.              | 0.01                            | 2202/3 जु. | 0.01 |
| 284 जु.              | 0.01                            | 2203/1 जु. | 0.01 |
| 285 जु.              | 0.03                            | 2203/2 जु. | 0.01 |
|                      |                                 | 2203/3 जु. | 0.01 |
|                      |                                 | 2223 जु.   | 0.02 |



|            |              |        |              |
|------------|--------------|--------|--------------|
| (1)        | (2)          | (1)    | (2)          |
| 2226 जु.   | 0.02         | 52 जुज | 0.05         |
| 2227 जु.   | 0.05         | 56 जुज | 0.06         |
| 2228 जु.   | 0.12         | 59 जुज | 0.06         |
| 2319/1 जु. | 0.03         |        | योग . . 0.18 |
| 2319/2 जु. | 0.02         |        |              |
| 2320/1 जु. | 0.02         |        |              |
| 2320/2 जु. | 0.01         |        |              |
| 2328 जु.   | 0.01         |        |              |
| 2339/1 जु. | 0.02         |        |              |
| 2341 जु.   | 0.01         |        |              |
| 2342 जु.   | 0.05         |        |              |
| 2343 जु.   | 0.04         |        |              |
| 2344 जु.   | 0.02         |        |              |
| 2377       | 0.03         |        |              |
|            | योग . . 2.90 |        |              |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 384.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम.—बिलौंजी भटवा, पटवारी हल्का नं. करकोसा 21, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टर.

|            |             |
|------------|-------------|
| खसरा       | आवेदित रकबा |
| नम्बर      | (हे. में)   |
| (1)        | (2)         |
| 51 मि. जुज | 0.01        |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 386.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम.—धतुराबरवा, पटवारी हल्का नं. हर्दी, 22, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.01 हेक्टर.

|            |             |
|------------|-------------|
| खसरा       | आवेदित रकबा |
| नम्बर      | (हे. में)   |
| (1)        | (2)         |
| 31/1 क जुज | 0.09        |
| 31/1 ख जुज | 0.05        |
| 31/2 जुज   | 0.02        |
| 32 जुज     | 0.01        |
| 37 जुज     | 0.01        |
| 38 जुज     | 0.07        |
| 39         | 0.07        |
| 40 जुज     | 0.02        |
| 43 जुज     | 0.02        |
| 44         | 0.06        |
| 45         | 0.05        |

| (1)       | (2)  | (1)   | (2)         |
|-----------|------|---|-------------|
| 46 जुज    | 0.03 | 551/3 जुज   | 0.03        |
| 49 जुज    | 0.05 | 553 जुज   | 0.01        |
| 53/1 क    | 0.02 | 828 जुज   | 0.01        |
| 53/1 ख    | 0.01 | 837 जुज   | 0.04        |
| 53/2 जुज  | 0.05 | 838 जुज   | 0.01        |
| 76 जुज    | 0.01 | 841 जुज   | 0.01        |
| 78 जुज    | 0.03 | 844 जुज   | 0.01        |
| 79 जुज    | 0.05 | 846 जुज   | 0.06        |
| 80 जुज    | 0.05 | 982 जुज   | 0.02        |
| 81 जुज    | 0.06 | 986 जुज   | 0.03        |
| 118 जुज   | 0.01 | 988 जुज   | 0.05        |
| 119 जुज   | 0.01 | 989 जुज   | 0.04        |
| 120 जुज   | 0.01 | 991 जुज   | 0.01        |
| 121 जुज   | 0.02 | 1002 जुज  | 0.02        |
| 124 जुज   | 0.03 | 1003/1 जुज  | 0.01        |
| 126 जुज   | 0.04 | 1003/2 जुज  | 0.01        |
| 127 जुज   | 0.06 | योग . .   | <u>2.01</u> |
| 128 जुज   | 0.05 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन. |             |
| 129 जुज   | 0.06 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.   |             |
| 130 जुज   | 0.04 |   |             |
| 131 जुज   | 0.03 |   |             |
| 132 जुज   | 0.02 |   |             |
| 133 जुज   | 0.01 |   |             |
| 137       | 0.03 |   |             |
| 288 जुज   | 0.02 |   |             |
| 290 जुज   | 0.03 |   |             |
| 291 जुज   | 0.04 |   |             |
| 294 जुज   | 0.02 |   |             |
| 295 जुज   | 0.02 |   |             |
| 296 जुज   | 0.01 |   |             |
| 297 जुज   | 0.05 |   |             |
| 298 जुज   | 0.01 |   |             |
| 299 जुज   | 0.01 |   |             |
| 301 जुज   | 0.01 |   |             |
| 545 जुज   | 0.05 |   |             |
| 547/1 जुज | 0.04 |   |             |
| 548 जुज   | 0.06 |   |             |
| 551/2 जुज | 0.02 |   |             |

प्र. क्र. 388.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—सिंगरौली  
 (ग) ग्राम का नाम.—अमलोरी, पटवारी हल्का नं. अमलोरी, 14, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.273 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर<br>(1) | आवेदित रकबा<br>(हे. में)<br>(2) | (1)                       | (2)   |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
|                      |                                 | 318/1 जुज                 | 0.030 |
|                      |                                 | 318/2 जुज                 | 0.040 |
| 233/3 क जुज          | 0.230                           | 319/2 क जुज               | 0.040 |
| 233/3 ख जुज          | 0.450                           | 319/2 ख जुज               | 0.010 |
| 253 जुज              | 0.070                           | 319/3 जुज                 | 0.110 |
| 298/2 जुज            | 0.060                           | 320/1 जुज                 | 0.020 |
| 307 जुज              | 0.010                           | 320/2 क जुज               | 0.051 |
| 308/1 क जुज          | 0.030                           | 320/2 ख                   | 0.069 |
| 308/1 ख जुज          | 0.010                           | 321 जुज                   | 0.100 |
| 308/2 जुज            | 0.010                           | 324/1 शामिल नं. 323/1 जुज | 0.030 |
| 309/1 जुज            | 0.040                           | 324/2 शामिल नं. 323/2 जुज | 0.030 |
| 309/2 जुज            | 0.060                           | 327/2 ख जुज               | 0.010 |
| 310/1 जुज            | 0.070                           | 331 जुज                   | 0.020 |
| 310/2 जुज            | 0.060                           | 332 जुज                   | 0.150 |
| 310/3 जुज            | 0.040                           | 333 जुज                   | 0.208 |
| 310/4 जुज            | 0.040                           | 334/1 क जुज               | 0.310 |
| 310/5 जुज            | 0.090                           | 334/1 ख जुज               | 0.300 |
| 310/6 जुज            | 0.130                           | 584/1 ग                   | 0.020 |
| 311/2 जुज            | 0.005                           | 632/1 जुज                 | 0.020 |
| 311/6 जुज            | 0.005                           | 632/2 जुज                 | 0.050 |
| 312/1 जुज            | 0.020                           | 634/1                     | 0.079 |
| 312/2 जुज            | 0.008                           | 634/2                     | 0.029 |
| 312/3 जुज            | 0.008                           | 634/3                     | 0.020 |
| 312/4 जुज            | 0.009                           | 634/4                     | 0.019 |
| 312/5                | 0.005                           | 634/5                     | 0.019 |
| 312/6 जुज            | 0.038                           | 634/6                     | 0.009 |
| 313/1 जुज            | 0.024                           | 635/1 क(1)                | 0.034 |
| 313/2 जुज            | 0.009                           | 635/1 क(2)                | 0.033 |
| 313/3 जुज            | 0.009                           | 636/1 जुज                 | 0.020 |
| 313/4 जुज            | 0.009                           | 636/4 जुज                 | 0.005 |
| 313/5 जुज            | 0.005                           | 636/5 जुज                 | 0.005 |
| 313/6 जुज            | 0.024                           | 636/6 जुज                 | 0.020 |
| 315/1 जुज            | 0.040                           | 637/2 जुज                 | 0.060 |
| 315/2 जुज            | 0.040                           | 638/1 जुज                 | 0.021 |
| 316/1 जुज            | 0.078                           | 638/2                     | 0.069 |
| 316/2 क              | 0.022                           | 639/1                     | 0.069 |
| 317/1 जुज            | 0.127                           | 639/2 जुज                 | 0.040 |
| 317/2                | 0.003                           | 639/3                     | 0.069 |
| 317/3                | 0.003                           | 639/4 जुज                 | 0.050 |
| 317/4                | 0.003                           | 640/2 क जुज               | 0.030 |
| 317/5                | 0.004                           | 640/2 ख जुज               | 0.060 |
|                      |                                 | 640/2 ग जुज               | 0.090 |

| (1)           | (2)   | (1)   | (2)          |
|---------------|-------|---|--------------|
| 640/2 घ जुज   | 0.070 | 653/1 ख 2   | 0.006        |
| 640/3 क जुज   | 0.190 | 653/1 ख 3   | 0.006        |
| 640/3 ख 1 जुज | 0.080 | 653/1 ख 4   | 0.006        |
| 640/3 ख 2 जुज | 0.070 | 653/1 ख 5   | 0.006        |
| 640/3 ख 3 जुज | 0.060 | 653/1 ख 6   | 0.006        |
| 640/4 क जुज   | 0.090 | 653/1 ख 7   | 0.008        |
| 640/4 ख जुज   | 0.020 | 653/1 ग जुज   | 0.010        |
| 640/4 ग जुज   | 0.020 | 653/1 ङ जुज   | 0.010        |
| 640/4 घ जुज   | 0.020 | 653/1 च जुज   | 0.015        |
| 642/1 च जुज   | 0.050 | 683/1 क जुज   | 0.012        |
| 642/1 ज जुज   | 0.070 | 685/1 जुज   | 0.010        |
| 643/1 क 1 जुज | 0.040 | 686/1 जुज   | 0.009        |
| 643/1 क 2 जुज | 0.040 | 687/1 जुज   | 0.009        |
| 643/1 ख जुज   | 0.094 | 688/1 ङ जुज   | 0.011        |
| 643/2 क 1     | 0.032 | 688/2 ख जुज   | 0.009        |
| 643/2 क 2     | 0.032 | 689/1 क 2 जुज   | 0.090        |
| 643/2 क 3     | 0.032 | 696/1 जुज   | 0.010        |
| 643/2 क 4     | 0.032 | 696/2 जुज   | 0.010        |
| 643/2 ख जुज   | 0.120 | 697/1 जुज   | 0.010        |
| 644/2 क जुज   | 0.010 | 697/2 जुज   | 0.010        |
| 644/2 ख जुज   | 0.010 | 697/3 जुज   | 0.010        |
| 644/2 ग जुज   | 0.010 | 698   | 0.045        |
| 644/2 घ जुज   | 0.010 | 699/1   | 0.091        |
| 645/1 जुज     | 0.010 | 699/2   | 0.091        |
| 645/2 जुज     | 0.010 | 700/1 क 1   | 0.012        |
| 645/3 जुज     | 0.010 | 700/1 क 2 जुज   | 0.080        |
| 645/4 जुज     | 0.010 | 700/1 क 3 जुज   | 0.110        |
| 651/1 जुज     | 0.168 | 700/1 क 4 जुज   | 0.120        |
| 651/2 जुज     | 0.020 | 700/1 क 6 जुज   | 0.110        |
| 652/1 जुज     | 0.050 | 700/1 ख जुज   | 0.460        |
| 652/2 जुज     | 0.040 | 700/2 जुज   | 0.358        |
| 652/3 जुज     | 0.040 | 753/6 जुज   | 0.010        |
| 652/4 जुज     | 0.040 | योग . .   | <u>8.273</u> |
| 652/5 जुज     | 0.040 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन. |              |
| 652/6 जुज     | 0.020 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.   |              |
| 652/7 जुज     | 0.040 | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  |              |
| 652/8 जुज     | 0.050 | पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.   |              |
| 652/9 जुज     | 0.090 |   |              |
| 652/10 जुज    | 0.080 |   |              |
| 652/11 जुज    | 0.110 |   |              |
| 652/12 जुज    | 0.110 |   |              |
| 653/1 ख 1     | 0.007 |   |              |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 217-वाचक-प्र.क्र. 1-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—निम्बोल (पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.320 हेक्टर.

| सर्वे नम्बर<br>निजी | अर्जित रकबा<br>(हेक्टर में) |
|---------------------|-----------------------------|
| (1)                 | (2)                         |
| 367/1ख              | 0.230                       |
| 471                 | 0.798                       |
| 467                 | 0.465                       |
| 472/2               | 0.390                       |
| 468/1/2             | 0.042                       |
| 470/1               | 0.016                       |
| 465                 | 0.120                       |
| 464/2               | 0.864                       |
| 466/2               | 0.352                       |
| 159/1/1, 159/3/1    | 0.043                       |
| योग : <u>3.320</u>  |                             |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 159.250 मी. से निकलने वाली के लिये आवश्यकता दाहोद डी.एम. 80 आर.डी. 0 मी. से 1090 के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 212-वाचक-प्र.क्र. 2-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—मसान्या (पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.908 हेक्टर.

| सर्वे नम्बर<br>निजी | अर्जित रकबा<br>(हेक्टर में) |
|---------------------|-----------------------------|
| (1)                 | (2)                         |
| 337/3/1             | 0.145                       |
| 337/8               | 0.288                       |
| 337/4/2/1           | 0.192                       |
| 337/4/1/1           | 0.216                       |
| 337/5/1             | 0.144                       |
| 337/6/1             | 0.102                       |
| 337/7               | 0.025                       |
| 344                 | 0.253                       |
| 318/1               | 0.452                       |
| 235                 | 0.506                       |
| 234                 | 0.175                       |
| 233                 | 0.215                       |
| 232                 | 0.151                       |
| 146/3/2/1           | 0.027                       |
| 145/1/2, 145/2      | 0.880                       |
| 128                 | 0.680                       |
| 130/1ख 1            | 0.196                       |
| 127                 | 0.850                       |
| 125                 | 0.270                       |
| 314/4/1             | 0.198                       |
| 314/2/1             | 0.324                       |
| 155/1/1             | 0.255                       |
| 314/5               | 0.026                       |
| 335/2/1             | 0.328                       |
| 331/3/1             | 0.010                       |
| योग : <u>6.908</u>  |                             |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— आँकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर.डी. 0 से 440 मी. तक व आर.डी. 156500 मी. से 158200 मी. से निकलने वाली डी.एम. 78 एवं 158200 डी.एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1945-भू-अर्जन-1-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—सिराली  
(ग) नगर/ग्राम—कड़ोलाराघो  
(घ) लगभग क्षेत्र—0.202 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर | रकबा<br>(हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1)           | (2)                  |
| 234/9         | 0.202                |
| योग : 0.202   |                      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—इमलीढाना जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1947-भू-अर्जन-2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा  
(ख) तहसील—खिरकिया  
(ग) नगर/ग्राम—छुरीखाल  
(घ) लगभग क्षेत्र—1.558 हेक्टर.

| खसरा<br>नम्बर | रकबा<br>(हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1)           | (2)                  |
| 109/2         | 0.032                |
| 108/1         | 0.574                |
| 108/2         | 0.142                |
| 107/1         | 0.182                |
| 107/2         | 0.405                |
| 19/2          | 0.081                |
| 20            | 0.142                |
| योग : 1.558   |                      |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—जामन्या जलाशय से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 235-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—खम्हौनिया नं. 2  
(घ) क्षेत्रफल—0.30 हेक्टर.

| खसरा नम्बर             | अर्जित रकबा (हेक्टर में) | रिमार्क |
|------------------------|--------------------------|---------|
| (1)                    | (2)                      | (3)     |
| (अ) निजी भूमि का विवरण |                          |         |
| 87                     | 0.02                     | 0.47    |
| 88                     | 0.09                     |         |
| 90                     | 0.02                     |         |
| 92                     | 0.03                     |         |
| 93/1                   | 0.12                     |         |
| 93/2                   |                          |         |
| 93/4                   |                          |         |
| योग (अ) : 5 किता       | <u>0.28</u>              |         |

#### (ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 99                  | 0.02        |
| योग (ब) : 1 किता    | <u>0.02</u> |
| महायोग (अ+ब) 6 किता | <u>0.30</u> |

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 237-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—रामनगर  
(घ) क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

| खसरा नम्बर             | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|------------------------|--------------------------|
| (1)                    | (2)                      |
| (अ) निजी भूमि का विवरण |                          |
| 1321                   | 0.01                     |
| 1325                   | 0.01                     |
| 1327                   | 0.01                     |
| 1330                   | 0.01                     |
| 1334                   | 0.01                     |
| 1370                   | <u>0.01</u>              |
| 1427                   | 0.01                     |
| 1428                   | <u>0.01</u>              |
| योग (अ) : 8 किता       | <u>0.08</u>              |

#### (ब) शासकीय भूमि का विवरण निल

महायोग (अ+ब) 8 किता 0.08

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा =0.08 है.  
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक  
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा =0.08 है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 239-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—चंदैनिया  
(घ) क्षेत्रफल—0.47 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|
| (1)        | (2)                      |

(अ) निजी भूमि का विवरण

|           |             |
|-----------|-------------|
| 182       | 0.01        |
| 184       | 0.02        |
| 185       | 0.01        |
| 186       | 0.03        |
| 187       | 0.06        |
| 189       | 0.02        |
| 193       | 0.03        |
| 196       | 0.03        |
| 199       | 0.03        |
| 208       | 0.03        |
| 210       | 0.04        |
| 214       | 0.03        |
| 215       | 0.03        |
| 218       | 0.04        |
| 219       | 0.01        |
| 270       | 0.02        |
| 271       | 0.01        |
| योग (अ) : | <u>0.45</u> |

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

|              |             |
|--------------|-------------|
| 272          | 0.02        |
| योग (ब)      | <u>0.02</u> |
| महायोग (अ+ब) | <u>0.47</u> |

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.45 हे.  
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.02 हे.  
प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा 0.47 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. 250-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान  
(ग) ग्राम—अबेर कोठार  
(घ) क्षेत्रफल—19.538 हेक्टर.

| खसरा | अर्जित रकबा            |                       |
|------|------------------------|-----------------------|
|      | अशासकीय भूमि (हे. में) | शासकीय भूमि (हे. में) |
| (1)  | (2)                    | (3)                   |
| 558  | 0.064                  | —                     |
| 557  | 0.222                  | —                     |
| 577  | 0.347                  | —                     |
| 578  | 0.06                   | —                     |
| 556  | 1.133                  | —                     |
| 555  | 0.06                   | —                     |
| 382  | 0.535                  | —                     |
| 651  | 0.182                  | —                     |
| 447  | 0.202                  | —                     |
| 927  | 0.333                  | —                     |
| 576  | 0.118                  | —                     |
| 584  | 0.790                  | —                     |
| 925  | 0.421                  | —                     |
| 572  | 0.041                  | —                     |
| 334  | 0.008                  | —                     |
| 935  | 0.008                  | —                     |
| 940  | 0.202                  | —                     |
| 1313 | 0.323                  | —                     |
| 1314 | 0.114                  | —                     |
| 1315 | 0.364                  | —                     |
| 1316 | 0.134                  | —                     |
| 1317 | 0.222                  | —                     |
| 1318 | 0.250                  | —                     |
| 1319 | 0.202                  | —                     |



| (1)    | (2)   | (1)     | (2)    |
|--------|-------|---------|--------|
| 1320   | 0.177 | 3418    | 0.115  |
| 1092   | 0.295 | 2324    | —      |
| 1093   | 0.089 | 2345    | 0.192  |
| 1094   | 0.202 | 2346    | 0.008  |
| 1126   | 0.303 | 2337    | 0.081  |
| 1127   | 0.470 | 2344    | 0.008  |
| 1128   | 0.165 | 2490    | 0.012  |
| 1129   | 0.189 | 2483    | 0.016  |
| 1298   | 0.081 | 2484    | 0.012  |
| 1299   | 0.081 | 2497    | 0.066  |
| 1306   | 0.361 | 2500    | 0.040  |
| 1308   | 0.243 | 2522    | 0.073  |
| 1305   | 0.280 | 2523    | —      |
| 1089/1 | 0.162 | 2531    | 0.036  |
| 1304   | 0.061 | 2532    | 0.057  |
| 1303   | 0.135 | 2530    | 0.025  |
| 1636   | 0.222 | 2847    | 0.024  |
| 1637   | 0.545 | 2848    | 0.020  |
| 1637   | 0.351 | 2851    | 0.041  |
| 1629   | 0.405 | 2852    | 0.029  |
| 1623   | 0.363 | 2849    | 0.089  |
| 1617   | 0.016 | 2850    | 0.153  |
| 1622   | 0.210 | 2846/2  | 0.008  |
| 1633   | 0.104 | 2461/1  | 0.049  |
| 1632   | 0.121 | 2842    | 0.101  |
| 1690   | 0.399 | 2841    | 0.008  |
| 1689   | 0.128 | 2865    | 0.166  |
| 1653   | 0.566 | 2871    | 0.042  |
| 1652   | 0.061 | 2872    | 0.008  |
| 1494   | 0.101 | 3037    | 0.045  |
| 1488   | 0.141 | 3036    | 0.048  |
| 1490   | 0.150 | 3039    | 0.012  |
| 1884/2 | 0.162 | 3038    | 0.045  |
| 1883   | 0.162 | 3055    | 0.004  |
| 1896   | 0.161 | 3056    | 0.008  |
| 1842   | 0.478 | 3200    | 0.401  |
| 1828   | 0.266 | 3225    | 0.012  |
| 1883/2 | 0.081 | 3190    | 0.152  |
| 1883/1 | 0.073 | 3418    | 0.115  |
| 1820   | 0.202 | 3417    | 0.052  |
| 1821   | 0.162 | 3417    | 0.133  |
| 1822   | 0.085 | 3406    | 0.008  |
| 1824   | 0.072 | 3603    | 0.025  |
| 1641   | 0.179 | 3602    | 0.040  |
| 1913   | 0.101 | 3595    | 0.061  |
| 1955   | 0.215 | 3614    | 0.121  |
| 1964   | 0.008 | 3542    | 0.041  |
| 1966   | 0.061 | 1946    | 0.081  |
| 1968   | 0.065 | 1947    | 0.101  |
| 3201   | 0.020 | 2841    | 0.008  |
|        |       | 2842    | 0.101  |
|        |       | 930     | 0.346  |
|        |       | योग . . | 19.504 |
|        |       |         | 0.034  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 252-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराज नगर  
(ग) ग्राम—पतौरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.420 हे.

| खसरा    | अर्जित रकबा            |                       |
|---------|------------------------|-----------------------|
|         | अशासकीय भूमि (हे. में) | शासकीय भूमि (हे. में) |
| (1)     | (2)                    |                       |
| 48      | 0.040                  | —                     |
| 49      | 0.040                  | —                     |
| 3/2ख    | 0.283                  | —                     |
| 35/639  | 0.057                  | —                     |
| योग . . | <u>0.420</u>           | —                     |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
मण्डला, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. भू-अर्जन-09(अ-82)2008-09-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो

गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—मण्डला  
(ग) ग्राम—सुरहली प.ह.नं. 71  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.90 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|------------|-------------------|
| (1)        | (2)               |
| 223        | 0.20              |
| 303        | 0.06              |
| 1269/2     | 0.13              |
| 306        | 0.20              |
| 1134       | 0.06              |
| 305/1      | 0.09              |
| 1269/1     | 0.16              |
| योग : 0.90 |                   |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सुरहली जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु,
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. के. खरे**, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

प्र. क्र. 22-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—छतरपुर

| (ग) नगर/ग्राम—ईशानगर              | (1)  | (2)   |
|-----------------------------------|------|-------|
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—51.370 हेक्टर. |      |       |
| अर्जित की जा रही भूमि की सूची     | 3024 | 0.080 |
| खसरा नम्बर                        | 3025 | 0.140 |
| अर्जित रकबा                       | 3033 | 0.160 |
| (हेक्टर में)                      | 3035 | 0.100 |
| (1)                               | 3037 | 0.160 |
| 2930                              | 3054 | 0.100 |
| 2931                              | 3055 | 0.230 |
| 2933                              | 3059 | 0.170 |
| 2932                              | 3060 | 0.250 |
| 2934                              | 3063 | 0.200 |
| 2971                              | 3065 | 0.050 |
| 2975                              | 3056 | 0.100 |
| 2939                              | 3057 | 0.180 |
| 2940                              | 3061 | 0.130 |
| 2941                              | 3064 | 0.200 |
| 2976                              | 3068 | 0.240 |
| 2942                              | 3069 | 0.240 |
| 2943                              | 3144 | 0.260 |
| 2944                              | 3150 | 0.200 |
| 2972                              | 3151 | 0.220 |
| 2947                              | 3145 | 0.330 |
| 2954                              | 3152 | 0.300 |
| 2955                              | 3398 | 0.980 |
| 2957                              | 3167 | 0.030 |
| 2958                              | 3197 | 0.280 |
| 2959                              | 3198 | 0.030 |
| 2952                              | 3204 | 0.070 |
| 2970                              | 3205 | 0.370 |
| 2974                              | 3423 | 1.230 |
| 2950                              | 2924 | 0.080 |
| 2973                              | 2945 | 0.040 |
| 2977                              | 2927 | 0.480 |
| 2978                              | 2949 | 0.280 |
| 2979                              | 2953 | 0.330 |
| 3009                              | 2960 | 0.300 |
| 3028                              | 2961 | 0.200 |
| 3011                              | 2962 | 0.250 |
| 3062                              | 2963 | 0.370 |
| 3067                              | 2964 | 0.060 |
| 3017                              | 2965 | 0.110 |
| 3019                              | 2966 | 0.180 |
| 3021                              | 2967 | 0.480 |
| 3022                              | 2968 | 0.770 |
| 3023                              | 2969 | 0.500 |

| (1)  | (2)   | (1)    | (2)   |
|------|-------|--------|-------|
| 2946 | 0.120 | 3051   | 0.090 |
| 2956 | 0.020 | 3052   | 0.370 |
| 2981 | 0.480 | 3085   | 0.450 |
| 2982 | 0.290 | 3031   | 0.220 |
| 2983 | 0.510 | 3043   | 0.080 |
| 2990 | 0.100 | 3044   | 0.300 |
| 2996 | 0.180 | 3045   | 0.100 |
| 2997 | 0.020 | 3046   | 0.100 |
| 2998 | 0.280 | 3050   | 0.050 |
| 2999 | 0.230 | 3053   | 0.250 |
| 3000 | 0.200 | 3084   | 0.440 |
| 3001 | 0.490 | 3034   | 0.370 |
| 3003 | 0.080 | 3083   | 0.730 |
| 3004 | 0.560 | 3036   | 0.600 |
| 3005 | 0.280 | 3039   | 0.400 |
| 3006 | 0.690 | 3042   | 2.410 |
| 3010 | 0.110 | 3086   | 1.080 |
| 3007 | 0.020 | 3087   | 0.020 |
| 3008 | 0.230 | 3088   | 0.480 |
| 3014 | 0.100 | 3089   | 0.580 |
| 3015 | 0.420 | 3090   | 0.580 |
| 3012 | 0.260 | 3091   | 0.460 |
| 3013 | 0.100 | 3092   | 0.350 |
| 3016 | 0.170 | 3093   | 0.380 |
| 3020 | 0.210 | 3094   | 0.360 |
| 3018 | 0.020 | 3095   | 0.090 |
| 3026 | 0.270 | 3143   | 0.200 |
| 3027 | 0.100 | 3041   | 0.500 |
| 3029 | 0.250 | 3148   | 0.010 |
| 3030 | 0.230 | 3058   | 0.130 |
| 3047 | 0.080 | 3098/1 | 0.060 |
| 3049 | 0.110 | 3096   | 0.220 |

| (1)    | (2)   | (1)   | (2)   |
|--------|-------|---|-------|
| 3133   | 0.130 | 3148  | 0.470 |
| 3138   | 0.230 | 3154  | 0.210 |
| 3141   | 0.100 | 3164  | 0.160 |
| 3142   | 0.140 | 3149  | 0.030 |
| 3157   | 0.110 | 3160  | 0.350 |
| 3168   | 0.090 | 3161  | 0.290 |
| 3098/3 | 0.070 | 3163  | 0.400 |
| 3097   | 0.200 | 3173  | 0.300 |
| 3135   | 0.180 | 3175  | 0.290 |
| 3140   | 0.150 | 3174  | 0.250 |
| 3155   | 0.100 | 3196  | 0.150 |
| 3165   | 0.110 | 3199  | 0.150 |
| 3169   | 0.100 | 3203  | 0.280 |
| 3171   | 0.200 | 3206  | 0.120 |
| 3132   | 0.040 | 3207  | 0.070 |
| 3131   | 0.200 | 3208  | 0.100 |
| 3166   | 0.220 | 3209  | 0.040 |
| 3202   | 0.120 | 3177  | 0.070 |
| 3098/2 | 0.070 | 3200  | 0.050 |
| 3134   | 0.130 | 3201  | 0.170 |
| 3136   | 0.170 | 3424  | 0.380 |
| 3137   | 0.020 | 3425  | 0.210 |
| 3139   | 0.190 | 3428  | 1.000 |
| 3156   | 0.080 | कुल रकबा हेक्टेयर में . . . 51.370  |       |
| 3158   | 0.100 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—रजिया तालाब के भराव हेतु.  |       |
| 3170   | 0.120 | (3) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. |       |
| 3172   | 0.230 | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  |       |
| 3146   | 0.220 | ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.   |       |
| 3147   | 0.180 |   |       |
| 3153   | 0.380 |   |       |
| 3159   | 0.450 |   |       |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / 285 / भू-अर्जन / 11

खरगोन दिनांक 04 मार्च 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

- (1) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
- जिला : खरगोन
- तहसील : महेश्वर
- ग्राम का नाम : सुलगांव
- लगभग क्षेत्रफल : 36071 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा वर्ग मीटर में |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1           | 2         | 3               | 4                         |
| 3           | 225       | 2               | 48                        |
| 3           | 225       | 3               | 62                        |
| 3           | 225       | 4               | 36                        |
| 3           | 225       | 5               | 10                        |
| 3           | 225       | 6               | 13                        |
| 3           | 225       | 7               | 20                        |
| 3           | 225       | 8               | 56                        |
| 3           | 225       | 9               | 29                        |
| 3           | 225       | 10              | 24                        |
| 3           | 225       | 11              | 22                        |
| 3           | 225       | 12              | 108                       |
| 3           | 225       | 13              | 37                        |
| 3           | 225       | 14              | 16                        |
| 3           | 225       | 15              | 29                        |
| 3           | 225       | 16              | 28                        |

|   |     |    |     |
|---|-----|----|-----|
| 3 | 225 | 17 | 35  |
| 3 | 225 | 20 | 30  |
| 3 | 225 | 21 | 33  |
| 3 | 225 | 22 | 102 |
| 3 | 225 | 23 | 88  |
| 3 | 225 | 24 | 63  |
| 3 | 225 | 25 | 90  |
| 3 | 225 | 26 | 13  |
| 3 | 225 | 27 | 13  |
| 3 | 225 | 29 | 28  |
| 3 | 225 | 30 | 15  |
| 3 | 225 | 31 | 45  |
| 3 | 225 | 32 | 49  |
| 3 | 225 | 33 | 50  |
| 3 | 225 | 34 | 97  |
| 3 | 225 | 36 | 10  |
| 3 | 225 | 37 | 55  |
| 3 | 225 | 38 | 41  |
| 3 | 225 | 39 | 50  |
| 3 | 225 | 40 | 40  |
| 3 | 225 | 41 | 60  |
| 3 | 225 | 42 | 56  |
| 3 | 225 | 43 | 50  |
| 3 | 225 | 45 | 68  |
| 3 | 225 | 46 | 27  |
| 3 | 225 | 47 | 25  |
| 3 | 225 | 48 | 41  |
| 3 | 225 | 49 | 88  |
| 3 | 225 | 50 | 66  |
| 3 | 225 | 51 | 53  |
| 3 | 225 | 52 | 84  |
| 3 | 225 | 54 | 8   |
| 3 | 225 | 55 | 28  |
| 3 | 225 | 56 | 36  |
| 3 | 225 | 57 | 5   |
| 3 | 225 | 58 | 29  |
| 3 | 225 | 59 | 24  |
| 3 | 225 | 60 | 32  |
| 3 | 225 | 61 | 13  |
| 3 | 225 | 62 | 73  |
| 3 | 225 | 63 | 44  |
| 3 | 225 | 64 | 34  |
| 3 | 225 | 65 | 33  |

|   |     |     |      |
|---|-----|-----|------|
| 3 | 225 | 66  | 32   |
| 3 | 225 | 67  | 50   |
| 3 | 225 | 68  | 46   |
| 3 | 225 | 69  | 37   |
| 3 | 225 | 70  | 32   |
| 3 | 225 | 71  | 32   |
| 3 | 225 | 72  | 60   |
| 3 | 225 | 73  | 60   |
| 3 | 225 | 74  | 62   |
| 3 | 225 | 75  | 37   |
| 3 | 225 | 76  | 73   |
| 3 | 225 | 77  | 53   |
| 3 | 225 | 78  | 48   |
| 3 | 225 | 79  | 34   |
| 3 | 225 | 80  | 24   |
| 3 | 225 | 81  | 16   |
| 3 | 225 | 82  | 18   |
| 3 | 225 | 83  | 18   |
| 3 | 225 | 84  | 45   |
| 3 | 225 | 85  | 41   |
| 3 | 225 | 86  | 34   |
| 3 | 225 | 87  | 12   |
| 3 | 225 | 88  | 12   |
| 3 | 225 | 89  | 27   |
| 3 | 225 | 90  | 40   |
| 3 | 225 | 92  | 30   |
| 3 | 225 | 94  | 22   |
| 3 | 225 | 95  | 33   |
| 3 | 225 | 96  | 12   |
| 3 | 225 | 97  | 29   |
| 3 | 225 | 98  | 26   |
| 3 | 225 | 99  | 1107 |
| 3 | 225 | 101 | 2    |
| 3 | 225 | 102 | 43   |
| 3 | 225 | 103 | 2    |
| 3 | 225 | 104 | 2    |
| 3 | 225 | 105 | 2    |
| 3 | 225 | 106 | 3    |
| 3 | 225 | 107 | 3    |
| 3 | 225 | 108 | 2    |
| 3 | 225 | 109 | 2    |
| 3 | 225 | 110 | 2    |
| 3 | 225 | 111 | 2    |
| 3 | 225 | 112 | 2    |



|   |     |         |     |
|---|-----|---------|-----|
| 3 | 225 | 113     | 3   |
| 3 | 225 | 114     | 3   |
| 3 | 225 | 41/ 187 | 21  |
| 1 | 306 | 146     | 30  |
| 1 | 306 | 149     | 45  |
| 1 | 306 | 150     | 195 |
| 1 | 306 | 152     | 220 |
| 1 | 306 | 153     | 61  |
| 1 | 306 | 154     | 60  |
| 1 | 306 | 155     | 55  |
| 1 | 306 | 156     | 52  |
| 1 | 306 | 157     | 60  |
| 1 | 306 | 158     | 78  |
| 1 | 306 | 159     | 78  |
| 1 | 306 | 160     | 78  |
| 1 | 306 | 161     | 78  |
| 1 | 306 | 162     | 56  |
| 1 | 306 | 163     | 58  |
| 1 | 306 | 164     | 76  |
| 1 | 306 | 165     | 180 |
| 1 | 306 | 166     | 88  |
| 1 | 306 | 169     | 52  |
| 1 | 306 | 175     | 86  |
| 1 | 306 | 176     | 72  |
| 1 | 306 | 177     | 92  |
| 1 | 306 | 178     | 145 |
| 1 | 306 | 179     | 100 |
| 1 | 306 | 190     | 66  |
| 1 | 306 | 232     | 65  |
| 1 | 306 | 233     | 70  |
| 1 | 306 | 234     | 120 |
| 1 | 306 | 236     | 109 |
| 1 | 306 | 237     | 39  |
| 1 | 306 | 238     | 110 |
| 1 | 306 | 239     | 56  |
| 1 | 306 | 240     | 33  |
| 1 | 306 | 241     | 33  |
| 1 | 306 | 242     | 49  |
| 1 | 306 | 243     | 49  |
| 1 | 306 | 244     | 49  |
| 1 | 306 | 245     | 26  |
| 1 | 306 | 246     | 49  |
| 1 | 306 | 247     | 63  |
| 1 | 306 | 248     | 61  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 306 | 249 | 25  |
| 1 | 306 | 250 | 15  |
| 1 | 306 | 251 | 68  |
| 1 | 306 | 253 | 65  |
| 1 | 306 | 254 | 234 |
| 1 | 306 | 255 | 175 |
| 1 | 306 | 256 | 120 |
| 1 | 306 | 257 | 50  |
| 1 | 306 | 258 | 50  |
| 1 | 306 | 259 | 185 |
| 1 | 306 | 261 | 150 |
| 1 | 306 | 262 | 115 |
| 1 | 306 | 263 | 115 |
| 1 | 306 | 265 | 40  |
| 1 | 306 | 266 | 62  |
| 1 | 306 | 267 | 36  |
| 1 | 306 | 268 | 62  |
| 1 | 306 | 269 | 17  |
| 1 | 306 | 270 | 155 |
| 1 | 306 | 271 | 40  |
| 1 | 306 | 272 | 108 |
| 1 | 306 | 273 | 226 |
| 1 | 306 | 274 | 68  |
| 1 | 306 | 275 | 68  |
| 1 | 306 | 276 | 50  |
| 1 | 306 | 277 | 50  |
| 1 | 306 | 278 | 50  |
| 1 | 306 | 279 | 50  |
| 1 | 306 | 281 | 90  |
| 1 | 306 | 282 | 63  |
| 1 | 306 | 283 | 26  |
| 1 | 306 | 284 | 127 |
| 1 | 306 | 285 | 40  |
| 1 | 306 | 288 | 20  |
| 1 | 306 | 290 | 85  |
| 1 | 306 | 291 | 85  |
| 1 | 306 | 292 | 64  |
| 1 | 306 | 293 | 23  |
| 1 | 306 | 294 | 30  |
| 1 | 306 | 295 | 85  |
| 1 | 306 | 296 | 92  |
| 1 | 306 | 297 | 85  |
| 1 | 306 | 298 | 58  |
| 1 | 306 | 299 | 200 |

|   |     |     |      |
|---|-----|-----|------|
| 1 | 306 | 300 | 85   |
| 1 | 306 | 302 | 65   |
| 1 | 306 | 303 | 25   |
| 1 | 306 | 304 | 129  |
| 1 | 306 | 305 | 165  |
| 1 | 306 | 306 | 194  |
| 2 | 306 | 307 | 135  |
| 2 | 306 | 308 | 65   |
| 2 | 306 | 309 | 65   |
| 2 | 306 | 310 | 32   |
| 2 | 306 | 312 | 45   |
| 2 | 306 | 314 | 35   |
| 2 | 306 | 315 | 21   |
| 2 | 306 | 316 | 75   |
| 2 | 306 | 317 | 75   |
| 2 | 306 | 318 | 165  |
| 2 | 306 | 319 | 167  |
| 2 | 306 | 320 | 70   |
| 2 | 306 | 321 | 88   |
| 2 | 306 | 322 | 125  |
| 2 | 306 | 323 | 55   |
| 2 | 306 | 324 | 162  |
| 2 | 306 | 325 | 22   |
| 2 | 306 | 326 | 22   |
| 2 | 306 | 327 | 22   |
| 2 | 306 | 328 | 22   |
| 2 | 306 | 330 | 102  |
| 2 | 306 | 331 | 145  |
| 2 | 306 | 332 | 50   |
| 2 | 306 | 333 | 28   |
| 2 | 306 | 334 | 32   |
| 2 | 306 | 335 | 50   |
| 2 | 306 | 336 | 145  |
| 2 | 306 | 337 | 85   |
| 2 | 306 | 338 | 46   |
| 2 | 306 | 340 | 10   |
| 2 | 306 | 341 | 18   |
| 2 | 306 | 343 | 155  |
| 2 | 306 | 344 | 130  |
| 2 | 306 | 346 | 1032 |
| 2 | 306 | 347 | 38   |
| 2 | 306 | 348 | 38   |
| 2 | 306 | 349 | 45   |
| 2 | 306 | 350 | 157  |

|   |     |          |     |
|---|-----|----------|-----|
| 2 | 306 | 351      | 42  |
| 2 | 306 | 352      | 8   |
| 2 | 306 | 354      | 106 |
| 2 | 306 | 355      | 273 |
| 2 | 306 | 356      | 160 |
| 2 | 306 | 357      | 39  |
| 2 | 306 | 358      | 48  |
| 2 | 306 | 360      | 210 |
| 2 | 306 | 362      | 40  |
| 2 | 306 | 363      | 57  |
| 2 | 306 | 367      | 6   |
| 2 | 306 | 368      | 219 |
| 2 | 306 | 369      | 606 |
| 2 | 306 | 370      | 151 |
| 2 | 306 | 371      | 75  |
| 2 | 306 | 372      | 100 |
| 2 | 306 | 373      | 100 |
| 2 | 306 | 374      | 100 |
| 2 | 306 | 376      | 125 |
| 2 | 306 | 377      | 111 |
| 2 | 306 | 378      | 122 |
| 2 | 306 | 379      | 134 |
| 2 | 306 | 380      | 48  |
| 2 | 306 | 381      | 50  |
| 2 | 306 | 382      | 50  |
| 2 | 306 | 383      | 50  |
| 2 | 306 | 385      | 92  |
| 2 | 306 | 386      | 102 |
| 2 | 306 | 387      | 30  |
| 2 | 306 | 388      | 24  |
| 2 | 306 | 389      | 70  |
| 2 | 306 | 392      | 30  |
| 2 | 306 | 394      | 53  |
| 2 | 306 | 395      | 76  |
| 2 | 306 | 396      | 89  |
| 2 | 306 | 397      | 88  |
| 2 | 306 | 398      | 65  |
| 2 | 306 | 399      | 118 |
| 1 | 306 | 254/ 404 | 16  |
| 1 | 306 | 254/ 405 | 172 |
| 1 | 306 | 254/ 406 | 91  |
| 2 | 306 | 364/ 408 | 111 |
| 2 | 306 | 364/ 409 | 325 |
| 1 | 306 | 233/ 411 | 70  |

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| 4 | 217/1 | 118 | 18  |
| 4 | 217/1 | 119 | 51  |
| 4 | 217/1 | 120 | 16  |
| 4 | 217/1 | 122 | 55  |
| 4 | 217/1 | 123 | 173 |
| 4 | 217/1 | 124 | 75  |
| 4 | 217/1 | 125 | 31  |
| 4 | 217/1 | 127 | 62  |
| 4 | 217/1 | 128 | 68  |
| 4 | 217/1 | 129 | 20  |
| 4 | 217/1 | 130 | 39  |
| 4 | 217/1 | 132 | 175 |
| 4 | 217/1 | 133 | 48  |
| 4 | 217/1 | 134 | 35  |
| 4 | 217/1 | 135 | 48  |
| 4 | 217/1 | 136 | 20  |
| 4 | 217/1 | 138 | 75  |
| 4 | 217/1 | 139 | 30  |
| 4 | 217/1 | 140 | 370 |
| 4 | 217/1 | 141 | 66  |
| 4 | 217/1 | 142 | 10  |
| 4 | 217/1 | 143 | 22  |
| 4 | 217/1 | 144 | 44  |
| 4 | 217/1 | 145 | 34  |
| 4 | 217/1 | 147 | 48  |
| 4 | 217/1 | 148 | 70  |
| 4 | 217/1 | 149 | 53  |
| 4 | 217/1 | 151 | 72  |
| 4 | 217/1 | 152 | 36  |
| 4 | 217/1 | 153 | 100 |
| 4 | 217/1 | 154 | 23  |
| 4 | 217/1 | 155 | 210 |
| 4 | 217/1 | 156 | 63  |
| 4 | 217/1 | 157 | 57  |
| 4 | 217/1 | 158 | 65  |
| 4 | 217/1 | 159 | 87  |
| 4 | 217/1 | 160 | 33  |
| 4 | 217/1 | 161 | 85  |
| 4 | 217/1 | 163 | 25  |
| 4 | 217/1 | 164 | 33  |
| 4 | 217/1 | 165 | 8   |
| 4 | 217/1 | 166 | 24  |
| 4 | 217/1 | 167 | 28  |
| 4 | 217/1 | 168 | 50  |

|   |       |         |     |
|---|-------|---------|-----|
| 4 | 217/1 | 169     | 57  |
| 4 | 217/1 | 170     | 72  |
| 4 | 217/1 | 171     | 76  |
| 4 | 217/1 | 172     | 104 |
| 4 | 217/1 | 173     | 100 |
| 4 | 217/1 | 174     | 93  |
| 4 | 217/1 | 175     | 93  |
| 4 | 217/1 | 176     | 90  |
| 4 | 217/1 | 177     | 100 |
| 4 | 217/1 | 178     | 18  |
| 4 | 217/1 | 179     | 108 |
| 4 | 217/1 | 180     | 90  |
| 4 | 217/1 | 181     | 82  |
| 4 | 217/1 | 182     | 42  |
| 4 | 217/1 | 183     | 38  |
| 4 | 217/1 | 184     | 23  |
| 4 | 217/1 | 185     | 10  |
| 4 | 217/1 | 186     | 5   |
| 1 | 306   | 22 पैकी | 16  |
| 1 | 306   | 23 पैकी | 2   |
| 1 | 306   | 26 पैकी | 46  |
| 1 | 306   | 28 पैकी | 65  |
| 1 | 306   | 29      | 95  |
| 1 | 306   | 31      | 36  |
| 1 | 306   | 32      | 50  |
| 1 | 306   | 33      | 28  |
| 1 | 306   | 34 पैकी | 55  |
| 1 | 306   | 35 पैकी | 25  |
| 1 | 306   | 36 पैकी | 7   |
| 1 | 306   | 42 पैकी | 280 |
| 1 | 306   | 43 पैकी | 59  |
| 1 | 306   | 44 पैकी | 30  |
| 1 | 306   | 45 पैकी | 5   |
| 1 | 306   | 49 पैकी | 70  |
| 1 | 306   | 50      | 88  |
| 1 | 306   | 51      | 50  |
| 1 | 306   | 52      | 70  |
| 1 | 306   | 53      | 81  |
| 1 | 306   | 54      | 80  |
| 1 | 306   | 55      | 81  |
| 1 | 306   | 56      | 81  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 306 | 57  | 92  |
| 1 | 306 | 58  | 95  |
| 1 | 306 | 59  | 206 |
| 1 | 306 | 60  | 18  |
| 1 | 306 | 62  | 36  |
| 1 | 306 | 63  | 27  |
| 1 | 306 | 64  | 35  |
| 1 | 306 | 66  | 15  |
| 1 | 306 | 69  | 40  |
| 1 | 306 | 70  | 58  |
| 1 | 306 | 71  | 50  |
| 1 | 306 | 72  | 35  |
| 1 | 306 | 73  | 34  |
| 1 | 306 | 74  | 57  |
| 1 | 306 | 75  | 26  |
| 1 | 306 | 76  | 30  |
| 1 | 306 | 78  | 91  |
| 1 | 306 | 79  | 92  |
| 1 | 306 | 80  | 65  |
| 1 | 306 | 81  | 51  |
| 1 | 306 | 82  | 38  |
| 1 | 306 | 83  | 83  |
| 1 | 306 | 84  | 135 |
| 1 | 306 | 85  | 130 |
| 1 | 306 | 86  | 125 |
| 1 | 306 | 87  | 121 |
| 1 | 306 | 89  | 102 |
| 1 | 306 | 90  | 105 |
| 1 | 306 | 91  | 49  |
| 1 | 306 | 92  | 120 |
| 1 | 306 | 93  | 74  |
| 1 | 306 | 94  | 103 |
| 1 | 306 | 95  | 23  |
| 1 | 306 | 96  | 106 |
| 1 | 306 | 97  | 83  |
| 1 | 306 | 98  | 79  |
| 1 | 306 | 99  | 137 |
| 1 | 306 | 100 | 52  |
| 1 | 306 | 101 | 52  |
| 1 | 306 | 102 | 43  |
| 1 | 306 | 103 | 43  |
| 1 | 306 | 104 | 60  |
| 1 | 306 | 105 | 60  |
| 1 | 306 | 106 | 52  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 306 | 107 | 57  |
| 1 | 306 | 108 | 90  |
| 1 | 306 | 109 | 50  |
| 1 | 306 | 110 | 90  |
| 1 | 306 | 111 | 104 |
| 1 | 306 | 112 | 280 |
| 1 | 306 | 113 | 104 |
| 1 | 306 | 114 | 111 |
| 1 | 306 | 115 | 46  |
| 1 | 306 | 116 | 46  |
| 1 | 306 | 117 | 167 |
| 1 | 306 | 119 | 7   |
| 1 | 306 | 120 | 22  |
| 1 | 306 | 121 | 20  |
| 1 | 306 | 122 | 44  |
| 1 | 306 | 123 | 150 |
| 1 | 306 | 125 | 25  |
| 1 | 306 | 126 | 95  |
| 1 | 306 | 127 | 66  |
| 1 | 306 | 128 | 47  |
| 1 | 306 | 129 | 160 |
| 1 | 306 | 131 | 90  |
| 1 | 306 | 132 | 43  |
| 1 | 306 | 133 | 5   |
| 1 | 306 | 134 | 71  |
| 1 | 306 | 135 | 70  |
| 1 | 306 | 137 | 26  |
| 1 | 306 | 139 | 90  |
| 1 | 306 | 140 | 28  |
| 1 | 306 | 141 | 28  |
| 1 | 306 | 142 | 26  |
| 1 | 306 | 143 | 26  |
| 1 | 306 | 144 | 30  |
| 1 | 306 | 145 | 30  |
| 1 | 306 | 147 | 34  |
| 1 | 306 | 148 | 34  |
| 1 | 306 | 167 | 88  |
| 1 | 306 | 168 | 88  |
| 1 | 306 | 171 | 106 |
| 1 | 306 | 172 | 123 |
| 1 | 306 | 173 | 86  |
| 1 | 306 | 174 | 55  |
| 1 | 306 | 181 | 45  |
| 1 | 306 | 182 | 15  |



|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 306 | 183 | 14  |
| 1 | 306 | 184 | 80  |
| 1 | 306 | 185 | 260 |
| 1 | 306 | 186 | 35  |
| 1 | 306 | 187 | 12  |
| 1 | 306 | 188 | 12  |
| 1 | 306 | 189 | 85  |
| 1 | 306 | 191 | 108 |
| 1 | 306 | 192 | 32  |
| 1 | 306 | 194 | 781 |
| 1 | 306 | 196 | 40  |
| 1 | 306 | 198 | 220 |
| 1 | 306 | 199 | 63  |
| 1 | 306 | 200 | 65  |
| 1 | 306 | 201 | 63  |
| 1 | 306 | 202 | 126 |
| 1 | 306 | 203 | 52  |
| 1 | 306 | 204 | 52  |
| 1 | 306 | 205 | 52  |
| 1 | 306 | 206 | 52  |
| 1 | 306 | 207 | 60  |
| 1 | 306 | 208 | 80  |
| 1 | 306 | 209 | 60  |
| 1 | 306 | 210 | 70  |
| 1 | 306 | 211 | 60  |
| 1 | 306 | 212 | 70  |
| 1 | 306 | 213 | 70  |
| 1 | 306 | 214 | 70  |
| 1 | 306 | 215 | 320 |
| 1 | 306 | 217 | 30  |
| 1 | 306 | 218 | 30  |
| 1 | 306 | 219 | 30  |
| 1 | 306 | 220 | 30  |
| 1 | 306 | 221 | 30  |
| 1 | 306 | 222 | 35  |
| 1 | 306 | 223 | 33  |
| 1 | 306 | 224 | 33  |
| 1 | 306 | 225 | 22  |
| 1 | 306 | 227 | 165 |
| 1 | 306 | 228 | 75  |
| 1 | 306 | 229 | 75  |
| 1 | 306 | 230 | 56  |
| 1 | 306 | 231 | 65  |
| 1 | 306 | 252 | 42  |

|   |     |          |       |
|---|-----|----------|-------|
| 1 | 306 | 286      | 40    |
| 1 | 306 | 289      | 25    |
| 1 | 306 | 198/ 402 | 36    |
| 1 | 306 | 198/ 403 | 42    |
|   | योग | 499      | 36071 |

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं.            | संपत्ति का विवरण |
|------------------|------------------|
| 1                | 2                |
| 228,229          | मकान-4, पशुबाड़ा |
| 231 / 1          | मकान             |
| 231 / 3          | मकान             |
| 245 / 1          | मकान-2           |
| 250              | पशुबाड़ा         |
| 254 / 2          | मकान             |
| 254 / 1          | मकान             |
| 256              | पशुबाड़ा         |
| 257              | मकान             |
| 273              | मकान             |
| 276              | मकान-6           |
| 279,280          | पशुबाड़ा         |
| 206 / 1          | मकान-2 गोबर गैस  |
| 219 / 4, 249     | पशुबाड़ा-3, होज  |
| 251 / 1          | पशुबाड़ा         |
| 252 / 2, 253 / 2 | मकान-4           |

## शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | मद     | संपत्ति का विवरण   |
|-------|--------|--|
| 2     | 3      | 4  |
| 284   | चरागाह | त्रिवेणी ओटला सार्वजनिक,<br>सीतला माता मंदिर सार्वजनिक,<br>आश्रम ट्रस्ट व्यवस्थापक महादेव पिता दगडू<br>पाटीदार सह सदस्य चार,<br>शिव मंदिर एवं धर्मशाला पक्का,<br>धर्मशाला पक्की, नाग मंदिर सार्वजनिक |
| 224   | चरागाह | 38 पम्प हाउस,<br>46 पाईप लाईन,<br>शिवलिंगे दो,<br>पक्का थाला सार्वजनिक   |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1-कलेक्टर जिला-खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)

कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन

क्रमांक/284/भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 04/03/11

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं

## // अनुसूची //

- (1) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
- जिला : खरगोन
- तहसील : महेश्वर
- ग्राम का नाम : पथराड़ खुर्द
- लगभग क्षेत्रफल : 88365 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा वर्ग मीटर में |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1           | 2         | 3               | 4                         |
| 3           | 89        | 415             | 272                       |
| 3           | 89        | 416             | 552                       |
| 3           | 89        | 417             | 159                       |
| 3           | 89        | 418             | 99                        |
| 3           | 89        | 451             | 98                        |
| 3           | 89        | 452             | 66                        |
| 3           | 89        | 453             | 74                        |
| 3           | 89        | 454             | 24                        |
| 3           | 89        | 455             | 24                        |
| 3           | 89        | 456             | 24                        |
| 3           | 89        | 457             | 64                        |
| 3           | 89        | 458             | 62                        |
| 3           | 89        | 459             | 62                        |
| 3           | 89        | 461             | 99                        |
| 3           | 89        | 462             | 92                        |
| 3           | 89        | 463             | 54                        |

|   |    |     |     |
|---|----|-----|-----|
| 3 | 89 | 464 | 83  |
| 3 | 89 | 466 | 58  |
| 3 | 89 | 467 | 109 |
| 3 | 89 | 469 | 106 |
| 3 | 89 | 470 | 106 |
| 3 | 89 | 471 | 141 |
| 3 | 89 | 472 | 73  |
| 3 | 89 | 473 | 36  |
| 3 | 89 | 475 | 20  |
| 3 | 89 | 476 | 55  |
| 3 | 89 | 477 | 70  |
| 3 | 89 | 478 | 105 |
| 3 | 89 | 479 | 73  |
| 3 | 89 | 480 | 105 |
| 3 | 89 | 481 | 103 |
| 3 | 89 | 482 | 73  |
| 3 | 89 | 483 | 73  |
| 3 | 89 | 484 | 73  |
| 3 | 89 | 485 | 34  |
| 3 | 89 | 486 | 20  |
| 3 | 89 | 487 | 110 |
| 3 | 89 | 489 | 45  |
| 3 | 89 | 490 | 83  |
| 3 | 89 | 491 | 149 |
| 3 | 89 | 492 | 50  |
| 3 | 89 | 493 | 71  |
| 3 | 89 | 494 | 137 |
| 3 | 89 | 495 | 137 |
| 3 | 89 | 496 | 88  |
| 3 | 89 | 497 | 88  |
| 3 | 89 | 498 | 88  |
| 3 | 89 | 499 | 130 |
| 3 | 89 | 500 | 61  |
| 3 | 89 | 501 | 55  |
| 3 | 89 | 502 | 55  |
| 3 | 89 | 504 | 72  |
| 3 | 89 | 505 | 95  |
| 3 | 89 | 506 | 68  |
| 3 | 89 | 507 | 68  |
| 3 | 89 | 508 | 93  |
| 3 | 89 | 509 | 86  |
| 3 | 89 | 510 | 140 |
| 3 | 89 | 511 | 184 |
| 3 | 89 | 512 | 142 |

|   |          |           |     |
|---|----------|-----------|-----|
| 3 | 89       | 513       | 142 |
| 3 | 89       | 514       | 186 |
| 3 | 89       | 516       | 130 |
| 3 | 89       | 517       | 30  |
| 3 | 89       | 518       | 30  |
| 3 | 89       | 519       | 33  |
| 3 | 89       | 520       | 33  |
| 3 | 89       | 521       | 72  |
| 3 | 89       | 522       | 72  |
| 3 | 89       | 524       | 55  |
| 3 | 89       | 525       | 48  |
| 3 | 89       | 526       | 61  |
| 3 | 89       | 527       | 81  |
| 3 | 89       | 528       | 41  |
| 3 | 89       | 529       | 80  |
| 3 | 89       | 530       | 216 |
| 3 | 89       | 531       | 160 |
| 3 | 89       | 533       | 84  |
| 3 | 89       | 534       | 75  |
| 3 | 89       | 535       | 217 |
| 3 | 89       | 536       | 174 |
| 3 | 89       | 537       | 174 |
| 3 | 89       | 538       | 69  |
| 3 | 89       | 539       | 195 |
| 3 | 89       | 540       | 174 |
| 3 | 89       | 542       | 54  |
| 3 | 89       | 543       | 31  |
| 3 | 89       | 544       | 113 |
| 3 | 89,122/8 | 545       | 59  |
| 3 | 89       | 415/ 586  | 272 |
| 3 | 89       | 415/ 587  | 272 |
| 3 | 89       | 544 / 593 | 161 |
| 3 | 89       | 544/ 594  | 192 |
| 3 | 89       | 544/ 595  | 86  |
| 3 | 122/8    | 406       | 116 |
| 3 | 122/8    | 407       | 216 |
| 3 | 122/8    | 408       | 130 |
| 3 | 122/8    | 409       | 58  |
| 3 | 122/8    | 410       | 58  |
| 3 | 122/8    | 411       | 119 |
| 3 | 122/8    | 413       | 857 |
| 3 | 122/8    | 546       | 81  |
| 3 | 122/8    | 547       | 21  |
| 3 | 122/8    | 548       | 133 |

|   |              |          |      |
|---|--------------|----------|------|
| 3 | 122/8        | 549      | 84   |
| 3 | 122/8        | 550      | 44   |
| 3 | 122/8        | 551      | 53   |
| 3 | 122/8        | 552      | 52   |
| 3 | 122/8        | 553      | 130  |
| 3 | 122/8        | 554      | 89   |
| 3 | 122/8        | 555      | 132  |
| 3 | 122/8        | 557      | 1330 |
| 3 | 122/8        | 558      | 638  |
| 3 | 122/8        | 559      | 692  |
| 3 | 122/8        | 560      | 1320 |
| 3 | 122/8        | 561      | 1312 |
| 3 | 122/8        | 562      | 1320 |
| 3 | 122/8        | 563      | 1364 |
| 3 | 122/8        | 566      | 575  |
| 3 | 122/8        | 567      | 726  |
| 3 | 122/8        | 568      | 465  |
| 3 | 122/8        | 569      | 288  |
| 3 | 122/8        | 570      | 420  |
| 3 | 122/8        | 571      | 420  |
| 3 | 122/8        | 572      | 445  |
| 3 | 122/8        | 573      | 678  |
| 3 | 122/8        | 574      | 459  |
| 3 | 122/8        | 575      | 206  |
| 3 | 122/8        | 576      | 403  |
| 3 | 122/8        | 577      | 500  |
| 3 | 122/8        | 578      | 32   |
| 3 | 122/8        | 413/ 585 | 65   |
| 3 | 122/8        | 413/ 600 | 18   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 1        | 1204 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 2        | 669  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 3        | 1160 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 4        | 1692 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 5        | 581  |
| 4 | 287          | 6        | 836  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 11       | 122  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 13       | 55   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 14       | 83   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 15       | 78   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 16       | 18   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 17       | 57   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 19       | 59   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 22       | 63   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 25       | 65   |

|   |                   |    |     |
|---|-------------------|----|-----|
| 4 | 279/1, 279/2      | 26 | 47  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 28 | 42  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 30 | 252 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 32 | 490 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 34 | 450 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 36 | 75  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 37 | 75  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 38 | 106 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 39 | 119 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 40 | 58  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 41 | 68  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 42 | 88  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 43 | 110 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 44 | 164 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 45 | 529 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 46 | 231 |
| 4 | 287               | 48 | 34  |
| 4 | 287               | 49 | 59  |
| 4 | 287               | 50 | 430 |
| 4 | 287               | 51 | 150 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 52 | 29  |
| 4 | 279/1, 279/2, 287 | 54 | 140 |
| 4 | 279/1, 279/2, 287 | 55 | 83  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 57 | 112 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 58 | 18  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 60 | 18  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 61 | 15  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 62 | 100 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 63 | 115 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 64 | 74  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 66 | 28  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 67 | 51  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 68 | 37  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 69 | 193 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 70 | 52  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 71 | 53  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 72 | 134 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 75 | 97  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 74 | 75  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 76 | 48  |
| 4 | 279/1, 279/2      | 77 | 254 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 78 | 199 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 79 | 163 |
| 4 | 279/1, 279/2      | 81 | 84  |



|   |                            |     |     |
|---|----------------------------|-----|-----|
| 4 | 279/1, 279/2               | 82  | 41  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 83  | 72  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 84  | 56  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 85  | 39  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 86  | 70  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 87  | 163 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 89  | 34  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 90  | 34  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 91  | 35  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 92  | 47  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 93  | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 94  | 37  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 95  | 53  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 96  | 77  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 97  | 50  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 98  | 50  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 99  | 221 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 100 | 88  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 103 | 131 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 104 | 341 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 105 | 254 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 106 | 81  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 107 | 125 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 108 | 60  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 109 | 56  |
| 4 | 279/1, 279/2, 242          | 111 | 460 |
| 4 | 279/1, 279/2, 240/1, 240/2 | 112 | 476 |
| 4 | 240/1, 240/2               | 113 | 117 |
| 4 | 240/1, 240/2               | 114 | 86  |
| 4 | 279/1, 279/2, 240/1, 240/2 | 116 | 261 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 117 | 133 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 118 | 30  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 119 | 68  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 120 | 273 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 122 | 90  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 123 | 56  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 124 | 54  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 125 | 73  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 127 | 113 |
| 4 | 279/1, 279/2               | 128 | 73  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 129 | 69  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 130 | 65  |
| 4 | 279/1, 279/2               | 131 | 121 |

|   |              |     |     |
|---|--------------|-----|-----|
| 4 | 279/1, 279/2 | 132 | 108 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 133 | 120 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 134 | 110 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 135 | 165 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 136 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 138 | 91  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 139 | 45  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 140 | 36  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 141 | 36  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 142 | 36  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 144 | 60  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 145 | 18  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 146 | 18  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 147 | 18  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 148 | 126 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 149 | 80  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 150 | 65  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 151 | 24  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 152 | 38  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 153 | 19  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 154 | 10  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 156 | 32  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 157 | 27  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 158 | 31  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 159 | 14  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 160 | 27  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 161 | 27  |
| 4 | 240/1, 240/2 | 162 | 25  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 164 | 35  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 165 | 62  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 167 | 25  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 168 | 32  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 169 | 38  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 170 | 28  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 173 | 34  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 174 | 55  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 175 | 20  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 176 | 38  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 177 | 38  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 178 | 42  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 179 | 48  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 180 | 92  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 181 | 42  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 182 | 48  |

|   |              |     |     |
|---|--------------|-----|-----|
| 4 | 279/1, 279/2 | 184 | 53  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 185 | 21  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 186 | 26  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 187 | 34  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 188 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 189 | 31  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 190 | 57  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 191 | 2   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 194 | 17  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 195 | 57  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 196 | 56  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 197 | 53  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 198 | 59  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 199 | 68  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 200 | 49  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 201 | 82  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 202 | 32  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 203 | 87  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 204 | 105 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 205 | 41  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 206 | 31  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 207 | 34  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 208 | 137 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 209 | 45  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 210 | 150 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 211 | 122 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 212 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 213 | 29  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 214 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 215 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 216 | 271 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 219 | 73  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 220 | 54  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 221 | 20  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 222 | 22  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 223 | 70  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 224 | 40  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 225 | 12  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 226 | 36  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 227 | 47  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 228 | 41  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 229 | 37  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 230 | 108 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 231 | 21  |

|   |              |         |     |
|---|--------------|---------|-----|
| 4 | 279/1, 279/2 | 232     | 29  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 233     | 41  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 235     | 29  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 236     | 28  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 237     | 48  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 240     | 9   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 241     | 5   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 242     | 3   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 243     | 4   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 244     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 245     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 246     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 247     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 248     | 4   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 249     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 250     | 2   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 251     | 2   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 252     | 3   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 253     | 3   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 254     | 2   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 255     | 5   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 256     | 5   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 257     | 5   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 258     | 4   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 259     | 3   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 260     | 4   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 261     | 4   |
| 4 | 240/1, 240/2 | 262     | 4   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 263     | 4   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 264     | 4   |
| 4 | 279/1, 279/2 | 35/266  | 33  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 133/267 | 143 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 169/268 | 28  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 144/269 | 62  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 74/270  | 155 |
| 4 | 279/1, 279/2 | 68/271  | 37  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 65/272  | 30  |
| 4 | 279/1, 279/2 | 172/273 | 31  |
| 2 | 89           | 201     | 65  |
| 2 | 89           | 202     | 7   |
| 2 | 89           | 203     | 55  |
| 2 | 89           | 204     | 80  |
| 2 | 89           | 205     | 55  |
| 2 | 89           | 206     | 96  |

|   |                |     |     |
|---|----------------|-----|-----|
| 2 | 89             | 207 | 74  |
| 2 | 89             | 208 | 81  |
| 2 | 89             | 209 | 58  |
| 2 | 89             | 210 | 57  |
| 2 | 89             | 211 | 79  |
| 2 | 89             | 212 | 35  |
| 2 | 89             | 213 | 35  |
| 2 | 89             | 218 | 13  |
| 2 | 89             | 219 | 25  |
| 2 | 89             | 220 | 61  |
| 2 | 89             | 221 | 33  |
| 2 | 89             | 222 | 78  |
| 2 | 89             | 223 | 107 |
| 2 | 89             | 224 | 116 |
| 2 | 89             | 225 | 131 |
| 2 | 89             | 228 | 65  |
| 2 | 89             | 229 | 76  |
| 2 | 89             | 230 | 90  |
| 2 | 89             | 231 | 54  |
| 2 | 89             | 232 | 144 |
| 2 | 89             | 233 | 67  |
| 2 | 89             | 234 | 77  |
| 2 | 89             | 235 | 100 |
| 2 | 89             | 236 | 100 |
| 2 | 89             | 237 | 107 |
| 2 | 89, 93/1, 92/1 | 239 | 254 |
| 2 | 89             | 240 | 223 |
| 2 | 89,122/8       | 241 | 36  |
| 2 | 89             | 242 | 160 |
| 2 | 89             | 243 | 126 |
| 2 | 89,122/8       | 244 | 62  |
| 2 | 89,122/8       | 373 | 212 |
| 2 | 89,122/8       | 374 | 334 |
| 2 | 89,122/8       | 375 | 119 |
| 2 | 89,122/8       | 376 | 119 |
| 2 | 89,122/8       | 377 | 119 |
| 2 | 89,122/8       | 378 | 116 |
| 2 | 89             | 420 | 246 |
| 2 | 89             | 421 | 70  |
| 2 | 89             | 422 | 70  |
| 2 | 89             | 423 | 70  |
| 2 | 89             | 424 | 70  |
| 2 | 89             | 425 | 340 |
| 2 | 89             | 426 | 123 |

|   |           |          |     |
|---|-----------|----------|-----|
| 2 | 89        | 427      | 70  |
| 2 | 89        | 429      | 113 |
| 2 | 89        | 430      | 47  |
| 2 | 89        | 431      | 27  |
| 2 | 89        | 432      | 27  |
| 2 | 89        | 433      | 127 |
| 2 | 89        | 434      | 33  |
| 2 | 89        | 435      | 51  |
| 2 | 89        | 436      | 52  |
| 2 | 89        | 437      | 136 |
| 2 | 89        | 438      | 49  |
| 2 | 89        | 439      | 95  |
| 2 | 89        | 440      | 49  |
| 2 | 89        | 442      | 82  |
| 2 | 89        | 443      | 153 |
| 2 | 89        | 445      | 33  |
| 2 | 89        | 446      | 33  |
| 2 | 89        | 447      | 33  |
| 2 | 89        | 448      | 33  |
| 2 | 89        | 449      | 128 |
| 2 | 89        | 450      | 50  |
| 2 | 89        | 450/ 588 | 50  |
| 2 | 89        | 450/ 589 | 41  |
| 2 | 89        | 450/ 590 | 41  |
| 2 | 89        | 450/ 591 | 41  |
| 2 | 89        | 450/ 592 | 123 |
| 1 | 92/1 93/1 | 1        | 200 |
| 1 | 92/1      | 2        | 593 |
| 1 | 92/1      | 4        | 49  |
| 1 | 92/1      | 5        | 17  |
| 1 | 92/1      | 6        | 18  |
| 1 | 92/1      | 7        | 28  |
| 1 | 92/1      | 8        | 24  |
| 1 | 92/1      | 9        | 37  |
| 1 | 92/1      | 10       | 39  |
| 1 | 92/1      | 11       | 13  |
| 1 | 92/1      | 12       | 34  |
| 1 | 92/1      | 13       | 37  |
| 1 | 92/1      | 14       | 43  |
| 1 | 92/1      | 15       | 36  |
| 1 | 92/1      | 17       | 97  |
| 1 | 92/1      | 18       | 71  |
| 1 | 92/1      | 19       | 58  |
| 1 | 92/1      | 20       | 58  |

|   |             |     |      |
|---|-------------|-----|------|
| 1 | 92/1        | 21  | 57   |
| 1 | 92/1        | 22  | 57   |
| 1 | 92/1        | 23  | 102  |
| 1 | 92/1        | 24  | 102  |
| 1 | 92/1        | 25  | 48   |
| 1 | 92/1        | 26  | 22   |
| 1 | 92/1        | 27  | 68   |
| 1 | 92/1        | 28  | 52   |
| 1 | 92/1        | 29  | 52   |
| 1 | 92/1        | 31  | 32   |
| 1 | 92/1        | 32  | 74   |
| 1 | 92/1        | 33  | 61   |
| 1 | 92/1        | 34  | 31   |
| 1 | 92/1        | 36  | 53   |
| 1 | 92/1        | 37  | 47   |
| 1 | 92/1        | 38  | 47   |
| 1 | 92/1        | 40  | 158  |
| 1 | 92/1, 122/8 | 41  | 245  |
| 1 | 92/1, 122/8 | 97  | 99   |
| 1 | 92/1, 122/8 | 98  | 139  |
| 1 | 92/1, 122/8 | 99  | 95   |
| 1 | 92/1        | 102 | 90   |
| 1 | 92/1        | 103 | 210  |
| 1 | 92/1        | 104 | 356  |
| 1 | 92/1        | 105 | 30   |
| 1 | 92/1        | 107 | 143  |
| 1 | 92/1        | 108 | 142  |
| 1 | 92/1        | 109 | 230  |
| 1 | 92/1        | 111 | 508  |
| 1 | 92/1        | 112 | 111  |
| 1 | 92/1, 122/8 | 113 | 36   |
| 1 | 92/1, 122/8 | 114 | 37   |
| 1 | 92/1        | 115 | 68   |
| 1 | 92/1        | 116 | 64   |
| 1 | 92/1        | 118 | 35   |
| 1 | 92/1, 93/1  | 119 | 2168 |
| 1 | 93/1        | 120 | 82   |
| 1 | 93/1        | 121 | 51   |
| 1 | 93/1        | 122 | 51   |
| 1 | 93/1        | 123 | 57   |
| 1 | 93/1        | 124 | 57   |
| 1 | 93/1        | 125 | 57   |
| 1 | 93/1        | 126 | 79   |
| 1 | 93/1        | 127 | 90   |

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 1 | 93/1       | 128 | 54  |
| 1 | 93/1       | 129 | 54  |
| 1 | 93/1       | 130 | 140 |
| 1 | 93/1       | 131 | 172 |
| 1 | 92/1, 93/1 | 133 | 169 |
| 1 | 92/1, 93/1 | 134 | 367 |
| 1 | 93/1       | 136 | 55  |
| 1 | 93/1       | 137 | 85  |
| 1 | 93/1       | 138 | 66  |
| 1 | 93/1       | 139 | 47  |
| 1 | 93/1       | 140 | 59  |
| 1 | 93/1       | 141 | 22  |
| 1 | 93/1       | 144 | 75  |
| 1 | 93/1       | 146 | 48  |
| 1 | 93/1       | 147 | 98  |
| 1 | 93/1       | 148 | 44  |
| 1 | 93/1       | 149 | 65  |
| 1 | 93/1       | 150 | 45  |
| 1 | 93/1       | 151 | 55  |
| 1 | 93/1       | 152 | 75  |
| 1 | 93/1       | 153 | 31  |
| 1 | 93/1       | 156 | 164 |
| 1 | 93/1       | 157 | 83  |
| 1 | 93/1       | 160 | 19  |
| 1 | 93/1       | 162 | 54  |
| 1 | 93/1       | 163 | 38  |
| 1 | 93/1       | 164 | 31  |
| 1 | 93/1       | 165 | 40  |
| 1 | 93/1       | 166 | 44  |
| 1 | 93/1       | 167 | 48  |
| 1 | 93/1       | 168 | 54  |
| 1 | 93/1       | 173 | 22  |
| 1 | 93/1       | 174 | 53  |
| 1 | 93/1       | 175 | 61  |
| 1 | 93/1       | 176 | 61  |
| 1 | 93/1       | 177 | 61  |
| 1 | 93/1       | 179 | 161 |
| 1 | 93/1       | 181 | 174 |
| 1 | 93/1       | 183 | 174 |
| 1 | 93/1       | 184 | 122 |
| 1 | 93/1       | 185 | 272 |
| 1 | 93/1       | 186 | 95  |
| 1 | 93/1       | 187 | 87  |
| 1 | 93/1       | 189 | 2   |



|   |            |          |     |
|---|------------|----------|-----|
| 1 | 93/1, 89   | 190      | 77  |
| 1 | 93/1, 89   | 191      | 122 |
| 1 | 92/1, 93/1 | 193      | 94  |
| 1 | 93/1       | 194      | 130 |
| 1 | 92/1       | 196      | 7   |
| 1 | 93/1       | 197      | 350 |
| 1 | 92/1, 93/1 | 198      | 292 |
| 1 | 92/1 122/8 | 116/ 596 | 129 |
| 1 | 92/1 122/8 | 116/ 597 | 136 |
| 1 | 92/1       | 17/ 599  | 45  |
| 1 | 122/8      | 43       | 129 |
| 1 | 122/8      | 44       | 37  |
| 1 | 122/8      | 45       | 37  |
| 1 | 122/8      | 46       | 80  |
| 1 | 122/8      | 47       | 42  |
| 1 | 122/8      | 48       | 36  |
| 1 | 122/8      | 49       | 61  |
| 1 | 122/8      | 50       | 118 |
| 1 | 122/8      | 51       | 91  |
| 1 | 122/8      | 52       | 57  |
| 1 | 122/8      | 53       | 33  |
| 1 | 122/8      | 55       | 487 |
| 1 | 122/8      | 56       | 480 |
| 1 | 122/8      | 57       | 480 |
| 1 | 122/8      | 60       | 415 |
| 1 | 122/8      | 61       | 135 |
| 2 | 122/8      | 63       | 132 |
| 2 | 122/8      | 64       | 133 |
| 2 | 122/8      | 65       | 180 |
| 2 | 122/8      | 66       | 98  |
| 2 | 122/8      | 68       | 49  |
| 2 | 122/8      | 69       | 23  |
| 2 | 122/8      | 70       | 21  |
| 2 | 122/8      | 71       | 49  |
| 2 | 122/8      | 73       | 40  |
| 2 | 122/8      | 74       | 53  |
| 2 | 122/8      | 76       | 172 |
| 2 | 122/8      | 77       | 74  |
| 2 | 122/8      | 78       | 74  |
| 2 | 122/8      | 79       | 99  |
| 2 | 122/8      | 80       | 128 |
| 2 | 122/8      | 81       | 128 |
| 2 | 122/8      | 82       | 243 |
| 2 | 122/8      | 83       | 199 |

|   |             |     |     |
|---|-------------|-----|-----|
| 2 | 122/8       | 86  | 117 |
| 2 | 122/8       | 87  | 117 |
| 2 | 122/8       | 88  | 294 |
| 2 | 122/8       | 89  | 141 |
| 2 | 122/8       | 90  | 112 |
| 2 | 122/8       | 91  | 88  |
| 2 | 122/8       | 92  | 60  |
| 2 | 122/8       | 93  | 110 |
| 2 | 122/8       | 94  | 121 |
| 2 | 122/8       | 95  | 110 |
| 2 | 122/8       | 96  | 100 |
| 2 | 122/8, 92/1 | 100 | 91  |
| 2 | 122/8       | 246 | 191 |
| 2 | 122/8       | 247 | 182 |
| 2 | 122/8       | 248 | 198 |
| 2 | 122/8       | 249 | 140 |
| 2 | 122/8       | 250 | 135 |
| 2 | 122/8       | 251 | 135 |
| 2 | 122/8       | 252 | 135 |
| 2 | 122/8       | 254 | 140 |
| 2 | 122/8       | 255 | 35  |
| 2 | 122/8       | 256 | 35  |
| 2 | 122/8       | 257 | 53  |
| 2 | 122/8       | 258 | 56  |
| 2 | 122/8       | 259 | 74  |
| 2 | 122/8       | 260 | 157 |
| 2 | 122/8       | 261 | 150 |
| 2 | 122/8       | 262 | 133 |
| 2 | 122/8       | 263 | 49  |
| 2 | 122/8       | 264 | 92  |
| 2 | 122/8, 92/1 | 265 | 129 |
| 2 | 92/1 122/8  | 266 | 122 |
| 2 | 122/8       | 269 | 45  |
| 2 | 122/8       | 270 | 94  |
| 2 | 122/8       | 271 | 94  |
| 2 | 122/8       | 272 | 164 |
| 2 | 122/8       | 273 | 230 |
| 2 | 122/8       | 274 | 284 |
| 2 | 122/8       | 275 | 245 |
| 2 | 122/8       | 277 | 530 |
| 2 | 122/8       | 278 | 186 |
| 2 | 122/8       | 279 | 110 |
| 2 | 122/8       | 280 | 110 |
| 2 | 122/8       | 281 | 130 |

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| 2 | 122/8 | 283 | 73  |
| 2 | 122/8 | 284 | 73  |
| 2 | 122/8 | 285 | 140 |
| 2 | 122/8 | 286 | 140 |
| 2 | 122/8 | 287 | 121 |
| 2 | 122/8 | 288 | 156 |
| 2 | 122/8 | 289 | 94  |
| 2 | 122/8 | 290 | 91  |
| 2 | 122/8 | 291 | 65  |
| 2 | 122/8 | 292 | 31  |
| 2 | 122/8 | 293 | 39  |
| 2 | 122/8 | 294 | 27  |
| 2 | 122/8 | 295 | 22  |
| 2 | 122/8 | 296 | 22  |
| 2 | 122/8 | 298 | 130 |
| 2 | 122/8 | 299 | 140 |
| 2 | 122/8 | 300 | 97  |
| 2 | 122/8 | 301 | 157 |
| 2 | 122/8 | 302 | 102 |
| 2 | 122/8 | 303 | 156 |
| 2 | 122/8 | 304 | 140 |
| 2 | 122/8 | 305 | 148 |
| 2 | 122/8 | 307 | 68  |
| 2 | 122/8 | 308 | 14  |
| 2 | 122/8 | 309 | 62  |
| 2 | 122/8 | 310 | 109 |
| 2 | 122/8 | 311 | 15  |
| 2 | 122/8 | 312 | 91  |
| 2 | 122/8 | 313 | 178 |
| 2 | 122/8 | 314 | 107 |
| 2 | 122/8 | 315 | 108 |
| 2 | 122/8 | 316 | 98  |
| 2 | 122/8 | 318 | 142 |
| 2 | 122/8 | 319 | 135 |
| 2 | 122/8 | 320 | 67  |
| 2 | 122/8 | 321 | 75  |
| 2 | 122/8 | 322 | 104 |
| 2 | 122/8 | 323 | 71  |
| 2 | 122/8 | 324 | 72  |
| 2 | 122/8 | 325 | 68  |
| 2 | 122/8 | 326 | 118 |
| 2 | 122/8 | 327 | 118 |
| 2 | 122/8 | 328 | 102 |
| 2 | 122/8 | 329 | 37  |

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| 2 | 122/8 | 330 | 37  |
| 2 | 122/8 | 331 | 74  |
| 2 | 122/8 | 332 | 26  |
| 2 | 122/8 | 333 | 27  |
| 2 | 122/8 | 334 | 27  |
| 2 | 122/8 | 336 | 80  |
| 2 | 122/8 | 337 | 80  |
| 2 | 122/8 | 338 | 39  |
| 2 | 122/8 | 339 | 39  |
| 2 | 122/8 | 340 | 40  |
| 2 | 122/8 | 341 | 40  |
| 2 | 122/8 | 342 | 40  |
| 2 | 122/8 | 343 | 205 |
| 2 | 122/8 | 344 | 33  |
| 2 | 122/8 | 345 | 115 |
| 2 | 122/8 | 346 | 114 |
| 2 | 122/8 | 347 | 110 |
| 2 | 122/8 | 348 | 110 |
| 2 | 122/8 | 350 | 245 |
| 2 | 122/8 | 351 | 239 |
| 2 | 122/8 | 352 | 172 |
| 2 | 122/8 | 353 | 83  |
| 2 | 122/8 | 354 | 89  |
| 2 | 122/8 | 355 | 142 |
| 2 | 122/8 | 356 | 138 |
| 2 | 122/8 | 357 | 108 |
| 2 | 122/8 | 358 | 65  |
| 2 | 122/8 | 359 | 65  |
| 2 | 122/8 | 361 | 47  |
| 2 | 122/8 | 362 | 47  |
| 2 | 122/8 | 363 | 96  |
| 2 | 122/8 | 364 | 177 |
| 2 | 122/8 | 365 | 177 |
| 2 | 122/8 | 366 | 150 |
| 2 | 122/8 | 367 | 150 |
| 2 | 122/8 | 368 | 150 |
| 2 | 122/8 | 369 | 150 |
| 2 | 122/8 | 370 | 93  |
| 2 | 122/8 | 371 | 93  |
| 2 | 122/8 | 380 | 12  |
| 2 | 122/8 | 381 | 58  |
| 2 | 122/8 | 384 | 39  |
| 2 | 122/8 | 385 | 41  |
| 2 | 122/8 | 386 | 72  |

|   |       |          |       |
|---|-------|----------|-------|
| 2 | 122/8 | 387      | 64    |
| 2 | 122/8 | 388      | 70    |
| 2 | 122/8 | 389      | 70    |
| 2 | 122/8 | 390      | 73    |
| 2 | 122/8 | 391      | 70    |
| 2 | 122/8 | 392      | 42    |
| 2 | 122/8 | 393      | 80    |
| 2 | 122/8 | 394      | 72    |
| 2 | 122/8 | 395      | 71    |
| 2 | 122/8 | 396      | 67    |
| 2 | 122/8 | 397      | 64    |
| 2 | 122/8 | 399      | 84    |
| 2 | 122/8 | 400      | 72    |
| 2 | 122/8 | 401      | 50    |
| 2 | 122/8 | 403      | 34    |
| 2 | 122/8 | 404      | 43    |
| 2 | 122/8 | 47 / 580 | 42    |
| 2 | 122/8 | 269/ 581 | 45    |
| 2 | 122/8 | 269/ 582 | 52    |
| 2 | 122/8 | 269/ 583 | 55    |
| 2 | 122/8 | 269/ 584 | 52    |
| 2 | 122/8 | 47/ 598  | 62    |
| 2 | 122/8 | 392/ 601 | 35    |
|   |       | 742      | 88365 |

### निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | संपत्ति का विवरण |
|-------|------------------|
| 1     | 2                |
| 270   | मकान कच्चा-5     |
| 92/3  | मकान कच्चा       |
| 116/2 | मकान कच्चा       |
| 116/3 | मकान कच्चा       |
| 116/4 | मकान कच्चा       |
| 116/5 | मकान कच्चा       |

## शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | मद    | संपत्ति का विवरण          |
|-------|-------|---------------------------|
| 1     | 2     | 3                         |
| 269   | चरनोई | कच्चा टप्पर-18            |
| 272/1 | चरनोई | कच्चा टप्पर-18            |
| 299/1 | चरनोई | कच्चा टप्पर-35            |
| 281   | चरनोई | पाईपलाईन-100, पम्पहाउस-49 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1-कलेक्टर जिला-खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)  
कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन

क्रमांक/289/भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 4 मार्च, 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

## //अनुसूची//

(1) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

जिला : खरगोन

तहसील : बड़वाह

ग्राम का नाम : मर्दाना

लगभग क्षेत्रफल : 84,774 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा वर्ग मीटर में |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1           | 2         | 3               | 4                         |
| 1           | 240,242   | 1               | 115                       |
| 1           | 240,242   | 2               | 80                        |
| 1           | 240,242   | 3               | 35                        |
| 1           | 240,242   | 4               | 26                        |
| 1           | 240,242   | 5               | 36                        |
| 1           | 240,242   | 7               | 145                       |
| 1           | 240,242   | 8               | 106                       |
| 1           | 240,242   | 9               | 66                        |
| 1           | 240,242   | 10              | 43                        |
| 1           | 240,242   | 13              | 200                       |
| 1           | 240,242   | 15              | 210                       |
| 1           | 240,242   | 16              | 38                        |
| 1           | 240,242   | 18              | 145                       |

|   |         |    |     |
|---|---------|----|-----|
| 1 | 240,242 | 19 | 278 |
| 1 | 240,242 | 20 | 106 |
| 1 | 240,242 | 22 | 182 |
| 1 | 240,242 | 23 | 550 |
| 1 | 240,242 | 25 | 885 |
| 1 | 240,242 | 26 | 370 |
| 1 | 240,242 | 27 | 40  |
| 1 | 240,242 | 28 | 59  |
| 1 | 240,242 | 29 | 30  |
| 1 | 240,242 | 30 | 548 |
| 1 | 240,242 | 32 | 62  |
| 1 | 240,242 | 33 | 51  |
| 1 | 240,242 | 34 | 42  |
| 1 | 240,242 | 35 | 112 |
| 1 | 240,242 | 36 | 200 |
| 1 | 240,242 | 37 | 146 |
| 1 | 240,242 | 38 | 180 |
| 1 | 240,242 | 39 | 35  |
| 1 | 240,242 | 40 | 92  |
| 1 | 240,242 | 41 | 137 |
| 1 | 240,242 | 42 | 135 |
| 1 | 240,242 | 43 | 175 |
| 1 | 240,242 | 44 | 170 |
| 1 | 240,242 | 45 | 50  |
| 1 | 240,242 | 46 | 160 |
| 1 | 240,242 | 47 | 27  |
| 1 | 240,242 | 48 | 185 |
| 1 | 240,242 | 49 | 185 |
| 1 | 240,242 | 50 | 185 |
| 1 | 240,242 | 51 | 38  |
| 1 | 240,242 | 52 | 60  |
| 1 | 240,242 | 53 | 110 |
| 1 | 240,242 | 54 | 87  |
| 1 | 240,242 | 55 | 87  |
| 1 | 240,242 | 56 | 44  |



|   |         |    |     |
|---|---------|----|-----|
| 1 | 240,242 | 57 | 88  |
| 1 | 240,242 | 58 | 240 |
| 1 | 240,242 | 59 | 550 |
| 1 | 240,242 | 60 | 126 |
| 1 | 240,242 | 61 | 126 |
| 1 | 240,242 | 62 | 130 |
| 1 | 240,242 | 63 | 190 |
| 1 | 240,242 | 64 | 225 |
| 1 | 240,242 | 65 | 96  |
| 1 | 240,242 | 66 | 90  |
| 1 | 240,242 | 67 | 130 |
| 1 | 240,242 | 68 | 130 |
| 1 | 240,242 | 69 | 125 |
| 1 | 240,242 | 70 | 47  |
| 1 | 240,242 | 71 | 41  |
| 1 | 240,242 | 72 | 40  |
| 1 | 240,242 | 73 | 55  |
| 1 | 240,242 | 74 | 280 |
| 1 | 240,242 | 75 | 90  |
| 1 | 240,242 | 76 | 260 |
| 1 | 240,242 | 77 | 60  |
| 1 | 240,242 | 78 | 60  |
| 1 | 240,242 | 79 | 80  |
| 1 | 240,242 | 80 | 40  |
| 1 | 240,242 | 82 | 22  |
| 1 | 240,242 | 83 | 396 |
| 1 | 240,242 | 84 | 106 |
| 1 | 240,242 | 85 | 82  |
| 1 | 240,242 | 86 | 48  |
| 1 | 240,242 | 87 | 355 |
| 1 | 240,242 | 88 | 225 |
| 1 | 240,242 | 89 | 35  |
| 1 | 240,242 | 90 | 102 |
| 1 | 240,242 | 91 | 172 |
| 1 | 240,242 | 92 | 130 |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 1 | 240,242 | 93  | 102 |
| 1 | 240,242 | 94  | 97  |
| 1 | 240,242 | 95  | 90  |
| 1 | 240,242 | 96  | 180 |
| 1 | 240,242 | 97  | 133 |
| 1 | 240,242 | 98  | 72  |
| 1 | 240,242 | 99  | 380 |
| 1 | 240,242 | 100 | 138 |
| 1 | 240,242 | 101 | 52  |
| 1 | 240,242 | 102 | 60  |
| 1 | 240,242 | 103 | 105 |
| 1 | 240,242 | 104 | 50  |
| 1 | 240,242 | 105 | 23  |
| 1 | 240,242 | 106 | 36  |
| 1 | 240,242 | 107 | 21  |
| 1 | 240,242 | 108 | 21  |
| 1 | 240,242 | 109 | 23  |
| 1 | 240,242 | 110 | 72  |
| 1 | 240,242 | 112 | 55  |
| 1 | 240,242 | 113 | 90  |
| 1 | 240,242 | 114 | 110 |
| 1 | 240,242 | 115 | 150 |
| 1 | 240,242 | 116 | 63  |
| 1 | 240,242 | 117 | 198 |
| 1 | 240,242 | 118 | 140 |
| 1 | 240,242 | 119 | 74  |
| 1 | 240,242 | 120 | 74  |
| 1 | 240,242 | 121 | 63  |
| 1 | 240,242 | 122 | 60  |
| 1 | 240,242 | 123 | 95  |
| 1 | 240,242 | 125 | 42  |
| 1 | 240,242 | 126 | 76  |
| 1 | 240,242 | 127 | 110 |
| 1 | 240,242 | 128 | 94  |
| 1 | 240,242 | 129 | 140 |

|   |              |     |     |
|---|--------------|-----|-----|
| 1 | 240,242      | 130 | 125 |
| 1 | 240,242      | 131 | 141 |
| 1 | 240,242      | 132 | 45  |
| 1 | 240,242      | 133 | 85  |
| 1 | 240,242      | 135 | 35  |
| 1 | 240,242      | 136 | 33  |
| 1 | 240,242      | 137 | 33  |
| 1 | 240,242      | 138 | 86  |
| 1 | 240,242      | 140 | 33  |
| 1 | 240,242      | 141 | 167 |
| 1 | 240,242, 243 | 142 | 20  |
| 1 | 243,244      | 143 | 105 |
| 1 | 240,242      | 145 | 75  |
| 1 | 240,242      | 146 | 21  |
| 1 | 240,242      | 147 | 54  |
| 1 | 240,242      | 148 | 31  |
| 1 | 240,242      | 149 | 31  |
| 1 | 240,242      | 150 | 52  |
| 1 | 240,242      | 151 | 31  |
| 1 | 240,242      | 152 | 31  |
| 1 | 240,242      | 153 | 70  |
| 1 | 240,242      | 154 | 40  |
| 1 | 240,242      | 155 | 315 |
| 1 | 240,242      | 158 | 27  |
| 1 | 240,242      | 159 | 41  |
| 1 | 240,242      | 160 | 94  |
| 1 | 240,242      | 161 | 50  |
| 1 | 240,242      | 162 | 124 |
| 1 | 240,242      | 163 | 40  |
| 1 | 240,242      | 164 | 225 |
| 1 | 240,242      | 165 | 237 |
| 1 | 240,242      | 166 | 173 |
| 1 | 240,242      | 167 | 75  |
| 1 | 240,242      | 168 | 75  |
| 1 | 240,242      | 169 | 75  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 1 | 240,242 | 170 | 44  |
| 1 | 240,242 | 171 | 52  |
| 1 | 240,242 | 173 | 142 |
| 1 | 240,242 | 174 | 150 |
| 1 | 240,242 | 175 | 250 |
| 1 | 240,242 | 176 | 265 |
| 1 | 240,242 | 177 | 108 |
| 1 | 240,242 | 178 | 115 |
| 1 | 240,242 | 179 | 270 |
| 1 | 240,242 | 180 | 80  |
| 1 | 240,242 | 181 | 80  |
| 1 | 240,242 | 182 | 80  |
| 1 | 240,242 | 183 | 80  |
| 1 | 240,242 | 184 | 50  |
| 1 | 240,242 | 185 | 65  |
| 1 | 240,242 | 186 | 67  |
| 1 | 240,242 | 187 | 67  |
| 1 | 240,242 | 188 | 140 |
| 1 | 240,242 | 189 | 70  |
| 1 | 240,242 | 190 | 105 |
| 1 | 240,242 | 191 | 115 |
| 1 | 240,242 | 192 | 139 |
| 1 | 240,242 | 193 | 11  |
| 1 | 240,242 | 194 | 45  |
| 1 | 240,242 | 195 | 60  |
| 1 | 240,242 | 196 | 107 |
| 1 | 240,242 | 197 | 60  |
| 1 | 240,242 | 198 | 78  |
| 1 | 240,242 | 199 | 73  |
| 1 | 240,242 | 200 | 100 |
| 1 | 240,242 | 201 | 74  |
| 1 | 240,242 | 202 | 50  |
| 1 | 240,242 | 203 | 18  |
| 1 | 240,242 | 204 | 42  |
| 1 | 240,242 | 205 | 40  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 1 | 240,242 | 206 | 44  |
| 1 | 240,242 | 207 | 85  |
| 1 | 240,242 | 209 | 48  |
| 1 | 240,242 | 210 | 36  |
| 1 | 240,242 | 211 | 310 |
| 1 | 240,242 | 212 | 178 |
| 1 | 240,242 | 213 | 76  |
| 1 | 240,242 | 214 | 220 |
| 1 | 240,242 | 215 | 132 |
| 1 | 240,242 | 216 | 43  |
| 1 | 240,242 | 217 | 78  |
| 1 | 240,242 | 218 | 364 |
| 1 | 240,242 | 219 | 47  |
| 1 | 240,242 | 220 | 40  |
| 1 | 240,242 | 221 | 100 |
| 1 | 240,242 | 222 | 51  |
| 1 | 240,242 | 223 | 125 |
| 1 | 240,242 | 226 | 823 |
| 1 | 240,242 | 227 | 93  |
| 1 | 240,242 | 228 | 30  |
| 1 | 240,242 | 229 | 19  |
| 1 | 240,242 | 230 | 41  |
| 1 | 240,242 | 231 | 70  |
| 1 | 240,242 | 233 | 25  |
| 1 | 240,242 | 235 | 35  |
| 1 | 240,242 | 236 | 25  |
| 1 | 240,242 | 237 | 78  |
| 1 | 240,242 | 238 | 21  |
| 1 | 240,242 | 239 | 42  |
| 1 | 240,242 | 240 | 45  |
| 1 | 240,242 | 241 | 50  |
| 1 | 240,242 | 242 | 57  |
| 1 | 240,242 | 243 | 47  |
| 1 | 240,242 | 244 | 70  |
| 1 | 240,242 | 245 | 106 |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 1 | 240,242 | 246 | 61  |
| 1 | 240,242 | 247 | 195 |
| 1 | 240,242 | 248 | 66  |
| 1 | 240,242 | 249 | 102 |
| 1 | 240,242 | 250 | 59  |
| 1 | 240,242 | 251 | 117 |
| 1 | 240,242 | 252 | 60  |
| 1 | 240,242 | 253 | 75  |
| 1 | 240,242 | 254 | 85  |
| 1 | 240,242 | 256 | 132 |
| 1 | 240,242 | 257 | 100 |
| 1 | 240,242 | 258 | 160 |
| 1 | 240,242 | 259 | 160 |
| 1 | 240,242 | 260 | 123 |
| 1 | 240,242 | 262 | 35  |
| 1 | 240,242 | 263 | 45  |
| 1 | 240,242 | 264 | 35  |
| 1 | 240,242 | 265 | 12  |
| 1 | 240,242 | 266 | 45  |
| 1 | 240,242 | 267 | 32  |
| 1 | 240,242 | 268 | 67  |
| 1 | 240,242 | 270 | 24  |
| 2 | 240,242 | 271 | 54  |
| 2 | 240,242 | 272 | 33  |
| 2 | 240,242 | 273 | 85  |
| 2 | 240,242 | 274 | 85  |
| 2 | 240,242 | 275 | 80  |
| 2 | 240,242 | 276 | 55  |
| 2 | 240,242 | 277 | 55  |
| 2 | 240,242 | 278 | 75  |
| 2 | 240,242 | 279 | 21  |
| 2 | 240,242 | 280 | 21  |
| 2 | 240,242 | 281 | 42  |
| 2 | 240,242 | 282 | 127 |
| 2 | 240,242 | 284 | 15  |

|   |         |     |    |
|---|---------|-----|----|
| 2 | 240,242 | 285 | 19 |
| 2 | 240,242 | 287 | 38 |
| 2 | 240,242 | 288 | 43 |
| 2 | 240,242 | 289 | 76 |
| 2 | 240,242 | 290 | 65 |
| 2 | 240,242 | 291 | 65 |
| 2 | 240,242 | 292 | 35 |
| 2 | 240,242 | 293 | 35 |
| 2 | 240,242 | 294 | 12 |
| 2 | 240,242 | 296 | 50 |
| 2 | 240,242 | 297 | 83 |
| 2 | 240,242 | 298 | 50 |
| 2 | 240,242 | 299 | 24 |
| 2 | 240,242 | 300 | 25 |
| 2 | 240,242 | 301 | 48 |
| 2 | 240,242 | 302 | 75 |
| 2 | 240,242 | 303 | 35 |
| 2 | 240,242 | 304 | 35 |
| 2 | 240,242 | 305 | 35 |
| 2 | 240,242 | 306 | 45 |
| 2 | 240,242 | 307 | 45 |
| 2 | 240,242 | 308 | 21 |
| 2 | 240,242 | 309 | 34 |
| 2 | 240,242 | 310 | 23 |
| 2 | 240,242 | 311 | 30 |
| 2 | 240,242 | 312 | 30 |
| 2 | 240,242 | 313 | 20 |
| 2 | 240,242 | 314 | 31 |
| 2 | 240,242 | 315 | 31 |
| 2 | 240,242 | 316 | 29 |
| 2 | 240,242 | 317 | 29 |
| 2 | 240,242 | 318 | 36 |
| 2 | 240,242 | 319 | 40 |
| 2 | 240,242 | 320 | 38 |
| 2 | 240,242 | 321 | 50 |

|   |          |     |      |
|---|----------|-----|------|
| 2 | 240,242  | 323 | 23   |
| 2 | 240,242  | 324 | 30   |
| 2 | 240,242  | 325 | 27   |
| 2 | 240,242  | 326 | 116  |
| 2 | 240,242  | 327 | 52   |
| 2 | 240,242  | 328 | 52   |
| 2 | 240,242  | 329 | 67   |
| 2 | 240,242  | 330 | 212  |
| 2 | 240,242  | 331 | 88   |
| 2 | 240,242  | 332 | 140  |
| 2 | 240,242  | 333 | 111  |
| 2 | 240,242  | 334 | 122  |
| 2 | 240,242  | 335 | 115  |
| 2 | 240,242  | 336 | 104  |
| 2 | 240,242  | 337 | 195  |
| 2 | 240,242  | 338 | 67   |
| 2 | 240,242  | 339 | 68   |
| 2 | 240,242  | 340 | 51   |
| 2 | 240,242  | 341 | 57   |
| 2 | 240,242  | 342 | 51   |
| 2 | 240,242  | 343 | 55   |
| 2 | 240,242  | 344 | 32   |
| 2 | 240,242, | 345 | 270  |
| 2 | 240,242  | 346 | 65   |
| 2 | 240,242  | 347 | 137  |
| 2 | 240,242  | 348 | 52   |
| 2 | 240,242, | 349 | 200  |
| 2 | 240,242  | 350 | 51   |
| 2 | 240,242  | 351 | 98   |
| 2 | 240,242  | 352 | 1472 |
| 2 | 240,242  | 353 | 188  |
| 2 | 240,242  | 354 | 98   |
| 2 | 240,242  | 355 | 98   |
| 2 | 240,242  | 356 | 256  |
| 2 | 240,242  | 357 | 138  |



|   |          |     |      |
|---|----------|-----|------|
| 2 | 240,242  | 358 | 152  |
| 2 | 240,242  | 359 | 147  |
| 2 | 240,242  | 360 | 120  |
| 2 | 240,242  | 361 | 75   |
| 2 | 240,242  | 362 | 57   |
| 2 | 240,242  | 363 | 67   |
| 2 | 244      | 365 | 160  |
| 2 | 240,242  | 366 | 120  |
| 2 | 240,242  | 367 | 40   |
| 2 | 240,242  | 368 | 105  |
| 2 | 240,242  | 369 | 61   |
| 2 | 240,242  | 370 | 42   |
| 2 | 240,242  | 371 | 110  |
| 2 | 240,242  | 372 | 115  |
| 2 | 240,242  | 373 | 115  |
| 2 | 240,242  | 374 | 60   |
| 2 | 240,242  | 375 | 60   |
| 2 | 240,242, | 376 | 64   |
| 2 | 240,242, | 377 | 260  |
| 2 | 240,242  | 378 | 125  |
| 2 | 240,242  | 379 | 335  |
| 2 | 240,242  | 380 | 56   |
| 2 | 240,242  | 381 | 77   |
| 2 | 240,242  | 382 | 130  |
| 2 | 240,242  | 383 | 135  |
| 2 | 240,242  | 384 | 63   |
| 2 | 240,242  | 385 | 55   |
| 2 | 240,242  | 386 | 55   |
| 2 | 240,242  | 387 | 73   |
| 2 | 240,242  | 389 | 170  |
| 2 | 240,242  | 390 | 95   |
| 2 | 240,242  | 392 | 215  |
| 2 | 240,242  | 393 | 155  |
| 2 | 240,242  | 394 | 240  |
| 2 | 240,242  | 395 | 1015 |

|   |          |     |     |
|---|----------|-----|-----|
| 2 | 240,242  | 398 | 221 |
| 2 | 240,242, | 399 | 106 |
| 2 | 240,242  | 400 | 89  |
| 2 | 240,242  | 401 | 156 |
| 2 | 240,242  | 403 | 248 |
| 2 | 240,242  | 405 | 250 |
| 2 | 240,242  | 406 | 61  |
| 2 | 240,242  | 407 | 62  |
| 2 | 240,242  | 408 | 85  |
| 2 | 240,242  | 409 | 92  |
| 2 | 240,242  | 410 | 66  |
| 2 | 240,242  | 411 | 90  |
| 2 | 240,242  | 413 | 41  |
| 2 | 240,242  | 415 | 126 |
| 2 | 240,242  | 416 | 109 |
| 2 | 240,242  | 417 | 183 |
| 2 | 240,242  | 418 | 78  |
| 2 | 240,242  | 419 | 137 |
| 2 | 240,242  | 420 | 58  |
| 2 | 240,242  | 421 | 100 |
| 2 | 240,242  | 422 | 134 |
| 2 | 240,242  | 423 | 90  |
| 2 | 240,242  | 424 | 56  |
| 2 | 240,242  | 426 | 60  |
| 2 | 240,242  | 427 | 435 |
| 2 | 240,242  | 428 | 82  |
| 2 | 240,242  | 429 | 29  |
| 2 | 240,242  | 430 | 58  |
| 2 | 240,242  | 431 | 55  |
| 2 | 240,242  | 432 | 350 |
| 2 | 240,242  | 434 | 24  |
| 2 | 240,242  | 435 | 63  |
| 2 | 240,242  | 436 | 80  |
| 2 | 240,242  | 437 | 91  |
| 2 | 240,242  | 438 | 51  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 439 | 130 |
| 2 | 240,242 | 440 | 167 |
| 2 | 240,242 | 441 | 366 |
| 2 | 240,242 | 442 | 84  |
| 2 | 240,242 | 443 | 76  |
| 2 | 240,242 | 444 | 395 |
| 2 | 240,242 | 446 | 360 |
| 2 | 240,242 | 447 | 130 |
| 2 | 240,242 | 448 | 118 |
| 2 | 240,242 | 449 | 31  |
| 2 | 240,242 | 450 | 198 |
| 2 | 240,242 | 451 | 95  |
| 2 | 240,242 | 452 | 186 |
| 2 | 240,242 | 453 | 122 |
| 2 | 240,242 | 454 | 182 |
| 2 | 240,242 | 455 | 70  |
| 2 | 240,242 | 457 | 16  |
| 2 | 240,242 | 458 | 128 |
| 2 | 240,242 | 459 | 135 |
| 2 | 240,242 | 460 | 75  |
| 2 | 240,242 | 461 | 133 |
| 2 | 240,242 | 463 | 55  |
| 2 | 240,242 | 464 | 107 |
| 2 | 240,242 | 465 | 108 |
| 2 | 240,242 | 466 | 124 |
| 2 | 240,242 | 467 | 145 |
| 2 | 240,242 | 468 | 107 |
| 2 | 240,242 | 469 | 102 |
| 2 | 240,242 | 470 | 201 |
| 2 | 240,242 | 471 | 226 |
| 2 | 240,242 | 472 | 258 |
| 2 | 240,242 | 473 | 76  |
| 2 | 240,242 | 474 | 94  |
| 2 | 240,242 | 475 | 487 |
| 2 | 240,242 | 476 | 60  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 477 | 157 |
| 2 | 240,242 | 478 | 85  |
| 2 | 240,242 | 480 | 109 |
| 2 | 240,242 | 481 | 130 |
| 2 | 240,242 | 482 | 80  |
| 2 | 240,242 | 483 | 100 |
| 2 | 240,242 | 484 | 95  |
| 2 | 240,242 | 485 | 90  |
| 2 | 240,242 | 486 | 95  |
| 2 | 240,242 | 487 | 59  |
| 2 | 240,242 | 488 | 81  |
| 2 | 240,242 | 490 | 42  |
| 2 | 240,242 | 491 | 133 |
| 2 | 240,242 | 492 | 75  |
| 2 | 240,242 | 493 | 67  |
| 2 | 240,242 | 494 | 73  |
| 2 | 240,242 | 495 | 37  |
| 2 | 240,242 | 496 | 54  |
| 2 | 240,242 | 497 | 207 |
| 2 | 240,242 | 498 | 143 |
| 2 | 240,242 | 499 | 250 |
| 2 | 240,242 | 500 | 134 |
| 2 | 240,242 | 501 | 40  |
| 2 | 240,242 | 502 | 45  |
| 2 | 240,242 | 503 | 110 |
| 2 | 240,242 | 504 | 18  |
| 2 | 240,242 | 505 | 89  |
| 2 | 240,242 | 506 | 170 |
| 2 | 240,242 | 507 | 150 |
| 2 | 240,242 | 508 | 59  |
| 2 | 240,242 | 509 | 72  |
| 2 | 240,242 | 510 | 132 |
| 2 | 240,242 | 511 | 115 |
| 2 | 240,242 | 512 | 90  |
| 2 | 240,242 | 513 | 125 |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 514 | 111 |
| 2 | 240,242 | 515 | 88  |
| 2 | 240,242 | 516 | 203 |
| 2 | 240,242 | 517 | 92  |
| 2 | 240,242 | 518 | 80  |
| 2 | 240,242 | 519 | 147 |
| 2 | 240,242 | 520 | 93  |
| 2 | 240,242 | 521 | 93  |
| 2 | 240,242 | 525 | 35  |
| 2 | 240,242 | 526 | 54  |
| 2 | 240,242 | 527 | 66  |
| 2 | 240,242 | 528 | 66  |
| 2 | 240,242 | 529 | 33  |
| 2 | 240,242 | 530 | 40  |
| 2 | 240,242 | 531 | 41  |
| 2 | 240,242 | 532 | 96  |
| 2 | 240,242 | 533 | 60  |
| 2 | 240,242 | 534 | 75  |
| 2 | 240,242 | 535 | 65  |
| 2 | 240,242 | 536 | 32  |
| 2 | 240,242 | 537 | 28  |
| 2 | 240,242 | 538 | 35  |
| 2 | 240,242 | 539 | 98  |
| 2 | 240,242 | 540 | 38  |
| 2 | 240,242 | 541 | 43  |
| 2 | 240,242 | 542 | 51  |
| 2 | 240,242 | 543 | 75  |
| 2 | 240,242 | 544 | 37  |
| 2 | 240,242 | 546 | 18  |
| 2 | 240,242 | 547 | 14  |
| 2 | 240,242 | 548 | 25  |
| 2 | 240,242 | 549 | 20  |
| 2 | 240,242 | 550 | 57  |
| 2 | 240,242 | 551 | 38  |
| 2 | 240,242 | 552 | 40  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 553 | 20  |
| 2 | 240,242 | 554 | 12  |
| 2 | 240,242 | 555 | 18  |
| 2 | 240,242 | 556 | 33  |
| 2 | 240,242 | 557 | 41  |
| 2 | 240,242 | 558 | 80  |
| 2 | 240,242 | 559 | 60  |
| 2 | 240,242 | 560 | 65  |
| 2 | 240,242 | 561 | 12  |
| 2 | 240,242 | 562 | 13  |
| 2 | 240,242 | 563 | 13  |
| 2 | 240,242 | 564 | 51  |
| 2 | 240,242 | 565 | 126 |
| 2 | 240,242 | 566 | 40  |
| 2 | 240,242 | 567 | 7   |
| 2 | 240,242 | 568 | 105 |
| 2 | 240,242 | 569 | 150 |
| 2 | 240,242 | 571 | 29  |
| 2 | 240,242 | 572 | 90  |
| 2 | 240,242 | 573 | 29  |
| 2 | 240,242 | 574 | 63  |
| 2 | 240,242 | 576 | 78  |
| 2 | 240,242 | 577 | 82  |
| 2 | 240,242 | 578 | 93  |
| 2 | 240,242 | 579 | 81  |
| 2 | 240,242 | 580 | 33  |
| 2 | 240,242 | 581 | 30  |
| 2 | 240,242 | 582 | 27  |
| 2 | 240,242 | 583 | 39  |
| 2 | 240,242 | 584 | 28  |
| 2 | 240,242 | 585 | 66  |
| 2 | 240,242 | 586 | 75  |
| 2 | 240,242 | 588 | 155 |
| 2 | 240,242 | 589 | 93  |
| 2 | 240,242 | 590 | 40  |

|   |              |     |     |
|---|--------------|-----|-----|
| 2 | 240,242      | 591 | 35  |
| 2 | 240,242      | 592 | 60  |
| 2 | 240,242      | 593 | 112 |
| 2 | 240,242      | 594 | 66  |
| 2 | 240,242      | 595 | 133 |
| 2 | 240,242      | 596 | 19  |
| 2 | 240,242      | 597 | 25  |
| 2 | 240,242      | 598 | 28  |
| 2 | 240,242      | 599 | 28  |
| 2 | 240,242      | 600 | 56  |
| 2 | 240,242      | 602 | 108 |
| 2 | 240,242      | 603 | 38  |
| 2 | 240,242, 245 | 604 | 365 |
| 2 | 240,242      | 605 | 95  |
| 2 | 240,242      | 606 | 95  |
| 2 | 240,242      | 607 | 280 |
| 2 | 240,242      | 608 | 159 |
| 2 | 240,242      | 609 | 117 |
| 2 | 240,242      | 610 | 70  |
| 2 | 240,242      | 611 | 90  |
| 2 | 240,242      | 612 | 98  |
| 2 | 240,242      | 613 | 95  |
| 2 | 240,242      | 614 | 134 |
| 2 | 240,242      | 615 | 42  |
| 2 | 240,242      | 616 | 136 |
| 2 | 240,242      | 617 | 120 |
| 2 | 240,242      | 618 | 95  |
| 2 | 240,242      | 619 | 35  |
| 2 | 240,242      | 620 | 78  |
| 2 | 240,242      | 621 | 37  |
| 2 | 240,242      | 622 | 68  |
| 2 | 240,242      | 623 | 126 |
| 2 | 240,242      | 624 | 18  |
| 2 | 240,242      | 625 | 19  |
| 2 | 240,242      | 626 | 24  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 627 | 30  |
| 2 | 240,242 | 628 | 48  |
| 2 | 240,242 | 630 | 80  |
| 2 | 240,242 | 631 | 179 |
| 2 | 240,242 | 633 | 55  |
| 2 | 240,242 | 634 | 46  |
| 2 | 240,242 | 635 | 46  |
| 2 | 240,242 | 636 | 25  |
| 2 | 240,242 | 637 | 22  |
| 2 | 240,242 | 639 | 72  |
| 2 | 240,242 | 640 | 40  |
| 2 | 240,242 | 641 | 36  |
| 2 | 240,242 | 643 | 101 |
| 2 | 240,242 | 644 | 24  |
| 2 | 240,242 | 645 | 24  |
| 2 | 240,242 | 646 | 175 |
| 2 | 240,242 | 650 | 70  |
| 2 | 240,242 | 651 | 130 |
| 2 | 240,242 | 652 | 15  |
| 2 | 240,242 | 653 | 15  |
| 2 | 240,242 | 654 | 44  |
| 2 | 240,242 | 655 | 125 |
| 2 | 240,242 | 656 | 39  |
| 2 | 240,242 | 657 | 23  |
| 2 | 240,242 | 658 | 29  |
| 2 | 240,242 | 659 | 27  |
| 2 | 240,242 | 661 | 110 |
| 2 | 240,242 | 663 | 65  |
| 2 | 240,242 | 664 | 36  |
| 2 | 240,242 | 665 | 10  |
| 2 | 240,242 | 666 | 17  |
| 2 | 240,242 | 667 | 40  |
| 2 | 240,242 | 668 | 43  |
| 2 | 240,242 | 669 | 25  |
| 2 | 240,242 | 670 | 12  |



|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 671 | 23  |
| 2 | 240,242 | 672 | 30  |
| 2 | 240,242 | 673 | 33  |
| 2 | 240,242 | 674 | 80  |
| 2 | 240,242 | 675 | 25  |
| 2 | 240,242 | 676 | 31  |
| 2 | 240,242 | 677 | 30  |
| 2 | 240,242 | 678 | 80  |
| 2 | 240,242 | 679 | 50  |
| 2 | 240,242 | 680 | 58  |
| 2 | 240,242 | 681 | 70  |
| 2 | 240,242 | 682 | 25  |
| 2 | 240,242 | 683 | 31  |
| 2 | 240,242 | 685 | 75  |
| 2 | 240,242 | 686 | 54  |
| 2 | 240,242 | 687 | 10  |
| 2 | 240,242 | 688 | 20  |
| 2 | 240,242 | 689 | 38  |
| 2 | 240,242 | 690 | 89  |
| 2 | 240,242 | 692 | 34  |
| 2 | 240,242 | 693 | 31  |
| 2 | 240,242 | 694 | 13  |
| 2 | 240,242 | 695 | 45  |
| 2 | 240,242 | 696 | 37  |
| 2 | 240,242 | 697 | 14  |
| 2 | 240,242 | 698 | 10  |
| 2 | 240,242 | 699 | 10  |
| 2 | 240,242 | 700 | 24  |
| 2 | 240,242 | 701 | 40  |
| 2 | 240,242 | 702 | 46  |
| 2 | 240,242 | 703 | 20  |
| 2 | 240,242 | 704 | 46  |
| 2 | 240,242 | 705 | 100 |
| 2 | 240,242 | 706 | 32  |
| 2 | 240,242 | 707 | 41  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 708 | 20  |
| 2 | 240,242 | 709 | 48  |
| 2 | 240,242 | 710 | 36  |
| 2 | 240,242 | 711 | 27  |
| 2 | 240,242 | 712 | 50  |
| 2 | 240,242 | 713 | 23  |
| 2 | 240,242 | 714 | 24  |
| 2 | 240,242 | 715 | 9   |
| 2 | 240,242 | 716 | 9   |
| 2 | 240,242 | 717 | 20  |
| 2 | 240,242 | 718 | 40  |
| 2 | 240,242 | 719 | 42  |
| 2 | 240,242 | 720 | 12  |
| 2 | 240,242 | 721 | 80  |
| 2 | 240,242 | 722 | 38  |
| 2 | 240,242 | 723 | 38  |
| 2 | 240,242 | 724 | 34  |
| 2 | 240,242 | 725 | 40  |
| 2 | 240,242 | 727 | 38  |
| 2 | 240,242 | 730 | 130 |
| 2 | 240,242 | 732 | 90  |
| 2 | 240,242 | 733 | 65  |
| 2 | 240,242 | 734 | 46  |
| 2 | 240,242 | 735 | 55  |
| 2 | 240,242 | 736 | 23  |
| 2 | 240,242 | 737 | 22  |
| 2 | 240,242 | 739 | 69  |
| 2 | 240,242 | 740 | 30  |
| 2 | 240,242 | 741 | 55  |
| 2 | 240,242 | 742 | 30  |
| 2 | 240,242 | 743 | 37  |
| 2 | 240,242 | 744 | 22  |
| 2 | 240,242 | 745 | 58  |
| 2 | 240,242 | 746 | 52  |
| 2 | 240,242 | 747 | 65  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 749 | 75  |
| 2 | 240,242 | 750 | 50  |
| 2 | 240,242 | 751 | 53  |
| 2 | 240,242 | 752 | 68  |
| 2 | 240,242 | 753 | 85  |
| 2 | 240,242 | 754 | 67  |
| 2 | 240,242 | 755 | 20  |
| 2 | 240,242 | 756 | 32  |
| 2 | 240,242 | 757 | 14  |
| 2 | 240,242 | 758 | 29  |
| 2 | 240,242 | 759 | 19  |
| 2 | 240,242 | 760 | 24  |
| 2 | 240,242 | 761 | 20  |
| 2 | 240,242 | 762 | 80  |
| 2 | 240,242 | 763 | 80  |
| 2 | 240,242 | 764 | 17  |
| 2 | 240,242 | 765 | 40  |
| 2 | 240,242 | 766 | 108 |
| 2 | 240,242 | 767 | 430 |
| 2 | 240,242 | 768 | 46  |
| 2 | 240,242 | 769 | 50  |
| 2 | 240,242 | 770 | 29  |
| 2 | 240,242 | 772 | 140 |
| 2 | 240,242 | 773 | 356 |
| 2 | 240,242 | 774 | 58  |
| 2 | 240,242 | 775 | 120 |
| 2 | 240,242 | 776 | 108 |
| 2 | 240,242 | 777 | 31  |
| 2 | 240,242 | 778 | 165 |
| 2 | 240,242 | 779 | 110 |
| 2 | 240,242 | 780 | 258 |
| 2 | 240,242 | 781 | 81  |
| 2 | 240,242 | 782 | 65  |
| 2 | 240,242 | 783 | 56  |
| 2 | 240,242 | 784 | 35  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 2 | 240,242 | 785 | 56  |
| 2 | 240,242 | 786 | 69  |
| 2 | 240,242 | 787 | 66  |
| 2 | 240,242 | 788 | 55  |
| 2 | 240,242 | 789 | 40  |
| 2 | 240,242 | 790 | 45  |
| 2 | 240,242 | 791 | 270 |
| 3 | 240,242 | 792 | 108 |
| 3 | 240,242 | 793 | 90  |
| 3 | 240,242 | 794 | 80  |
| 3 | 240,242 | 795 | 86  |
| 3 | 240,242 | 796 | 60  |
| 3 | 240,242 | 797 | 325 |
| 3 | 240,242 | 800 | 120 |
| 3 | 240,242 | 801 | 135 |
| 3 | 240,242 | 802 | 78  |
| 3 | 240,242 | 803 | 73  |
| 3 | 240,242 | 804 | 95  |
| 3 | 240,242 | 805 | 76  |
| 3 | 240,242 | 806 | 55  |
| 3 | 240,242 | 807 | 107 |
| 3 | 240,242 | 808 | 131 |
| 3 | 240,242 | 809 | 66  |
| 3 | 240,242 | 812 | 220 |
| 3 | 240,242 | 813 | 30  |
| 3 | 240,242 | 814 | 113 |
| 3 | 240,242 | 815 | 15  |
| 3 | 240,242 | 816 | 26  |
| 3 | 240,242 | 817 | 26  |
| 3 | 240,242 | 818 | 262 |
| 3 | 240,242 | 819 | 90  |
| 3 | 240,242 | 820 | 245 |
| 3 | 240,242 | 821 | 73  |
| 3 | 240,242 | 822 | 174 |
| 3 | 240,242 | 827 | 42  |

|   |         |          |     |
|---|---------|----------|-----|
| 3 | 240,242 | 828      | 40  |
| 3 | 240,242 | 829      | 45  |
| 3 | 240,242 | 830      | 178 |
| 3 | 240,242 | 831      | 28  |
| 3 | 240,242 | 832      | 29  |
| 3 | 240,242 | 833 पैकी | 6   |
| 3 | 240,242 | 834      | 18  |
| 3 | 240,242 | 836      | 192 |
| 3 | 240,242 | 837      | 84  |
| 3 | 240,242 | 838      | 113 |
| 3 | 240,242 | 839      | 77  |
| 3 | 240,242 | 840      | 107 |
| 3 | 240,242 | 841      | 235 |
| 3 | 240,242 | 842      | 205 |
| 3 | 240,242 | 843      | 192 |
| 3 | 240,242 | 844      | 188 |
| 3 | 240,242 | 845      | 159 |
| 3 | 240,242 | 846      | 75  |
| 3 | 240,242 | 847      | 50  |
| 3 | 240,242 | 848      | 177 |
| 3 | 240,242 | 849      | 85  |
| 3 | 240,242 | 850      | 33  |
| 3 | 240,242 | 851      | 29  |
| 3 | 199     | 853      | 35  |
| 3 | 240,242 | 854      | 27  |
| 3 | 240,242 | 855      | 55  |
| 3 | 240,242 | 856      | 24  |
| 3 | 240,242 | 857      | 18  |
| 3 | 240,242 | 858      | 32  |
| 3 | 240,242 | 859      | 34  |
| 3 | 240,242 | 862      | 43  |
| 3 | 240,242 | 863      | 27  |
| 3 | 240,242 | 864      | 140 |
| 3 | 240,242 | 865      | 30  |
| 3 | 240,242 | 866      | 18  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 3 | 240,242 | 867 | 14  |
| 3 | 240,242 | 868 | 31  |
| 3 | 240,242 | 869 | 37  |
| 3 | 240,242 | 870 | 13  |
| 3 | 240,242 | 872 | 235 |
| 3 | 240,242 | 873 | 96  |
| 3 | 240,242 | 874 | 37  |
| 3 | 240,242 | 875 | 32  |
| 3 | 240,242 | 876 | 35  |
| 3 | 240,242 | 877 | 39  |
| 3 | 240,242 | 879 | 54  |
| 3 | 240,242 | 880 | 60  |
| 3 | 240,242 | 881 | 58  |
| 3 | 240,242 | 882 | 120 |
| 3 | 240,242 | 883 | 238 |
| 3 | 240,242 | 884 | 57  |
| 3 | 240,242 | 885 | 38  |
| 3 | 240,242 | 886 | 95  |
| 3 | 240,242 | 887 | 14  |
| 3 | 240,242 | 888 | 11  |
| 3 | 240,242 | 889 | 30  |
| 3 | 240,242 | 890 | 45  |
| 3 | 240,242 | 891 | 304 |
| 3 | 240,242 | 892 | 122 |
| 3 | 240,242 | 893 | 439 |
| 3 | 240,242 | 894 | 115 |
| 3 | 240,242 | 895 | 270 |
| 3 | 240,242 | 896 | 200 |
| 3 | 240,242 | 897 | 59  |
| 4 | 247 / 2 | 902 | 145 |
| 4 | 247 / 2 | 903 | 40  |
| 4 | 247 / 2 | 904 | 70  |
| 4 | 247 / 2 | 906 | 20  |
| 4 | 247 / 2 | 907 | 108 |
| 4 | 247 / 2 | 908 | 80  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| 4 | 247 / 2 | 909 | 165 |
| 4 | 247 / 2 | 910 | 118 |
| 4 | 247 / 2 | 912 | 61  |
| 4 | 247 / 2 | 913 | 77  |
| 4 | 247 / 2 | 914 | 100 |
| 4 | 247 / 2 | 916 | 96  |
| 4 | 247 / 2 | 917 | 52  |
| 4 | 247 / 2 | 918 | 65  |
| 4 | 247 / 2 | 919 | 65  |
| 4 | 247 / 2 | 920 | 141 |
| 4 | 247 / 2 | 921 | 126 |
| 4 | 247 / 2 | 922 | 124 |
| 4 | 247 / 2 | 925 | 47  |
| 4 | 247 / 2 | 926 | 30  |
| 4 | 247 / 2 | 927 | 11  |
| 4 | 247 / 2 | 928 | 110 |
| 4 | 247 / 2 | 929 | 45  |
| 4 | 247 / 2 | 931 | 70  |
| 4 | 247 / 2 | 932 | 73  |
| 4 | 247 / 2 | 933 | 57  |
| 4 | 247 / 2 | 934 | 46  |
| 4 | 247 / 2 | 935 | 302 |
| 4 | 247 / 2 | 936 | 52  |
| 4 | 247 / 2 | 937 | 50  |
| 4 | 247 / 2 | 938 | 182 |
| 4 | 247 / 2 | 939 | 151 |
| 4 | 247 / 2 | 940 | 406 |
| 4 | 247 / 2 | 942 | 322 |
| 4 | 247 / 2 | 943 | 65  |
| 4 | 247 / 2 | 944 | 55  |
| 4 | 247 / 2 | 945 | 55  |
| 4 | 247 / 2 | 946 | 151 |
| 4 | 247 / 2 | 947 | 93  |
| 4 | 247 / 2 | 948 | 95  |
| 4 | 247 / 2 | 950 | 215 |

|   |         |          |     |
|---|---------|----------|-----|
| 4 | 247 / 2 | 952      | 120 |
| 4 | 247 / 2 | 953      | 229 |
| 4 | 247 / 2 | 954      | 75  |
| 4 | 247 / 2 | 955      | 82  |
| 4 | 247 / 2 | 956      | 157 |
| 4 | 247 / 2 | 957      | 165 |
| 4 | 247 / 2 | 958      | 112 |
| 4 | 247 / 2 | 959      | 112 |
| 4 | 247 / 2 | 960      | 150 |
| 4 | 247 / 2 | 961      | 100 |
| 4 | 247 / 2 | 963      | 55  |
| 4 | 247 / 2 | 964      | 99  |
| 4 | 247 / 2 | 966      | 105 |
| 4 | 247 / 2 | 967      | 59  |
| 4 | 247 / 2 | 968      | 36  |
| 4 | 247 / 2 | 969      | 110 |
| 4 | 247 / 2 | 970      | 18  |
| 4 | 247 / 2 | 972      | 6   |
| 4 | 247 / 2 | 973      | 144 |
| 4 | 247 / 2 | 974      | 170 |
| 4 | 247 / 2 | 975      | 60  |
| 4 | 247 / 2 | 976      | 25  |
| 4 | 247 / 2 | 977      | 30  |
| 4 | 247 / 2 | 978      | 100 |
| 4 | 247 / 2 | 979      | 45  |
| 4 | 240,242 | 563/1143 | 12  |
| 4 | 240,242 | 259/1144 | 4   |
| 4 | 247 / 2 | 910/1145 | 190 |
| 4 | 247 / 2 | 941/1147 | 44  |
| 4 | 240,242 | 502/1148 | 48  |
| 4 | 240,242 | 502/1149 | 21  |
| 4 | 240,242 | 502/1151 | 108 |
| 4 | 240,242 | 502/1152 | 25  |
| 4 | 240,242 | 499/1153 | 50  |
| 4 | 240,242 | 499/1154 | 51  |



|   |            |            |              |
|---|------------|------------|--------------|
| 4 | 240,242    | 499/1155   | 53           |
| 4 | 240,242    | 499/1156   | 55           |
| 4 | 240,242    | 463/1157   | 55           |
| 4 | 240,242    | 413/1158   | 435          |
| 4 | 240,242    | 413/1159   | 95           |
| 4 | 240,242    | 195/1160   | 35           |
| 4 | 240,242    | 195/1161   | 35           |
| 4 | 240,242    | 195/1162   | 38           |
| 4 | 240,242    | 360/1163   | 135          |
| 4 | 240,242    | 715/1165   | 37           |
| 4 | 240,242    | 125/1167   | 90           |
| 4 | 240,242    | 131/1168   | 17           |
| 4 | 240,242    | 697/1178   | 17           |
| 4 | 240,242    | 698/1179   | 14           |
| 4 | 240,242    | 318/1180   | 65           |
| 4 | 240,242    | 715/1181   | 8            |
| 4 | 240,242    | 716/1182   | 8            |
| 4 | 240,242    | 892/1187   | 60           |
| 4 | 148        | 825/1188   | 80           |
|   | <b>योग</b> | <b>907</b> | <b>84774</b> |

## निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | संपत्ति का विवरण   |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 166/1 | मकान- 09, गोदान-1, पशुबाड़ा- 8, गोबर गैस -1, भीलट बाबा मंदिर-1 |
| 194   | मकान-2   |
| 201   | मकान-1   |
| 203   | पशुबाड़ा-4   |
| 204   | पशुबाड़ा-1   |
| 224   | मकान-4, पशुबाड़ा-1   |

## शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | मद        | संपत्ति का विवरण             |
|-------|-----------|------------------------------|
| 2     | 3         | 4                            |
| 70    | नि.चरागाह | मकान - 17, भीलट बाबा का ओटला |
| 168   | नि.चरागाह | मकान - 2                     |
| 1     | नदी       | पाईप लाईन-121, पंप हाउस -65  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1-कलेक्टर जिला-खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)  
कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन

क्रमांक/374 /भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 8 मार्च 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

## //अनुसूची//

- (1) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
- जिला : खरगोन
- तहसील : कसरावद
- ग्राम का नाम : भट्टयाण बुजूर्ग
- लगभग क्षेत्रफल : 45,200 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

| शीट क्रमांक | खसरा नंबर | भू-खण्ड क्रमांक | डूब का रकबा वर्ग मीटर में |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1           | 2         | 3               | 4                         |
| 1           | 231       | 1               | 180                       |
| 1           | 231       | 2               | 660                       |
| 1           | 231       | 3               | 168                       |
| 1           | 231       | 4               | 64                        |
| 1           | 231       | 5               | 90                        |
| 1           | 231       | 7               | 140                       |
| 1           | 231       | 8               | 98                        |
| 1           | 231       | 9               | 70                        |
| 1           | 231       | 10              | 42                        |
| 1           | 231       | 11              | 31                        |
| 1           | 231       | 12              | 62                        |
| 1           | 231       | 13              | 59                        |

|   |     |    |     |
|---|-----|----|-----|
| 1 | 231 | 14 | 49  |
| 1 | 231 | 15 | 45  |
| 1 | 231 | 16 | 37  |
| 1 | 231 | 17 | 65  |
| 1 | 231 | 18 | 44  |
| 1 | 231 | 19 | 61  |
| 1 | 231 | 20 | 44  |
| 1 | 231 | 21 | 29  |
| 1 | 231 | 22 | 69  |
| 1 | 231 | 23 | 176 |
| 1 | 231 | 25 | 60  |
| 1 | 231 | 26 | 8   |
| 1 | 231 | 27 | 42  |
| 1 | 231 | 28 | 28  |
| 1 | 231 | 29 | 105 |
| 1 | 231 | 30 | 36  |
| 1 | 231 | 31 | 21  |
| 1 | 231 | 32 | 156 |
| 1 | 231 | 33 | 256 |
| 1 | 231 | 34 | 91  |
| 1 | 231 | 35 | 68  |
| 1 | 231 | 36 | 91  |
| 1 | 231 | 37 | 50  |
| 1 | 231 | 38 | 82  |
| 1 | 231 | 39 | 55  |
| 1 | 231 | 40 | 82  |
| 1 | 231 | 41 | 56  |
| 1 | 231 | 42 | 37  |
| 1 | 231 | 43 | 34  |
| 1 | 231 | 44 | 34  |
| 1 | 231 | 45 | 34  |
| 1 | 231 | 47 | 78  |
| 1 | 231 | 48 | 342 |

|   |     |    |     |
|---|-----|----|-----|
| 1 | 231 | 49 | 81  |
| 1 | 231 | 50 | 129 |
| 1 | 231 | 51 | 81  |
| 1 | 231 | 52 | 77  |
| 1 | 231 | 53 | 83  |
| 1 | 231 | 54 | 167 |
| 1 | 231 | 55 | 215 |
| 1 | 231 | 56 | 29  |
| 1 | 231 | 57 | 115 |
| 1 | 231 | 58 | 159 |
| 1 | 231 | 59 | 33  |
| 1 | 231 | 60 | 30  |
| 1 | 231 | 61 | 36  |
| 1 | 231 | 62 | 25  |
| 1 | 231 | 63 | 57  |
| 1 | 231 | 64 | 46  |
| 1 | 231 | 65 | 46  |
| 1 | 231 | 66 | 50  |
| 1 | 231 | 67 | 50  |
| 1 | 231 | 69 | 50  |
| 1 | 231 | 70 | 65  |
| 1 | 231 | 72 | 38  |
| 1 | 231 | 74 | 57  |
| 1 | 231 | 75 | 52  |
| 1 | 231 | 76 | 52  |
| 1 | 231 | 77 | 52  |
| 1 | 231 | 78 | 81  |
| 1 | 231 | 79 | 59  |
| 1 | 231 | 80 | 52  |
| 1 | 231 | 81 | 52  |
| 1 | 231 | 82 | 119 |
| 1 | 231 | 83 | 51  |
| 1 | 231 | 84 | 60  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 86  | 29  |
| 1 | 231 | 87  | 80  |
| 1 | 231 | 88  | 26  |
| 1 | 231 | 89  | 23  |
| 1 | 231 | 90  | 23  |
| 1 | 231 | 91  | 23  |
| 1 | 231 | 92  | 80  |
| 1 | 231 | 93  | 80  |
| 1 | 231 | 95  | 21  |
| 1 | 231 | 96  | 46  |
| 1 | 231 | 97  | 66  |
| 1 | 231 | 98  | 40  |
| 1 | 231 | 99  | 40  |
| 1 | 231 | 100 | 95  |
| 1 | 231 | 101 | 39  |
| 1 | 231 | 102 | 42  |
| 1 | 231 | 103 | 82  |
| 1 | 231 | 104 | 34  |
| 1 | 231 | 105 | 90  |
| 1 | 231 | 106 | 35  |
| 1 | 231 | 107 | 70  |
| 1 | 231 | 108 | 37  |
| 1 | 231 | 109 | 42  |
| 1 | 231 | 110 | 31  |
| 1 | 231 | 111 | 31  |
| 1 | 231 | 112 | 33  |
| 1 | 231 | 113 | 32  |
| 1 | 231 | 114 | 62  |
| 1 | 231 | 115 | 65  |
| 1 | 231 | 116 | 188 |
| 1 | 231 | 119 | 50  |
| 1 | 231 | 120 | 75  |
| 1 | 231 | 121 | 38  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 122 | 79  |
| 1 | 231 | 123 | 56  |
| 1 | 231 | 124 | 39  |
| 1 | 231 | 125 | 37  |
| 1 | 231 | 126 | 62  |
| 1 | 231 | 127 | 105 |
| 1 | 231 | 128 | 21  |
| 1 | 231 | 129 | 19  |
| 1 | 231 | 130 | 109 |
| 1 | 231 | 131 | 90  |
| 1 | 231 | 132 | 249 |
| 1 | 231 | 133 | 106 |
| 1 | 231 | 134 | 15  |
| 1 | 231 | 135 | 25  |
| 1 | 231 | 136 | 95  |
| 1 | 231 | 137 | 79  |
| 1 | 231 | 138 | 51  |
| 1 | 231 | 140 | 171 |
| 1 | 231 | 142 | 19  |
| 1 | 231 | 143 | 29  |
| 1 | 231 | 144 | 4   |
| 1 | 231 | 145 | 66  |
| 1 | 231 | 146 | 87  |
| 1 | 231 | 147 | 77  |
| 1 | 231 | 148 | 40  |
| 1 | 231 | 149 | 73  |
| 1 | 231 | 150 | 20  |
| 1 | 231 | 151 | 17  |
| 1 | 231 | 152 | 28  |
| 1 | 231 | 153 | 38  |
| 1 | 231 | 154 | 54  |
| 1 | 231 | 155 | 49  |
| 1 | 231 | 156 | 51  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 157 | 42  |
| 1 | 231 | 158 | 36  |
| 1 | 231 | 159 | 33  |
| 1 | 231 | 160 | 73  |
| 1 | 231 | 161 | 61  |
| 1 | 231 | 162 | 40  |
| 1 | 231 | 163 | 22  |
| 1 | 231 | 164 | 19  |
| 1 | 231 | 165 | 28  |
| 1 | 231 | 166 | 60  |
| 1 | 231 | 167 | 12  |
| 1 | 231 | 168 | 32  |
| 1 | 231 | 169 | 44  |
| 1 | 231 | 170 | 41  |
| 1 | 231 | 171 | 33  |
| 1 | 231 | 172 | 29  |
| 1 | 231 | 173 | 37  |
| 1 | 231 | 174 | 81  |
| 1 | 231 | 175 | 73  |
| 1 | 231 | 176 | 41  |
| 1 | 231 | 177 | 77  |
| 1 | 231 | 178 | 60  |
| 1 | 231 | 179 | 16  |
| 1 | 231 | 180 | 55  |
| 1 | 231 | 181 | 81  |
| 1 | 231 | 182 | 68  |
| 1 | 231 | 183 | 115 |
| 1 | 231 | 184 | 42  |
| 1 | 231 | 185 | 42  |
| 1 | 231 | 186 | 202 |
| 1 | 231 | 187 | 111 |
| 1 | 231 | 188 | 55  |
| 1 | 231 | 189 | 78  |



|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 190 | 47  |
| 1 | 231 | 191 | 47  |
| 1 | 231 | 192 | 69  |
| 1 | 231 | 193 | 66  |
| 1 | 231 | 194 | 38  |
| 1 | 231 | 195 | 60  |
| 1 | 231 | 196 | 41  |
| 1 | 231 | 197 | 43  |
| 1 | 231 | 198 | 6   |
| 1 | 231 | 199 | 122 |
| 1 | 231 | 200 | 68  |
| 1 | 231 | 201 | 122 |
| 1 | 231 | 202 | 127 |
| 1 | 231 | 203 | 16  |
| 1 | 231 | 204 | 69  |
| 1 | 231 | 205 | 66  |
| 1 | 231 | 206 | 182 |
| 1 | 231 | 207 | 42  |
| 1 | 231 | 208 | 36  |
| 1 | 231 | 209 | 34  |
| 1 | 231 | 210 | 44  |
| 1 | 231 | 211 | 50  |
| 1 | 231 | 212 | 18  |
| 1 | 231 | 213 | 21  |
| 1 | 231 | 215 | 96  |
| 1 | 231 | 216 | 63  |
| 1 | 231 | 217 | 63  |
| 1 | 231 | 218 | 63  |
| 1 | 231 | 219 | 64  |
| 1 | 231 | 220 | 64  |
| 1 | 231 | 221 | 150 |
| 1 | 231 | 222 | 166 |
| 1 | 231 | 223 | 34  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 225 | 122 |
| 1 | 231 | 226 | 87  |
| 1 | 231 | 227 | 54  |
| 1 | 231 | 228 | 75  |
| 1 | 231 | 229 | 106 |
| 1 | 231 | 230 | 40  |
| 1 | 231 | 231 | 40  |
| 1 | 231 | 232 | 81  |
| 1 | 231 | 234 | 28  |
| 1 | 231 | 235 | 34  |
| 1 | 231 | 236 | 33  |
| 1 | 231 | 237 | 85  |
| 1 | 231 | 238 | 33  |
| 1 | 231 | 239 | 54  |
| 1 | 231 | 240 | 54  |
| 1 | 231 | 241 | 52  |
| 1 | 231 | 242 | 42  |
| 1 | 231 | 243 | 31  |
| 1 | 231 | 244 | 37  |
| 1 | 231 | 245 | 49  |
| 1 | 231 | 246 | 71  |
| 1 | 231 | 247 | 26  |
| 1 | 231 | 248 | 61  |
| 1 | 231 | 250 | 31  |
| 1 | 231 | 251 | 64  |
| 1 | 231 | 252 | 78  |
| 1 | 231 | 253 | 78  |
| 1 | 231 | 254 | 102 |
| 1 | 231 | 255 | 15  |
| 1 | 231 | 256 | 24  |
| 1 | 231 | 257 | 85  |
| 1 | 231 | 258 | 102 |
| 1 | 231 | 259 | 106 |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 260 | 66  |
| 1 | 231 | 261 | 78  |
| 1 | 231 | 262 | 193 |
| 1 | 231 | 263 | 198 |
| 1 | 231 | 264 | 74  |
| 1 | 231 | 265 | 74  |
| 1 | 231 | 266 | 115 |
| 1 | 231 | 267 | 115 |
| 1 | 231 | 268 | 64  |
| 1 | 231 | 269 | 64  |
| 1 | 231 | 271 | 39  |
| 1 | 231 | 272 | 39  |
| 1 | 231 | 273 | 39  |
| 1 | 231 | 274 | 20  |
| 1 | 231 | 275 | 28  |
| 1 | 231 | 276 | 118 |
| 1 | 231 | 277 | 115 |
| 1 | 231 | 278 | 115 |
| 1 | 231 | 279 | 135 |
| 1 | 231 | 280 | 108 |
| 1 | 231 | 281 | 155 |
| 1 | 231 | 282 | 78  |
| 1 | 231 | 283 | 90  |
| 1 | 231 | 284 | 43  |
| 1 | 231 | 285 | 89  |
| 1 | 231 | 286 | 55  |
| 1 | 231 | 287 | 116 |
| 1 | 231 | 288 | 97  |
| 1 | 231 | 289 | 55  |
| 1 | 231 | 290 | 31  |
| 1 | 231 | 291 | 49  |
| 1 | 231 | 292 | 49  |
| 1 | 231 | 293 | 42  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 294 | 71  |
| 1 | 231 | 295 | 71  |
| 1 | 231 | 296 | 72  |
| 1 | 231 | 298 | 78  |
| 1 | 231 | 299 | 90  |
| 1 | 231 | 300 | 78  |
| 1 | 231 | 301 | 59  |
| 1 | 231 | 302 | 59  |
| 1 | 231 | 303 | 64  |
| 1 | 231 | 304 | 60  |
| 1 | 231 | 305 | 80  |
| 1 | 231 | 306 | 143 |
| 1 | 231 | 307 | 80  |
| 1 | 231 | 308 | 27  |
| 1 | 231 | 309 | 34  |
| 1 | 231 | 310 | 81  |
| 1 | 231 | 311 | 80  |
| 1 | 231 | 312 | 115 |
| 1 | 231 | 313 | 102 |
| 1 | 231 | 314 | 102 |
| 1 | 231 | 315 | 116 |
| 1 | 231 | 316 | 102 |
| 1 | 231 | 317 | 48  |
| 1 | 231 | 318 | 45  |
| 1 | 231 | 319 | 24  |
| 1 | 231 | 320 | 56  |
| 1 | 231 | 321 | 280 |
| 1 | 231 | 322 | 62  |
| 1 | 231 | 323 | 103 |
| 1 | 231 | 324 | 103 |
| 1 | 231 | 325 | 114 |
| 1 | 231 | 326 | 102 |
| 1 | 231 | 327 | 107 |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 330 | 42  |
| 1 | 231 | 331 | 42  |
| 1 | 231 | 332 | 50  |
| 1 | 231 | 333 | 50  |
| 1 | 231 | 334 | 85  |
| 1 | 231 | 335 | 50  |
| 1 | 231 | 336 | 70  |
| 1 | 231 | 337 | 32  |
| 1 | 231 | 338 | 85  |
| 1 | 231 | 339 | 65  |
| 1 | 231 | 340 | 18  |
| 1 | 231 | 341 | 20  |
| 1 | 231 | 342 | 50  |
| 1 | 231 | 343 | 42  |
| 1 | 231 | 344 | 42  |
| 1 | 231 | 345 | 85  |
| 1 | 231 | 346 | 82  |
| 1 | 231 | 347 | 75  |
| 1 | 231 | 348 | 64  |
| 1 | 231 | 349 | 144 |
| 1 | 231 | 350 | 30  |
| 1 | 231 | 351 | 38  |
| 1 | 231 | 352 | 35  |
| 1 | 231 | 353 | 86  |
| 1 | 231 | 354 | 176 |
| 1 | 231 | 355 | 70  |
| 1 | 231 | 356 | 74  |
| 1 | 231 | 357 | 155 |
| 1 | 231 | 358 | 142 |
| 1 | 231 | 359 | 27  |
| 1 | 231 | 360 | 29  |
| 1 | 231 | 361 | 35  |
| 1 | 231 | 362 | 15  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 363 | 95  |
| 1 | 231 | 365 | 60  |
| 1 | 231 | 366 | 85  |
| 1 | 231 | 367 | 43  |
| 1 | 231 | 368 | 128 |
| 1 | 231 | 370 | 6   |
| 1 | 231 | 371 | 523 |
| 1 | 231 | 372 | 189 |
| 1 | 231 | 373 | 108 |
| 1 | 231 | 374 | 175 |
| 1 | 231 | 375 | 92  |
| 1 | 231 | 376 | 103 |
| 1 | 231 | 377 | 68  |
| 1 | 231 | 378 | 404 |
| 1 | 231 | 379 | 388 |
| 1 | 231 | 380 | 175 |
| 1 | 231 | 381 | 43  |
| 1 | 231 | 382 | 39  |
| 1 | 231 | 383 | 30  |
| 1 | 231 | 384 | 27  |
| 1 | 231 | 385 | 21  |
| 1 | 231 | 386 | 21  |
| 1 | 231 | 387 | 34  |
| 1 | 231 | 388 | 168 |
| 1 | 231 | 389 | 25  |
| 1 | 231 | 391 | 130 |
| 1 | 231 | 392 | 81  |
| 1 | 231 | 393 | 77  |
| 1 | 231 | 394 | 91  |
| 1 | 231 | 395 | 81  |
| 1 | 231 | 396 | 72  |
| 1 | 231 | 397 | 203 |
| 1 | 231 | 398 | 34  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 399 | 61  |
| 1 | 231 | 400 | 38  |
| 1 | 231 | 401 | 34  |
| 1 | 231 | 403 | 102 |
| 1 | 231 | 404 | 120 |
| 1 | 231 | 405 | 27  |
| 1 | 231 | 406 | 72  |
| 1 | 231 | 407 | 47  |
| 1 | 231 | 408 | 34  |
| 1 | 231 | 409 | 55  |
| 1 | 231 | 410 | 63  |
| 1 | 231 | 411 | 102 |
| 1 | 231 | 412 | 69  |
| 1 | 231 | 413 | 52  |
| 1 | 231 | 414 | 37  |
| 1 | 231 | 415 | 33  |
| 1 | 231 | 416 | 30  |
| 1 | 231 | 418 | 79  |
| 1 | 231 | 419 | 67  |
| 1 | 231 | 420 | 139 |
| 1 | 231 | 421 | 48  |
| 1 | 231 | 422 | 55  |
| 1 | 231 | 425 | 103 |
| 1 | 231 | 426 | 101 |
| 1 | 231 | 427 | 15  |
| 1 | 231 | 428 | 130 |
| 1 | 231 | 429 | 47  |
| 1 | 231 | 430 | 35  |
| 1 | 231 | 431 | 36  |
| 1 | 231 | 432 | 47  |
| 1 | 231 | 433 | 116 |
| 1 | 231 | 434 | 44  |
| 1 | 231 | 435 | 45  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 438 | 25  |
| 1 | 231 | 439 | 52  |
| 1 | 231 | 440 | 57  |
| 1 | 231 | 441 | 36  |
| 1 | 231 | 442 | 43  |
| 1 | 231 | 443 | 44  |
| 1 | 231 | 444 | 64  |
| 1 | 231 | 446 | 33  |
| 1 | 231 | 447 | 123 |
| 1 | 231 | 448 | 37  |
| 1 | 231 | 449 | 34  |
| 1 | 231 | 450 | 45  |
| 1 | 231 | 451 | 57  |
| 1 | 231 | 452 | 57  |
| 1 | 231 | 453 | 51  |
| 1 | 231 | 455 | 173 |
| 1 | 231 | 456 | 48  |
| 1 | 231 | 458 | 32  |
| 1 | 231 | 459 | 15  |
| 1 | 231 | 460 | 25  |
| 1 | 231 | 461 | 87  |
| 1 | 231 | 462 | 79  |
| 1 | 231 | 463 | 42  |
| 1 | 231 | 464 | 29  |
| 1 | 231 | 465 | 61  |
| 1 | 231 | 467 | 43  |
| 1 | 231 | 468 | 94  |
| 1 | 231 | 469 | 24  |
| 1 | 231 | 470 | 261 |
| 1 | 231 | 471 | 263 |
| 1 | 231 | 472 | 72  |
| 1 | 231 | 473 | 45  |
| 1 | 231 | 474 | 24  |



|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 475 | 28  |
| 1 | 231 | 476 | 24  |
| 1 | 231 | 477 | 27  |
| 1 | 231 | 478 | 25  |
| 1 | 231 | 480 | 82  |
| 1 | 231 | 481 | 79  |
| 1 | 231 | 482 | 140 |
| 1 | 231 | 483 | 125 |
| 1 | 231 | 484 | 58  |
| 1 | 231 | 485 | 58  |
| 1 | 231 | 486 | 140 |
| 1 | 231 | 487 | 86  |
| 1 | 231 | 488 | 78  |
| 1 | 231 | 489 | 78  |
| 1 | 231 | 490 | 84  |
| 1 | 231 | 491 | 116 |
| 1 | 231 | 492 | 143 |
| 1 | 231 | 493 | 65  |
| 1 | 231 | 494 | 70  |
| 1 | 231 | 495 | 100 |
| 1 | 231 | 496 | 70  |
| 1 | 231 | 498 | 116 |
| 1 | 231 | 499 | 78  |
| 1 | 231 | 500 | 90  |
| 1 | 231 | 501 | 43  |
| 1 | 231 | 502 | 43  |
| 1 | 231 | 503 | 41  |
| 1 | 231 | 504 | 90  |
| 1 | 231 | 505 | 106 |
| 1 | 231 | 506 | 46  |
| 1 | 231 | 507 | 32  |
| 1 | 231 | 508 | 25  |
| 1 | 231 | 510 | 60  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 231 | 511 | 58  |
| 1 | 231 | 512 | 7   |
| 1 | 231 | 513 | 25  |
| 1 | 231 | 514 | 23  |
| 1 | 231 | 516 | 80  |
| 1 | 231 | 518 | 57  |
| 1 | 231 | 519 | 17  |
| 1 | 231 | 520 | 17  |
| 1 | 231 | 522 | 54  |
| 1 | 231 | 523 | 79  |
| 1 | 231 | 524 | 130 |
| 2 | 231 | 526 | 185 |
| 2 | 231 | 527 | 197 |
| 2 | 231 | 528 | 254 |
| 2 | 231 | 530 | 65  |
| 2 | 231 | 532 | 143 |
| 2 | 231 | 533 | 90  |
| 2 | 231 | 534 | 75  |
| 2 | 231 | 535 | 55  |
| 2 | 231 | 536 | 61  |
| 2 | 231 | 537 | 148 |
| 2 | 231 | 538 | 85  |
| 2 | 231 | 539 | 95  |
| 2 | 231 | 540 | 155 |
| 2 | 231 | 541 | 62  |
| 2 | 231 | 543 | 39  |
| 2 | 231 | 544 | 63  |
| 2 | 231 | 545 | 70  |
| 2 | 231 | 546 | 50  |
| 2 | 231 | 547 | 89  |
| 2 | 231 | 548 | 64  |
| 2 | 231 | 549 | 34  |
| 2 | 231 | 550 | 58  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 2 | 231 | 551 | 90  |
| 2 | 231 | 552 | 87  |
| 2 | 231 | 553 | 89  |
| 2 | 231 | 554 | 84  |
| 2 | 231 | 555 | 36  |
| 2 | 231 | 556 | 45  |
| 2 | 231 | 557 | 39  |
| 2 | 231 | 558 | 63  |
| 2 | 231 | 559 | 85  |
| 2 | 231 | 560 | 73  |
| 2 | 231 | 561 | 67  |
| 2 | 231 | 562 | 71  |
| 2 | 231 | 563 | 52  |
| 2 | 231 | 565 | 5   |
| 2 | 231 | 566 | 70  |
| 2 | 231 | 567 | 62  |
| 2 | 231 | 568 | 61  |
| 2 | 231 | 570 | 9   |
| 2 | 231 | 571 | 173 |
| 2 | 231 | 572 | 43  |
| 2 | 231 | 573 | 93  |
| 2 | 231 | 574 | 94  |
| 2 | 231 | 575 | 85  |
| 2 | 231 | 576 | 42  |
| 2 | 231 | 577 | 40  |
| 2 | 231 | 578 | 85  |
| 2 | 231 | 579 | 106 |
| 2 | 231 | 580 | 125 |
| 2 | 231 | 581 | 48  |
| 2 | 231 | 582 | 53  |
| 2 | 231 | 583 | 73  |
| 2 | 231 | 584 | 68  |
| 2 | 231 | 585 | 76  |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 2 | 231 | 586 | 106 |
| 2 | 231 | 587 | 140 |
| 2 | 231 | 588 | 74  |
| 2 | 231 | 589 | 58  |
| 2 | 231 | 590 | 47  |
| 2 | 231 | 591 | 47  |
| 2 | 231 | 592 | 65  |
| 2 | 231 | 593 | 67  |
| 2 | 231 | 594 | 24  |
| 2 | 231 | 598 | 270 |
| 2 | 231 | 599 | 54  |
| 2 | 231 | 600 | 125 |
| 2 | 231 | 601 | 135 |
| 2 | 231 | 602 | 303 |
| 2 | 231 | 603 | 156 |
| 2 | 231 | 605 | 105 |
| 2 | 231 | 606 | 49  |
| 2 | 231 | 607 | 142 |
| 2 | 231 | 609 | 85  |
| 2 | 231 | 610 | 21  |
| 2 | 231 | 611 | 41  |
| 2 | 231 | 612 | 136 |
| 2 | 231 | 613 | 96  |
| 2 | 231 | 614 | 94  |
| 2 | 231 | 617 | 54  |
| 2 | 231 | 618 | 40  |
| 2 | 231 | 619 | 274 |
| 2 | 231 | 620 | 15  |
| 2 | 231 | 621 | 56  |
| 2 | 231 | 622 | 89  |
| 2 | 231 | 623 | 147 |
| 2 | 231 | 625 | 122 |
| 2 | 231 | 626 | 55  |

|   |     |          |     |
|---|-----|----------|-----|
| 2 | 231 | 627      | 62  |
| 2 | 231 | 628      | 67  |
| 2 | 231 | 629      | 76  |
| 2 | 231 | 630      | 167 |
| 2 | 231 | 631      | 104 |
| 2 | 231 | 632      | 87  |
| 2 | 231 | 633      | 123 |
| 2 | 231 | 634      | 17  |
| 2 | 231 | 635      | 18  |
| 2 | 231 | 637      | 60  |
| 2 | 231 | 639      | 32  |
| 2 | 231 | 640      | 30  |
| 2 | 231 | 641      | 84  |
| 2 | 231 | 642      | 85  |
| 2 | 231 | 644      | 22  |
| 2 | 231 | 645      | 91  |
| 2 | 231 | 646      | 148 |
| 2 | 231 | 647      | 101 |
| 2 | 231 | 648      | 67  |
| 2 | 231 | 650      | 120 |
| 2 | 231 | 651      | 68  |
| 2 | 231 | 652      | 43  |
| 2 | 231 | 359/ 684 | 23  |
| 2 | 231 | 652/ 685 | 10  |
| 2 | 231 | 146/686  | 87  |
| 3 | 3   | 656      | 18  |
| 3 | 3   | 657      | 265 |
| 3 | 3   | 658      | 17  |
| 3 | 3   | 659      | 16  |
| 3 | 3   | 660      | 15  |
| 3 | 3   | 661      | 18  |
| 3 | 3   | 662      | 8   |
| 3 | 3   | 663      | 6   |

|   |       |            |              |
|---|-------|------------|--------------|
| 3 | 3     | 664        | 35           |
| 3 | 3     | 665        | 9            |
| 3 | 3     | 666        | 17           |
| 3 | 3     | 667        | 36           |
| 3 | 3     | 668        | 8            |
| 4 | 478/6 | 673        | 28           |
| 4 | 478/6 | 674        | 26           |
| 4 | 478/6 | 675        | 21           |
| 4 | 478/6 | 676        | 15           |
| 4 | 478/6 | 677        | 13           |
| 4 | 478/6 | 678        | 13           |
| 4 | 478/6 | 679        | 14           |
| 4 | 478/6 | 680        | 22           |
| 1 | 231   | 337/ 683   | 32           |
| 4 | 478/7 | 671        | 4            |
|   |       | <b>621</b> | <b>45200</b> |

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | संपत्ति का विवरण   |
|-------|--------------------|
| 1     | 2                  |
| 120   | मकान-2             |
| 133   | मकान-2             |
| 178   | मकान               |
| 161   | मकान-3, गोबर गैस-2 |
| 222   | मकान-2             |
| 234   | मकान-2             |
| 239/1 | मकान               |
| 240   | मकान-4             |
| 185/2 | मकान-2             |
| 193/1 | मकान-2             |

## शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

| ख.नं. | मद        | संपत्ति का विवरण   |
|-------|-----------|--|
| 59    | नि.चरागाह | मकान-29, पशुबाड़ा-2, डेरी-2, आश्रम-1, कुटिया-2, मंदिर-2, धर्मशाला-1, टप्पर-5, पाईपलाईन-123 |
| 60    | ना.का.च.  | ओटला-1,  |
| 200   | नाला      | मंदिर-1  |
| 209   | ना.का.च.  | मकान-23, टीनशेड-1, गोडाउन-1, धर्मशाला-2, सामुदायिक भवन-1, पशुबाड़ा-1                       |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1-कलेक्टर जिला-खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)  
कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला-खरगोन